सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2021-2022

राष्ट्रीय महिला आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

राष्ट्रीय महिला आयोग

वार्षिक रिपोर्ट
2021-2022

राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लॉट न. 21, जसोला इंस्टिट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली-110025
http://www.ncw.nic.in

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ
	प्रस्तावना	v-vii
अध्याय -1	पृष्ठभूमि	1-4
अध्याय -2	शिकायत और जाँच (C&I)	5-9
अध्याय -3	अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दे	10-11
अध्याय -4	घटनाओं/मामलों का स्वत: संज्ञान	12-18
अध्याय -5	नीति, निगरानी और अनुसंधान	19-26
अध्याय -6	महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ	27
अध्याय -7	पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहल - पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ	28-30
अध्याय -8	महिला कल्याण एवं क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ	31-39
अध्याय -9	विधि समीक्षा और कानूनी जागरूकता	40-44
अध्याय -10	जेल, अभिरक्षा गृहों और मनोरोग संस्थानों का निरीक्षण	45
अध्याय -11	सूचना का अधिकार	46-47
अध्याय -12	यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र	48
अध्याय -13	मीडिया एवं प्रसारण कार्यक्रम	49-50
अध्याय -14	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग	51-53
अध्याय -15	नई पहल प्रकोष्ठ	54-57
अध्याय -16	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख प्रकोष्ठ	58-59
अध्याय -17	24X7 हेल्पलाइन	60-61
अध्याय -18	सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	62-64
अध्याय -19	वार्षिक लेखा 2021-22	65-104
अध्याय -20	लेखा- परीक्षा रिपोर्ट	105-111
अनुलग्नक		
अनुलग्नक -I	आयोग की संरचना	113
अनुलग्नक -II	आयोग का संगठनात्मक चार्ट	114
अनुलग्नक -III	2021-22 के दौरान आयोग द्वारा विचारित प्रमुख निर्णय/मामले	115-120
अनुलग्नक -IV	वित्तीय वर्ष: 2021-22 के दौरान वित्त पोषित वेबिनारों के विवरण	121-124
अनुलग्नक -V	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त सेमिनारों की सूची	125-126
अनुलग्नक -VI	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वित्त पोषित अनुसंधान अध्ययनों के विवरण	127
	फोटो दीर्घा	128-142

Rekha Sharma
Chairperson
Tel. : 011-26944808
Fax :011-26944771

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लाट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया
एफ.सी.-33, नई दिल्ली-110 025

Government of India
National Commission for Women
Plot No. 21, Fc-33, Jasola
Institutional Area, New Delhi-110 025
Website : www.ncw.nic.in
E-mail : chairperson-ncw@nic.in
sharma.rekha@gov.in

प्रस्तावना

राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की प्रस्तुति के समय मुझे अपार गर्व है कि आयोग ने पिछले प्रयासों को और भी सुदृढ़ एवं बेहतर किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आयोग ने नई चुनौतियों का सामना किया और महिलाओं को सशक्त बनाने के नवीन प्रयासों में सबसे अग्रणी रहा है।

विभिन्न कार्य क्षेत्रों में लैंगिक समानता में उत्साहवर्धक सुधार होने के बावजूद इस क्षेत्र में फिलहाल और अधिक प्रगति की अत्यधिक संभावनाएं हैं। देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की मदद कर रहा है। आयोग सदैव महिलाओं की समानता के लिए तैनात है और समाज के साथ कार्यस्थल में भी प्रगति को तेज करने और लैंगिक अंतर को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वर्ष के दौरान, आयोग ने कानूनी समीक्षाओं का आयोजन किया, संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोग में एक कानूनी सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किया तथा नस्लीय विविधता और संवेदनशीलता, मानसिक स्वास्थ्य और महिला-कल्याण एवं अन्य विषयों पर सेमिनार/वेबिनार आयोजित किए। आयोग ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में अपना स्थापना दिवस मनाया। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों की जानकारी हेतु कार्यक्रम की थीम, 'शी द चेंज मेकर/ परिवर्तन की सूत्रधार' रखी गई।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के सहयोग से, आयोग ने घरेलू हिंसा के पीड़ितों को सलाह देने तथा पुलिस, कानूनी सहायता सेवाओं, स्वास्थ्य प्रणाली, सेवा प्रदाताओं, आश्रय सेवाओं, वन स्टॉप सेंटर आदि सहित अधिनियम के तहत विभिन्न हितधारकों/सेवा प्रदाताओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने एवं संरक्षण अधिकारियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'घरेलू हिंसा के समाधान में संरक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम' नामक एक परियोजना श्रृंखला शुरू की।

महिलाओं में नेतृत्व कौशल की वृद्धि के लक्ष्य पर आयोग की प्रतिक्रिया में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ग्राम पंचायतों से लेकर

महिला सांसदों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों सहित सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम, "शी इज़ ए चेंजमेकर/परिवर्तन की सूत्रधार" शुरू किया।

महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और रा.म.आ ने हाथ मिलाया और गरीब महिलाओं की शिकायतों के निवारण हेतु नि:शुल्क कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक खोला जो एकल खिड़की सुविधा के रूप में काम करेगा, ताकि गरीब लोगों के लिए न्याय सुलभ हो सके।

आयोग को देश भर से पीड़ित महिलाओं की ओर से बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनके त्वरित निवारण के लिए संबंधित राज्यों और अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से कार्रवाई की जाती है। एक मजबूत शिकायत पंजीकरण प्रणाली के अलावा, आयोग ने महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन और उनके खिलाफ हुए अपराधों के मामलों की कई घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेना जारी रखा है। आयोग विदेश मंत्रालय, विदेश में भारतीय मिशनों, राज्य पुलिस प्राधिकरणों आदि के समन्वय से अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मामलों को हल करने के लिए भी सहायता प्रदान करता रहा है।

आयोग ने महिलाओं को स्वतंत्र और रोजगार के लिए तैयार करने के प्रयास में महिला स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को श्रम बाजार के लिए तैयार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम शुरू किया। आयोग ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रयास में डेयरी फार्मिंग और संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं को पढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल भी शुरू की।

आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर महिलाओं के बीच एंटी-कोविड टीके की कमी पर छपी कई मीडिया रिपोर्ट्स के आलोक में उनसे टीकाकरण दरों में लिंग अंतर को बंद करने के लिए कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि टीकाकरण के प्रयास में महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ा जाए।

आयोग ने अपने पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ के माध्यम से वेबिनार और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करके पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से इस क्षेत्र की महिलाओं के समावेश और विकास के लिए लगातार काम किया है। आयोग ने उत्तर पूर्व की महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयास में विभिन्न नस्लों और संस्कृतियों के बारे में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने और विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नस्लीय विविधता संवेदीकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

कोविड-19 महामारी के कारण उपजी नई मांगों के मद्देनज़र आयोग ने तेजी से गतिशील इंटरनेट स्पेस का रुख करते हुए सफलतापूर्वक वेबिनार, ट्वीट चैट और सोशल मीडिया जैसे नए मीडिया टूल का उपयोग किया।

आयोग ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने में एक लंबा सफर तय किया है। हमें दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करना एक सामूहिक दायित्व है और हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हर महिला एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन-यापन नहीं कर पाती। आयोग के कार्य-विस्तार का श्रेय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों और राज्य महिला आयोगों से प्राप्त सहयोग को जाता है।

आयोग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ने हमें हर साल नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी पूरी क्षमता से काम किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की दृढ़ता और कड़ी मेहनत से ही आयोग निरंतर सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक वर्ष कामयाबी के नए मुकाम हासिल करने के लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। मुझे आशा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग भविष्य में भी महिलाओं के लिए और अधिक उत्साह और समर्पण के साथ काम करना जारी रखेगा।

(रेखा शर्मा)

अध्याय -1

पृष्ठभूमि

1.1. भारत का संविधान चाहता है कि देश के सभी नागरिकों को सशक्त बनाया जाए ताकि वे अपनी क्षमता की पहचान कर सकें। यह सभी गतिविधियों में प्रत्येक नागरिक की पूर्ण प्रतिभागिता हेतु अनुकूल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के निर्माण की कल्पना करता है। अन्य बातों के साथ, यह लिंग के कारण होने वाले मतभेदों के बावजूद लैंगिक समानता और सभी को समान अवसर की उपलब्धता के लिए आश्वस्त करता है।

1.2. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसरण में, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31जनवरी,1992 को महिलाओं के अधिकारों और हितों को सुरक्षित रखने और उनमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। आयोग को अधिदेश है कि संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच और परीक्षण करे एवं उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश सरकार से करे।

1.3. आयोग को संविधान में दिए गए वर्तमान प्रावधानों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों की समीक्षा करने और ऐसे कानूनों में किसी भी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता या कमियों को पूरा करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करने का अधिदेश प्राप्त है। आयोग को अधिदेश है कि वह महिलाओं की शिकायतों पर गौर करे, उनके लिए बनाए गए अधिकारों की अवहेलना आदि से संबंधित मामलों पर स्वत: संज्ञान ले और मुद्दों के अनुरूप उचित अधिकारियों के साथ संपर्क कर उनका समाधान करे। महिलाओं के सामयिक/प्रासंगिक मुद्दों पर शोध अध्ययन, पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग संवेदीकरण, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बन रही योजनाओं की प्रक्रिया में सहभागिता और परामर्श, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन, जेल, रिमांड होम आदि का निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई आदि जैसे कार्य आयोग को सौंपे गए है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कानून, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु महिलाओं की परेशानियों का हल निकालने का दायित्व एवं गतिविधियों की रूपरेखा बनाने तथा उनके कार्यान्वयन और निगरानी के कार्य में मदद करने का प्रभार आयोग को दिया गया है।

1.4. किसी देश के विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी आवश्यक होती है। असमानता की स्थिति में देश की प्रगति का रास्ता संकीर्ण हो जाता है, इस वास्तविकता को महसूस करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) संसद द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम 31.01.1992 को लागू हुआ और तदनुसार आयोग की स्थापना की गई। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 के अतर्गत आयोग के कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। संक्षेप में निम्न कार्यों का दायित्व आयोग को सौंपा गया है:

i. महिलाओं के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी;

ii. मौजूदा विधानों की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक हो, संशोधन का सुझाव देना;

iii. असहाय महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना के मामलों में उन्हें कानूनी सहायता देने या अन्य किसी

प्रकार से सहायता देने के लिए उन मामलों का स्वत: संज्ञान लेना;

iv. महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानूनों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना ताकि वे जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त कर सकें और राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी कर सकें; तथा

v. महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में प्रचार और शैक्षिक अनुसंधान योजना को बढ़ावा देना और उसमें भाग लेना और सलाह देना।

1.5. आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल हैं। आयोग की संरचना **अनुलग्नक-I** पर है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष है। आयोग को सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, आयोग में समन्वयन, सूचना का अधिकार(आरटीआई) से संबंधित मुद्दों, सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी), राजभाषा, जनसंपर्क आदि प्रशासनिक मामलों से संबंधित दिन-प्रतिदिन के कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए अनुभाग/इकाईयों/प्रकोष्ठों की स्थापना निम्नानुसार की गई हैं:-

i. शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ
ii. अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ
iii. नीति, निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ
iv. क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ
v. महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ
vi. स्वत: संज्ञान प्रकोष्ठ
vii. पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ
viii. मनोरोग गृह/अभिरक्षा सुधार गृह प्रकोष्ठ
ix. विधिक प्रकोष्ठ
x. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
xi. 24x7 हेल्पलाइन प्रकोष्ठ
xii. नई पहल प्रकोष्ठ
xiii. जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख प्रकोष्ठ
xiv. राजभाषा प्रकोष्ठ
xv. मानव तस्करी रोधक प्रकोष्ठ

1.6. वर्तमान में, प्रकोष्ठों में अधिकांश विशेषज्ञ कर्मियों की नियुक्ति संविदात्मक और बाहरी माध्यम (आउटसोर्स आधार पर) से की गई है, इनमें से कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार नियुक्त किए गये हैं। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

1.7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने कई मामलों पर विचार विमर्श किया। आयोग द्वारा की गई बैठकों और लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

1.8. राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर, **"महिला उद्यमी-परिवर्तन की दिशा में, निर्णय लेने में महिलाओं की सक्षमता - शी इज़ ए चेंजमेकर और डिजिटल सशक्तिकरण"** पर तीन अलग-अलग

पैनल चर्चाओं का आयोजन किया। सत्र का मुख्य उद्देश्य राजनीति, कॉर्पोरेट क्षेत्र, प्रशासन, मीडिया/मनोरंजन आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न विषयों से जुड़े क्षेत्रों की महिला नेताओं और अग्रणी महिलाओं को उनके व्यापक अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करने के लिए एकत्र करना था

1.9. यह उन सभी असाधारण महिलाओं के लिए एक सम्मानीय उत्सव था, जिन्होंने हर रूढ़िवादिता को तोड़ा और न केवल अपने लिए अवसर पैदा किए बल्कि अपने आसपास की महिलाओं का भी उत्थान किया। आयोग ने उन बहादुर महिलाओं और नेताओं को आमंत्रित किया जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और लाखों महिलाओं को प्रेरित किया है, जिन्होंने कभी बदलाव का सपना देखा था।

1.10. जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उत्सव को चिह्नित करने के लिए नुक्कड़ नाटक : आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए नुक्कड़ नाटक तैयार करने के लिए दो रंगमंच समूहों- अनुष्ठान और एमआईटीआर रंगमंच को काम पर लगाया, आयोग ने 6 नुक्कड़ नाटक, दिल्ली के 06 विभिन्न क्षेत्रों जैसे ओखला औद्योगिक क्षेत्र, सीलमपुर स्लम क्षेत्र, आली गांव स्लम क्षेत्र, कीर्ति नगर स्लम क्षेत्र, मदनपुर खादर और मुनिरका स्लम क्षेत्र में आयोजित किए। नाटक निम्नलिखित विषयों पर आधारित थे: **महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाना: एक व्यवस्थित प्रगति और सार्वजनिक स्वास्थ्य और समानता का मामला; लड़कियों के शिक्षा के अधिकार और 'पुरुष स्ट्रीमिंग' महिला सशक्तिकरण की वकालत करना।**

1.11. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से **रा.म.आ.** ने एक लघु फिल्म विकसित की जो माननीय प्रधान मंत्री के महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण और रा.म.आ. द्वारा उनके दृष्टिकोण पर आधृत पहल को प्रदर्शित करती है। फिल्म को औपचारिक रूप से रा.म.आ. के 30वें स्थापना दिवस के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जारी किया गया था।

1.12. राज्य महिला आयोगों के साथ गतिविधियां: आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए राज्य महिला आयोगों द्वारा की गई विभिन्न जागरूकता गतिविधियों को वित्त पोषित किया। इस तथ्य से जुड़ी गतिविधियाँ- राष्ट्रीय महिला संसद, जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, मुफ्त कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना, मानव तस्करी रोधक इकाई की स्थापना के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध

1.13. महिलाओं के हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उत्सव': 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, महिलाओं के जीवन में हिंसा की उत्तेजना, यह क्या है, क्यों होता है, इसके लिए कैसी प्रतिक्रिया हो और व्यक्तियों और समुदायों के जीवन में इसके प्रभाव को समझने के लिए आयोग ने एक वेबिनार का आयोजन किया। आयोग ने 'लैंगिक हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाएँ' पर वेबिनार का आयोजन किया, और अन्य कई गतिविधियों जैसे MyGov पोर्टल के माध्यम से खुली कविता लेखन प्रतियोगिता, MyGov पोर्टल के माध्यम से खतरे को समाप्त करने पर लोगों के सुझावों को आमंत्रित करना आदि की शुरूआत की।

1.14. हेल्पलाइन "हैप्पी टू हेल्प मॉम टू बी" का शुभारंभ: राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश भर में गर्भवती माताओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया। देश भर से गर्भवती माताएं आयोग के हेल्पलाइन नंबर-9354954224 के माध्यम से आयोग तक पहुंच सकती हैं, जो चौबीसों घंटे काम करती है।

1.15. आयोग ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के सहयोग से घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005' के तहत पूरे देश में नियुक्त संरक्षण अधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए 28.06.2021 को 'घरेलू हिंसा सुलझाने में संरक्षण अधिकारियों की भूमिका' प्रशिक्षण कार्यक्रम' का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस, कानूनी सहायता सेवाओं, स्वास्थ्य प्रणाली, सेवा प्रदाताओं, आश्रय सेवाओं, वन स्टॉप सेंटर आदि सहित अधिनियम के तहत विभिन्न हितधारकों / सेवा प्रदाताओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है।

1.16. 'पोषण अभियान' के तहत चौथे राष्ट्रीय पोषण माह (सितंबर 2021) के उत्सव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां कीं:

i. महिलाओं में कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर वेबिनार का आयोजन

ii. युवा जागरूकता शिविर, पोषण मेला व पोषण पंचायत का आयोजन

iii. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन

1.17. "शी द चेंज मेकर/ परिवर्तन की सूत्रधार" थीम पर महिला दिवस- 2022 मनाना

आयोग ने 'शी द चेंज मेकर' थीम पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। यह उत्सव उन सभी असाधारण महिलाओं के सम्मान का परिचायक था जिन्होंने हर रूढ़िवादिता को तोड़ा और न केवल खुद के लिए अवसर पैदा किए बल्कि अपने आसपास की महिलाओं का उत्थान भी किया। आयोग ने उन बहादुर महिलाओं और नेताओं को आमंत्रित किया जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और लाखों महिलाओं को प्रेरित किया है, जिन्होंने कभी बदलाव का सपना देखा था।

सुश्री अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस आयोजन के प्रख्यात वक्ता: सुश्री टेसी थॉमस विशिष्ट वैज्ञानिक (कर्नाटक), सुश्री कल्पना सरोज सीईओ, कमानी ट्यूब्स (महाराष्ट्र), सुश्री वर्तिका शुक्ला अध्यक्ष, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (नई दिल्ली), सुश्री इशरत अख्तर पैराथलीट बास्केटबॉल खिलाड़ी(जम्मू और कश्मीर), सुश्री अनीता कुंडू पेशेवर पर्वतारोही, न्यायमूर्ति एस विमला, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, मॉडरेटर: सुश्री जस्सी ढिल्लों थे।

1.18. **कानूनी सेवा क्लिनिक:** राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने संकट में महिलाओं को परामर्श और मुफ्त कानूनी सहायता सेवा प्रदान करने के लिए 29.03.2022 को NCW के कार्यालय में दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से **"कानूनी सेवा क्लिनिक"** शुरू किया है।

1.19. कुल मिलाकर, आयोग द्वारा वर्ष 2021-2022 के दौरान अपने अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया है।

अध्याय -2

शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ

2.1. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसरण में, महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा और बढ़ोत्तरी के लिए 31 जनवरी, 1992 को एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का गठन किया गया था। आयोग को संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए कानूनी सुरक्षा उपायों के निरूपण एवं जाँच तथा सरकार को उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। आयोग को संविधान के मौजूदा प्रावधानों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों की समीक्षा करने और ऐसे कानूनों में किसी भी कमी/या अपर्याप्तता को पूरा करने के लिए संशोधन की सिफारिश करने; शिकायतों की जाँच और महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखने आदि से संबंधित मामलों पर स्वत: संज्ञान लेने और उपयुक्त अधिकारियों के साथ मुद्दों को उठाने; महिलाओं के प्रासंगिक मुद्दों पर शोध अध्ययन करने, पुलिस अधिकारियों के लिए लैंगिक संवेदीकरण, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और सलाह देने, सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन करने, जहां महिलाओं को हिरासत में रखा जाता है उन जेल, रिमांड होम आदि का निरीक्षण और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार है। इस प्रकार, आयोग को महिलाओं की परेशानियों को दूर करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गतिविधियों, कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को डिजाइन करने, लागू करने और निगरानी करने में मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

2.2. आयोग ने अपने अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है। वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोग ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जारी रखीं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों ने राज्य महिला आयोगों और शैक्षणिक संस्थानों आदि के सहयोग से आयोग द्वारा आयोजित बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/जन सुनवाई और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। आयोग द्वारा महिलाओं पर हुए कथित अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जांच की गई है और कई मामलों में प्रभावित महिलाओं को तत्काल राहत प्रदान की गई है। महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित कानूनों को लागू न करने से संबंधित कष्टों और शिकायतों का निवारण आयोग द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। शिकायतें लिखित रूप में या ऑनलाइन मोड यानी **www.ncw.nic.in** के माध्यम से प्राप्त होती हैं। आयोग, शिकायतों पर कार्रवाई/ कानूनी प्रक्रिया के समय, राज्य पुलिस प्राधिकरणों, राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आदि के साथ अपने सहयोग का लाभ उठाता है।

2.3. शिकायतों का निवारण

(I) वर्ष 2021-2022 के दौरान, आयोग के शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ ने 30453 शिकायतें / मामले दर्ज किए जो उसके अधिदेश के अंतर्गत आते हैं।

(II) वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोग द्वारा दर्ज शिकायतों का प्रकृति-वार और राज्य-वार वितरण निम्नानुसार है:

(i) **2021-2022 के दौरान प्राप्त शिकायतों का प्रकृति-वार विवरण**

क्रमांक.	प्रकृति	कुल
1	एसिड हमला	14
2	द्विविवाह / बहुविवाह	214
3	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	917
4	महिलाओं को मातृत्व लाभ देने से इन्कार करना	64
5	दहेज हत्या	349
6	महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता	26
7	लिंग भेदभाव, शिक्षा एवं कार्य में समान अधिकार सहित	23
8	विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न	4512
9	महिला का अश्लील रूपण चित्रण	25
10	महिलाओं का शील भंग /छेड़-छाड़ करना	1782
11	महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता	1554
12	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण	6460
13	बलात्कार/ बलात्कार का प्रयास	1606
14	अपनी पसंद से विवाह का अधिकार/प्रतिष्ठा हेतु अपराध	412
15	गरिमा के साथ जीने का अधिकार	11131
16	लिंग चयनित गर्भपात; मादा भ्रूण हत्या/गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच	15
17	यौन हमला	151
18	यौन- उत्पीड़न	617
19	कार्यस्थल में महिलाओं का यौन- उत्पीड़न	226
20	पीछा करना/बुरी नजर से देखना	277
21	सती प्रथा, देवदासी प्रथा और विच हंटिग जैसी अपमानजनक परंपरागत प्रथाएं	23
22	महिलाओं की तस्करी/वेश्यावृत्ति	49
23	विवाह-विच्छेद की स्थिति में महिलाओं को संतान-संरक्षण का अधिकार	6
	कुल	**30453**

(ii) वर्ष 2021-2022 के दौरान प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.	राज्य	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
2	आंध्र प्रदेश	192
3	अरुणाचल प्रदेश	6
4	असम	102
5	बिहार	1450
6	चंडीगढ़	66
7	छत्तीसगढ़	144
8	दादर नागर हवेली	1
9	दमन एवं द्वीप	2
10	दिल्ली	3361
11	गोवा	27
12	गुजरात	266
13	हरियाणा	1396
14	हिमाचल प्रदेश	132
15	जम्मू एवं कश्मीर	166
16	झारखंड	456
17	कर्नाटक	578
18	केरल	146
19	लद्दाख	2
20	लक्षद्वीप	1
21	मध्य प्रदेश	1103
22	महाराष्ट्र	1460
23	मणिपुर	2
24	मेघालय	6
25	मिजोरम	3
26	नागालैंड	1
27	ओडीसा	180
28	पांडिचेरी	19
29	पंजाब	539
30	राजस्थान	1117
31	सिक्किम	3
32	तमिलनाडु	630
33	तेलंगाना	249

क्र.	राज्य	कुल
34	त्रिपुरा	15
36	उत्तर प्रदेश	15445
37	उत्तराखंड	430
38	पश्चिम बंगाल	755
	कुल	**30453**

(iii) **मुख्य दस श्रेणियाँ जिनमें शिकायतें दर्ज की गईं:**

क्र.	वर्ग	शिकायतों की संख्या
1	गरिमा के साथ जीवन यापन	11127
2	घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा	6460
3	दहेज उत्पीड़न/विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता	4512
4	महिलाओं के शील का हनन/छेड़छाड़	1782
5	बलात्कार/ बलात्कार का प्रयास	1606
6	महिलाओं के प्रति पुलिस उदासीनता	1554
7	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	917
8	यौन उत्पीड़न	617
9	विवाह में चयन का अधिकार/मान-सम्मान के लिए अपराध	412
10	दहेज हत्या	349
	कुल	**29336**

(iv) दस मुख्य राज्य जहां शिकायतों की संख्या सर्वाधिक है:

क्रमांक	राज्य का नाम	कुल
1	उत्तर प्रदेश	15445
2	दिल्ली	3361
3	महाराष्ट्र	1460
4	बिहार	1450
5	हरियाणा	1396
6	राजस्थान	1117
7	मध्यप्रदेश	1103
8	पश्चिम बंगाल	755
9	तमिलनाडु	630
10	कर्नाटक	578
	कुल	**27295**

2.4. दिल्ली पुलिस के साथ बैठक:

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली पुलिस के साथ एक संवादात्मक बैठक का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य शिकायतों के प्रभावी निपटान पर चर्चा करना, दिल्ली/एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र, राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय को मजबूत करना और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अग्रेषित मामलों के प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना था। बैठक में विभिन्न जिलों के उप पुलिस अधीक्षक(डीसीपी) और सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी) के साथ दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न जिलों के पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त के साथ दिल्ली के विशिष्ट पुलिस आयुक्त ने भाग लिया

2.5. महिला जन सुनवाई-

शिकायतों के बढ़ते प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य/जिला पुलिस प्राधिकरणों के सहयोग से एक पायलट परियोजना "महिला जन सुनवाई" शुरू की। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक आयोग ने 46 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) महिला जनसुनवाई का आयोजन किया है।

2.6. कानूनी सेवा क्लिनिक-

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक कदम के रूप में 29 मार्च, 2022 को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी सेवा क्लिनिक की शुरुआत की। कानूनी सहायता क्लिनिक जो घरेलू हिंसा और अन्य मुद्दों में महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करके उनकी शिकायतों को हल करने के लिए एकल-खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करता है।

अध्याय -3

अनिवासी भारतीय विवाह संबंधी मुद्दे

3.1. अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के विवाहों से संबंधित मुद्दों पर देश भर से और विदेशों में रहने वालों से भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, जो मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, परित्याग, दहेज की मांग, प्रतिवादी के देश छोड़ने की आशंका, पति और ससुराल वालों द्वारा पासपोर्ट जब्ती, बाल अभिरक्षा के मुद्दों, विदेश मंत्रालय की योजना के तहत वित्तीय और कानूनी सहायता, रखरखाव, विदेश में दस्तावेजों से जुड़ी सेवा, पति का पता नहीं होना और विदेश में पति के साथ रहने में पत्नी की अक्षमता आदि से संबंधित हैं।

3.2. राष्ट्रीय महिला आयोग, अनिवासी भारतीयों के वैवाहिक मुद्दों का समाधान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के बीच बड़े पैमाने पर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। पीड़ित महिलाओं द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करके तेज किया जाता है और संबंधित पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भारतीय दूतावास और विदेशों में मिशन, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (विदेश मंत्रालय) के प्राधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी जाती है।

3.3. शिकायतकर्ताओं/पीड़ितों द्वारा व्यक्तिगत रूप से आयोग से संपर्क करने पर कानूनी प्रोफेशनल्स और परामर्शदाताओं द्वारा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और कानूनी परामर्श भी प्रदान किया जाता है और मामलों से निपटने के दौरान अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्यों से भी अवगत करवाया जाता हैं।

3.4. संबंधित अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई या पक्षों के बीच सुलह के संबंध में आवश्यक हस्तक्षेप के लिए आयोग के साथ पंजीकृत मामलों में भी सुनवाई की जाती है।

3.5. आयोग का अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ व्यापक जन जागरूकता पैदा करने और अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के कारण प्रभावित भारतीय महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की प्रभावशीलता पर विचार-विमर्श शुरू करने के लिए समय-समय पर कार्यक्रम/सेमिनार और परामर्श/बैठकें भी आयोजित करता है। इस अवधि के दौरान, अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ ने कानून और न्याय सीमा में टकराव के कारण पीड़ित महिलाओं को पर्याप्त राहत पाने में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए थे-

- महत्वपूर्ण हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ 24 अगस्त, 2021 को "अनिवासी भारतीय विवाह से प्रभावित महिलाओं का क्षमता निर्माण" पर एक आभासी (वर्चुअल) कार्यक्रम आयोजित किया गया;
- महिला सुरक्षा अनिवासी भारतीय विंग, तेलंगाना पुलिस के सहयोग से तेलंगाना राज्य महिला आयोग की सहभागिता से होटल, 'द प्लाजा', बेगमपेट, हैदराबाद में 17 दिसंबर, 2021 (शुक्रवार) को "महिला पीड़ितों के सामने आने वाले अनिवासी भारतीय वैवाहिक मुद्दों पर कानूनी जागरूकता पर एक संगोष्ठी" का आयोजन किया गया।

3.6. 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को 463 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आयोग ने सभी शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग, इस अवधि के दौरान, अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामलों में बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाओं को उनके द्वारा आयोग से मांगी गई हर संभव राहत प्रदान करने में सफल रहा है।

3.7. नीचे दी गई तालिका में 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों का वर्षवार/राज्यवार विवरण दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान पंजीकृत राज्यवार अनिवासी भारतीय मामले

राज्य		शिकायतों की संख्या
आंध्र प्रदेश		**33**
आसाम		**01**
बिहार		**11**
चंडीगढ़		**05**
छत्तीसगढ़		**03**
दिल्ली		**55**
गुजरात		**18**
हरियाणा		**34**
हिमाचल प्रदेश		**02**
जम्मू एवं कश्मीर		**06**
झारखंड		**02**
कर्नाटक		**26**
केरल		**12**
मध्य प्रदेश		**13**
महाराष्ट्र		**45**
मेघालय		**00**
ओडीसा		**01**
पांडिचेरी		**02**
पंजाब		**54**
राजस्थान		**09**
तमिलनाडु		**40**
तेलंगाना		**36**
उत्तर प्रदेश		**43**
उत्तराखंड		**05**
पश्चिम बंगाल		**07**
कुल		**463**

अध्याय -4

घटनाओं/मामलों का स्वत: संज्ञान

4.1. महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के तहत, रा.म,आ मीडिया रिपोर्टों और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन और अधिनियमित कानूनों के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के आधार पर मामलों का स्वत: संज्ञान लेता है। आमतौर पर इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाती है। किसी महिला के विरुद्ध किए गए जघन्य प्रकृति के अपराध के मामलों में, आयोग द्वारा जांच समितियों/तथ्य खोज दलों का भी गठन किया जाता है, जो आयोग को अपनी सिफारिशें/निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि अपराध में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जा सके, जिन्हें आगे की उचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाता है।

4.2. ऐसे मामलों की संख्या जहां आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया है, ऐसे मामलों की संख्या जहां कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और 2021-22 के दौरान बंद किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

मामलों की संख्या	बंद हुए मामलों की संख्या (पुराने और नए)	गठित जांच समिति/तथ्य खोज दल
253	**114**	**05**

4.3. उन मामलों का संक्षिप्त विवरण, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2021-2022 के दौरान स्वत: संज्ञान लिया था और जांच समितियों/तथ्यों का पता लगाने वाली टीमों का गठन किया था, उनका सारांश नीचे दिया गया है।

(i) राजस्थान: पति और बच्चों के सामने दबंगों ने किया दलित महिला से गैंगरेप, चिल्लाते रहे मासूम

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और धारा 10(4) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **"राजस्थान: पति और बच्चों के सामने दबंगों ने किया दलित महिला से गैंगरेप, चिल्लाते रहे मासूम" शीर्षक** से आज तक न्यूज द्वारा 19.03.2022 को रिपोर्ट की गई मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें राजस्थान के धौलपुर जिले में एक 26 वर्षीय महिला का उसके बच्चों और पति के सामने बंदूक की नोक पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत दर्ज की है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उस समय तक किसी भी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

आयोग ने अपने आदेश सं. 15/240/2021-22/NCW(SM) द्वारा कथित घटना की मौके पर जांच के लिए तीन सदस्यीय तथ्यान्वेषी दल का गठन किया था। इसके बाद कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई और मामले में चार्जशीट दी गई तदनुसार, इसे बंद कर दिया गया।

(ii) पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे भाजपा महिला कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं;

आयोग को ऐसे कई ट्विटर/सोशल मीडिया पोस्ट मिले हैं जिनमें कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडे पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे वीडियो, तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध भी शामिल हैं। आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और कथित घटनाओं की जांच के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया। समिति ने अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों को संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किया। मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्राप्त हुई।

4.4. महिला से रेप, प्राइवेट पार्ट में डाली रॉड;

मीडिया रिपोर्ट का शीर्षक था "मुंबई की महिला के साथ रेप, प्राइवेट पार्ट में डाली रॉड; हालत नाजुक" जिसमें 30 साल की एक महिला के साथ 10 सितम्बर, 2021 की रात को बलात्कार किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई जिससे उसका काफी खून बह गया और उसका इलाज राजावाड़ी अस्पताल में चल रहा था। दुर्भाग्य से, महिला ने दम तोड़ दिया। आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और कथित घटना की जांच के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया और जांच समिति ने अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों को संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किया और मामले को चार्जशीट किया गया।

4.5. डायन-प्रथा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 27 जून, 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट की गई "भीड़ ने 4 महिलाओं को डायन के नाम से कलंकित किया, छत्तीसगढ़ गाँव में उन पर हमला" शीर्षक वाली मीडिया पोस्ट का स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें यह प्रकाशित किया गया था कि चार महिलाओं को कलंकित किया गया था। छत्तीसगढ़ के जिला जशपुर में ग्रामीणों द्वारा डायन बताकर उनके साथ मारपीट की गई और उनके कपड़े ग्रामीणों द्वारा फाड़ दिए गए। इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में 2 महिलाओं सहित सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में चार्जशीट हो गई है।

4.6. आश्रय गृह में नाबालिग कैदी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया:

आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए एक मामले का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें "बोधगया स्थित आश्रय गृह की एक नाबालिग लड़की ने आश्रय गृह में रहने के दौरान कुछ कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था"। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश संख्या 15/105/2020-21/एनसीडब्ल्यू(एसएम) दिनांक 13 अगस्त, 2021 द्वारा जांच समिति का गठन किया गया। 13 अगस्त, 2021 को बोधगया में बालिका गृह आवास का दौरा किया गया ताकि पूछताछ की सुविधा के लिए आश्रय के कैदियों और संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा सकें। मामला बाद में बंद कर दिया गया।

4.7. स्वप्रेरणा से संज्ञान लिए गए अन्य मामलों का संक्षिप्त विवरण:

1. राष्ट्रीय महिला आयोग को दैनिक भास्कर द्वारा रिपोर्ट की गई "जयपुर में हर दूसरे, उदयपुर-जोधपुर में हर चौथे दिन बच्चों से बलात्कार" शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट मिली है। इस मामले को डीजीपी, राजस्थान के साथ उठाया गया था और बाद में मामले की सुनवाई की गई और बाद में एक कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग को तेलंगाना के हैदराबाद जिले में "ससुराल वालों द्वारा दुर्व्यवहार, महिला ने जीवन समाप्त किया" शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट मिली है, जिसकी रिपोर्ट डेक्कन क्रॉनिकल, हैदराबाद द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2022 को दी गई है। इस मामले को डीजीपी, तेलंगाना के साथ उठाया गया।

3. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दिनांक 14 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मीडिया पोस्ट देखा जिसका शीर्षक था "बाजार में शॉपिंग कर रात को लौट रही महिला को उठाकर ले गए 4 दरिंदे, आबरू बचाने को छत से कूदी" इस मामले को डीजीपी, यूपी के साथ उठाया गया और बाद में एक अंतरिम कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई।

4. इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा रिपोर्ट की गई "राजस्थान मंत्री ने बलात्कार की टिप्पणी के साथ विवाद खड़ा किया" शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने आई है। मामले को डीजीपी, राजस्थान और माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के साथ उठाया गया था।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग को ट्रिब्यून, दिल्ली द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2022 को रिपोर्ट की गई "मुजफ्फरनगर महिला का अपहरण, सामूहिक बलात्कार" शीर्षक से एक मीडिया पोस्ट का पता चला है। मामले को डीजीपी, यूपी के साथ उठाया गया और बाद में कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

6. ट्रिब्यून द्वारा हरियाणा में दिनांक 03 मार्च, 2022 को रिपोर्ट की गई "महिला से छेड़छाड़ के लिए दो के खिलाफ मामला दर्ज" शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान में आई। इस मामले को डीजीपी, हरियाणा के समक्ष उठाया गया था।

7. राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 25 फरवरी, 2022 एक मीडिया पोस्ट देखा जिसका शीर्षक हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, "पीछा करने पर, 19 वर्षीय लड़की ने बल्लभगढ़ में आत्महत्या की"। इस मामले को डीजीपी, हरियाणा के साथ उठाया गया तत्पश्चात एक कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई।

8. उत्तर प्रदेश के नोएडा ज़िले में दिनांक 24 फरवरी, 2022 के समाचार पत्रों द्वारा रिपोर्ट की गई "छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई नहीं होने पर महिला ने पुलिस चौकी के बाहर खुद को लगाई आग" नामक एक मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान में आई। मामले को डीजीपी, यूपी के साथ उठाया गया और बाद में कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई।

9. उत्तर पूर्वी दिल्ली में 17 फरवरी, 2022 को हिंदू द्वारा रिपोर्ट की गई "आंगनवाड़ी यूनियन ने कहा, कार्यकर्ताओं से की गई है छेड़छाड़ " शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने आई। एक सदस्यीय टीम ने दौरा किया था और संबंधित प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें दी थीं।

10. राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान में सुश्री जप्रीत कौर का एक ट्विटर पोस्ट आया है, जिसमें एक सप्ताह से एक अज्ञात नंबर यानी 6307908252 पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और उसे एमएमएस भेजा जा रहा है, जो पीड़िता के लिए दर्दनाक है। इस मामले को पुलिस आयुक्त, दिल्ली के साथ उठाया गया और बाद में, इसे दिल्ली साइबर सेल को भेज दिया गया।

11. राष्ट्रीय महिला आयोग ने मंगलुरु, कर्नाटक में दिनांक 11 फरवरी, 2022 को "हिजाब विवाद: प्रदर्शन कर रही 6 लड़कियों के फ़ोन नंबर सोशल मीडिया पर साझा किए गए, माता--पिता का आरोप" शीर्षक

से एक मीडिया पोस्ट देखी। इस मामले को डीजीपी, कर्नाटक के साथ उठाया गया था। इसके बाद कार्रवाई रिपोर्ट मिली।

12. राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के शाहदरा जिले में 27 जनवरी, 2022 को एनडीटीवी समाचार द्वारा रिपोर्ट की गई मीडिया पोस्ट "कथित बलात्कार-पीडिता परेड, दिल्ली में महिलाओं द्वारा शोर-शराबे में मारपीट" शीर्षक से स्वत: संज्ञान लिया है। मामला पुलिस आयुक्त, दिल्ली और डीसीपी शाहदरा के साथ उठाया गया था। इसके बाद, कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले को चार्जशीट कर दिया गया।

13. राष्ट्रीय महिला आयोग को मीडिया में दिनांक 20 जनवरी, 2022 को "बुजुर्ग महिला से तार हिल जाने पर चली गई घर की बिजली", पड़ोसन ने पीट पीट कर मार डाला, शीर्षक से एक पोस्ट मिली। इस मामले को डीजीपी, पंजाब के समक्ष उठाया गया था। इसके बाद कार्रवाई की रिपोर्ट मिली है।

14. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मीडिया पोस्ट देखी जिसका शीर्षक है "निहाल विहार में घर की छत पर महिला के साथ गैंगरेप" जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 17 जनवरी, 2022 को दिल्ली के निहाल विहार में रहने वाली एक विवाहित महिला का छत पर दो लोगों ने बलात्कार किया, जो उसके पड़ोसी भी थे। इस मामले को पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष उठाया गया और इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई।

15. राष्ट्रीय महिला आयोग ने वसीम अकरम त्यागी का एक ट्विटर पोस्ट दिनांकित 04 जनवरी, 2022 देखा, जिसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती का वीडियो संलग्न कर महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की गई है। मामले को डीजीपी, यूपी के साथ उठाया गया और बाद में, कार्रवाई रिपोर्ट में सूचित किया गया था कि मामले को चार्जशीट किया गया है।

16. आयोग ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जिले में एक महिला को उसके घर से बाहर घसीटने और पीटने का वीडियो संलग्न करने वाले ट्विटर पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया क्योंकि महिला का पति जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता है। आयोग ने पश्चिबंगाल के डीजीपी से दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के पत्र के माध्यम से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मामले में अंतरिम कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

17. मीडिया रिपोर्ट में कोच्चि, केरल में "फोटो शूट के बहाने महिला के साथ सामूहिक बलात्कार" शीर्षक दिया गया था, जिसमें कोच्चि के एक होटल में मॉडल बनने की इच्छा रखने वाली एक महिला के साथ तीन पुरुषों द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था। आयोग ने तुरंत डीजीपी, केरल को मामले की जानकारी दी और मामले के सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

18. आयोग ने "शिमला में कॉलेज छात्र की शिकायत पर प्रोफेसर बुक" शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें लड़की को उसके प्रोफेसर द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। आयोग ने हिमाचल प्रदेश के डीजीपी से आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।.

19. आयोग ने "मुंबई के कुर्ला इलाके में 20 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार, हत्या" शीर्षक वाली मीडिया पोस्ट का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें कथित तौर पर आरोप लगाया गया था कि मुंबई में एक 20 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। आयोग ने तुरंत मामले में

डीजीपी, महाराष्ट्र से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

20. आयोग ने "नर्सिंग होम में जच्चा-बच्चा की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का अरोप" शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया। आयोग ने तत्काल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव से जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि अभियुक्तों के विरूद्ध आंतरिक कार्यवाही की जा चुकी है।

21. राष्ट्रीय महिला आयोग ने नवभारत टाइम्स में दिनांक 21 नवम्बर, 2021 को रिपोर्ट की गई मीडिया पोस्ट देखी। बिहार में "ट्रेन रोककर युवती को नीचे उतारा और सामूहिक दुष्कर्म के बाद की हत्या" नामक एक मीडिया पोस्ट मिली है,जिसमें एक युवती को ट्रेन से खींचकर सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। आयोग ने तुरंत बिहार के डीजीपी से इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और साथ ही आयोग को अवगत कराने की मांग की। मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

22. राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार के बेगूसराय जिले का 17 नवम्बर, 2021 को रिपोर्ट किया गया मीडिया पोस्ट देखा, जिसमें लिखा था "बेगूसराय: सदर अस्तपाल में शव को नहीं मिला स्ट्रेचर, युवक के कंधे पर झूलती रही महिला की लाश" महिला ने दुर्घटना के समय लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, एक व्यक्ति ने उसके शरीर को अपने कंधों पर जिला अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन अस्पताल में कोई स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं थी। आयोग ने मामले में बिहार सरकार के मुख्य सचिव से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

23. राष्ट्रीय महिला आयोग को हरियाणा के जिला पलवल में "महिला को दो दिन तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म" नामक एक मीडिया पोस्ट मिली है, जिसे हिंदुस्तान टाइम्स ने दिनांक 24 नवम्बर, 2021 को रिपोर्ट किया था, जिसमें 2 पुरुषों ने पीड़िता से संपर्क किया और उसे नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई और बाद में दोनों आरोपी युवकों ने उसे खाट पर बांध दिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उन्होंने उसे सिगरेट और मोमबत्तियों से भी जलाया है। आयोग ने मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपियों को प्राथमिकता के आधार पर गिरफ्तार करने की मांग की है।

24. आयोग ने "मध्यप्रदेश में एक व्यक्ति ने जाति से बाहर शादी करने पर 25 वर्षीय बेटी का बलात्कार किया और फिर उसे मार डाला" शीर्षक वाली मीडिया पोस्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। पुलिस को 9 दिन बाद महिला का शव मिला था। आयोग ने मामले में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने और जल्द से जल्द की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने की मांग की है। कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

25. राष्ट्रीय महिला आयोग ने "गुरुग्राम में बार-टेंडर को किडनैप कर 5 लोगों ने किया गैंगरेप, फिर-चलती कार से फेंका" शीर्षक वाली एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया था। आयोग ने संबंधित पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित किया और मामले में तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया। मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

26. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ट्विटर पोस्ट देखा जिसका शीर्षक था "धनबाद के बलियापुर प्रखंड की रहने वाली 22 वर्षीय अलका कुमारी दोनो पैरों से दिव्यांग हैं। विकलांग पेंशन 2017 से आना बंद हो गया है, इनको काफी दिक्कत है, कृपया मामले को जल्द संज्ञान में लेकर इनकी मदद करें।" आयोग ने

अपने पत्र दिनांक 14 जून, 2021 के माध्यम से राज्य के मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि वे जरूरतमंद महिला को आवश्यक सेवा और सहायता प्रदान करें।

27. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया पोस्ट मिला है जिसका शीर्षक है "अफेयर" में महिला की पिटाई, बाल काटे गए, सात गिरफ्तार" आयोग के हस्तक्षेप के बाद मामले में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

28. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मीडिया पोस्ट देखी जिसका शीर्षक था "ट्विटर ने कई वर्षों तक यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति का गठन किए बिना काम किया" आयोग को ट्विटर से सूचना मिली कि 2019 में ट्विटर इंडिया द्वारा आंतरिक समिति का गठन किया गया था। कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक नहीं थी। साथ ही ट्विटर इंडिया की किसी भी महिला कर्मचारी की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है। कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई और आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

29. राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया पोस्ट का पता चला है जिसका शीर्षक है "मुस्लिम महिलाएं 'बिक्री पर' - वेबसाइट पत्रकार, कार्यकर्ताओं को लक्षित करती है, आक्रोश के बाद हटा दिया गया।" आयोग, धार्मिकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ मामले का पालन कर रहा है और संबंधित पुलिस को जांच की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। मामले में सुनवाई की गई और बाद में उक्त के संदर्भ में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

30. राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया पोस्ट का पता चला है जिसका शीर्षक है "केरल की महिला पर उसके भोजनालय में 'ग़ैर-हलाल' चिन्ह के लिए हमला किया गया" आयोग ने आयोग को सूचित करते हुए मामले में दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई रिपोर्ट डीजीपी, केरल से प्राप्त हुई।

31. राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया पोस्ट मिली जिसका शीर्षक था "कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती को दुष्कर्म के बाद जिंदा फूँका"। आयोग ने डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने की मांग की। मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

32. राष्ट्रीय महिला आयोग को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में "दोस्त के घर पर बलात्कार, धर्मांतरण का बनाया दबाव" शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट मिली है। आयोग ने आरोपियों के खिलाफ डीजीपी, उत्तर प्रदेश द्वारा कानून के अनुसार आयोग को सूचित करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

33. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ट्विटर पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें सुचिता तिवारी @सुचिता_1998 ने मीना कोतवाल @कोतवाल मीना के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुचित जातिवादी टिप्पणी की थी। आयोग ने संबंधित पुलिस को इस मामले की जाँच एवं यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अपराधी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधान के साथ जोड़ा जाए।साथ ही, रिपोर्ट की प्रति आयोग के साथ साझा करने के लिए कहा गया। इसके बाद, कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई और तदनुसार मामले को बंद कर दिया गया।

34. राष्ट्रीय महिला आयोग ने काठगोदाम जिले में "पुलिस का कहना है, परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए उत्तराखंड की महिला की हत्या" शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट का स्वत: संज्ञान लिया था। आयोग ने अपने पत्र दिनांक 01 नवम्बर, 2021 के माध्यम से संबंधित पुलिस को निर्देश दिया कि पीड़िता पर पूर्व नियोजित भीषण हमले, जिससे उसकी मौत हो गई के लिए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

35. राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया पोस्ट मिली जिसका शीर्षक था "मालदा में जमीन के मुद्दे पर गर्भवती महिला से मारपीट" आयोग ने अपने पत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2021 के माध्यम से संबंधित पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच करने और कथित राजनीतिक नेताओं और उनके समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले में सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इसके बाद कार्रवाई की रिपोर्ट मिली है।

36. राष्ट्रीय महिला आयोग को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में "महिला की आत्महत्या से मौत" शीर्षक से एक मीडिया पोस्ट का पता चला है। आयोग ने संबंधित पुलिस द्वारा इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

37. राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुंबई में एक मीडिया पोस्ट देखी जिसका शीर्षक था "सेक्स पेस्ट स्टार्ट्स स्टाकिंग टेकी लुकिंग फॉर अ फ्लैट"। आयोग ने संबंधित पुलिस से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई और बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

38. राष्ट्रीय महिला आयोग को उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले की "जेवर में दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं" शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट मिली है। आयोग ने संबंधित पुलिस को मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और पीड़ित को हुई चोट/हानि के लिए पीड़ित मुआवजा योजना के प्रावधान के अनुसार मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई और बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अध्याय -5

नीति, निगरानी एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ

5.1. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत जारी अधिदेश के अनुपालन हेतु आयोग, प्रत्येक वर्ष, वर्तमान मुद्दों से संबंधित लिंग आधृत विषयों पर सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन/कार्यशाला और अनुसंधान अध्ययन के संचालन हेतु अर्ध सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों आदि की सहभागिता से कार्य करता है।

5.2 अधिदेश के अनुपालनार्थ, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऑनलाइन अनुसंधान और वेबिनार प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए मई-जून, 2021 के महीने के दौरान सार्वजनिक नोटिस जारी किया। ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31.07.2021 किया गया। आयोग को शोध अध्ययन के लिए 362 प्रस्ताव और वेबिनार के लिए 903 प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रस्तावों की जांच के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग ने वित्त पोषण के लिए 14 शोध अध्ययन और 63 वेबिनार हों।

5.3 आयोग द्वारा प्रायोजित वेबिनार, संगोष्ठी एवं शोध-अध्ययनों की सूची **अनुलग्नक IV, V और VI** में संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत विषय हैं:

वेबिनार

i. अनिवासी भारतीय विवाह

ii. असमान वेतन: कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव

iii. एसिड अटैक: लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा

iv. महिलाओं का प्रजनन विकल्प: एक मौलिक अधिकार

शोध अध्ययन

i. महिला एवं सशक्तिकरण: संगठित और असंगठित क्षेत्र में वेतन असमानता

ii. महिलाओं का प्रजनन विकल्प

iii. महिलाओं के नेतृत्व के अधीन उद्यम और उनकी स्केलेबिलिटी के लिए चुनौतियां

iv. मीडिया और मनोरंजन उद्योग में लैंगिक असमानता

5.4. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त अनुसंधान अध्ययनों की प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई है:

(i) **संगठित क्षेत्र में महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा:** ओडिशा में उच्च शिक्षा के सार्वजनिक और निजी संस्थानों का तुलनात्मक विश्लेषण- उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत

(क) मैक्रो-लेवल अनुशंसाएँ

(i) प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम, 1961 में विशिष्ट संशोधनों के लिए सुझाव

- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 5(1) में 'प्रसूति प्रसुविधा' शब्द की व्याख्या प्रसूति प्रसुविधा अवकाश, चिकित्सा बोनस, गर्भपात अवकाश और बीमारी अवकाश से संबंधित भुगतान के रूप में की जानी चाहिए।
- अधिनियम की धारा 5(3) में "कोई संत्री" शब्द के लिए कानूनी स्पष्टीकरण सम्मिलित करने की आवश्यकता है। 'अतिथि संकाय' के रूप में काम करने वाली संविदा महिला कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों को प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करने के संबंध में जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, भले ही उन्होंने संगठन की सेवा स्थायी संविदा या अस्थायी संविदा (अतिथि संकाय) के रूप में 80 दिन या उससे अधिक समय तक की हो।
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में निषेधाज्ञा के रूप में स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें 'अर्जित छुट्टी' के खाते में गर्भपात छुट्टी, ट्यूबेक्टोमी छुट्टी और बीमारी की छुट्टी शामिल नहीं है, जो एक प्रकार का वार्षिक अवकाश है। इस प्रकार, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 की धारा 9, धारा 9क और धारा 10 को प्रभावी बनाने के लिए धारा 10 में संशोधन की आवश्यकता है।

(ii) केंद्र सरकार के लिए सिफारिशें

- पूरे देश के लिए "बच्चे की देखरेख संबंधी छुट्टी" पर एक समान कानून होना चाहिए। सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा एक समान कानून अपनाने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी के रूप में सभी सामाजिक श्रेणियों में महिलाओं की एकरूप श्रेणी निर्मित होती है।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिया जा सकता है कि वे निकटतम निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों को सम्मिलित कर 'चौपाल/क्लस्टर' का चयन करें और महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए पहचाने गए 'चौपाल/क्लस्टर' में एक शिशुगृह स्थापित करें।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में कम से कम एक शौचालय सहित विश्राम-कक्ष बनाने का निर्देश दिया गया है जो महिला कर्मचारियों के लिए आराम-स्थल के रूप में काम करेगा।
- शिशुगृह और विश्राम-कक्ष जैसे 'प्रसूति अनुकूल बुनियादी ढांचे' की स्थापना के बारे में ईमानदार होने के लिए राज्य विभागों को विशिष्ट कार्यकारी निर्देश जारी किए जाने चाहिएं। इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा संस्थानों के मूल्यांकन और संस्थान को अनुदान जारी करने के लिए एक पैरामीटर के रूप में माना जाना चाहिए।
- विभिन्न राज्यों के स्कूलों और कॉलेजों में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के मूल्यांकन पर आगे के शोध कार्य को राज्य सरकारों की सहायता से शुरू करने की आवश्यकता है जो शिक्षा क्षेत्र में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम न अपनाए जाने की एक बृहद तस्वीर प्रस्तुत करेगा।

(ख) सूक्ष्म स्तर की सिफारिशें

- शिक्षा मंत्रालय संस्थानों/संगठनों को निर्देश दे कि वे संविदा के आधार पर तथा अतिथि के रूप में संविदा के तौर पर हुई नियुक्तियों का डेटाबेस बनाएं। इस डेटाबेस की सहायता से उच्च शिक्षा विभाग यह जान सकता है कि संविदा के आधार पर तथा अतिथि के रूप में संविदा के तौर पर नियुक्त जन ने कितने वर्ष एक ही पदभार पर संस्था की सेवा की है।
- ओडिशा सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग और श्रम और रोजगार मंत्रालय के परामर्श से सभी महिला कर्मचारियों को उनकी नौकरी की स्थिति (नियमित या संविदात्मक) के बावजूद प्रसूति प्रसुविधा सुनिश्चित करवाने के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों के बीच प्रसूति प्रसुविधा की एक विस्तृत सूची प्रसारित करनी चाहिए।
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के प्रभावी क्रियान्वयन की समय-समय पर निगरानी हेतु निरीक्षक की नियुक्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया जाना चाहिए।
- संगठन में महिला एवं पुरुष कर्मचारियों तथा कार्यान्वयन प्राधिकरण के बीच प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। इस संबंध में राज्य महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग, गैर-सरकारी संगठन, कानूनी सहायता सहायक संगठनों और विश्वविद्यालयों की सहायता ली जा सकती है।

(ii) भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (बीआईआरडी) द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन

(क) कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए सिफारिशें

- संगठन को समय-समय पर सभी के लिए, विशेष रूप से सभी पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के लिए यौन उत्पीड़न विषयक प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए। संगठन में सभी को केस स्टडीज़ के आधार यह समझना चाहिए कि यौन उत्पीड़न क्या है और ऐसा होने पर क्या किया जाना चाहिए।
- उत्पीड़न का पता चलने पर तत्काल उचित कार्रवाई की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यही फिर से न दोहराया जाए, इस कार्यवाही में आरोपित कर्मचारी (कर्मचारियों) को अनुशासित करना या यहां तक कि आरोपित कर्मचारी (कर्मचारियों) को बाहर निकालना भी शामिल है। इसके अलावा, संगठन को उन परिस्थितियों/गतिविधियों की पहचान करनी चाहिए जिन्हें समय पर नियंत्रित किया जा सकता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी।
- संगठन में यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए नीति की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।

(ख) सरकार के लिए सिफारिशें

- आंतरिक परिवाद समिति की कार्यवाही में किसी नए या आंतरिक परिवाद समिति के प्रासंगिक क्षेत्र का अनुभव नहीं रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति के कारण न्यायसंगत और निष्पक्ष कार्यवाही

का अभाव हो सकता है। यह शिकायतकर्ता के हित के लिए हानिकारक साबित हो सकता है और आंतरिक परिवाद समिति की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि एक विश्वसनीय और अनुभवी बाहरी सदस्य की नियुक्ति के मानदंड और उनकी जिम्मेदारियों को शामिल करने के लिए 2013 के अधिनियम में संशोधन किया जाए।

- संविदा कर्मचारियों के बीच यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं की जाती है, इससे संबंधित निर्णय पूर्णतः मुख्य नियोक्ता पर निर्भर रहते हैं। ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं सहित किसी भी एजेंसी को यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए संसाधनों का निवेश करते हुए नहीं देखा जाता है, जबकि महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न और जीवन के लिए खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अनिवार्य रूप से सेवा समझौते में एक खंड प्रमुख नियोक्ताओं द्वारा शामिल किया जाना चाहिए जिससे ठेकेदार अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए प्रमुख नियोक्ता के सहयोग से काम करेंगे।

- जब भी शिकायत किसी वरिष्ठ पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ होती है तो शिकायतकर्ता के कैरियर के हितों की रक्षा करने में विफलता होती है जिसके कारण उसे सेवा से त्यागपत्र देना पड़ता या उसे बर्खास्त किया जाता है। अतीत के अनुभवों से पता चलता है कि नियोक्ताओं की श्रेणी में आने वाले पुरुषों के खिलाफ रिपोर्ट की गई सभी शिकायतों में, समितियां या तो अस्तित्वहीन थीं, अप्रभावी थीं या उन्होंने उस व्यक्ति को क्लीन चिट दे दी थी। ऐसी परिस्थितियों में यह महत्वपूर्ण है कि जांच एक बाहरी निकाय द्वारा की जाए जो उस व्यक्ति को रिपोर्ट नहीं कर रहा है जिससे समिति के सदस्यों पर दबाव पड़ने की संभावना कम होती है। अधिनियम 2013 की धारा 6 में प्रावधान है कि जब शिकायत नियोक्ता के खिलाफ हो तो स्थानीय समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए। हालांकि नियोक्ता की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट किए गए किसी भी मामले में धारा 6 को लागू और सक्रिय नहीं किया गया था। आंतरिक समितियों द्वारा पूछताछ की जा रही थी या की जा रही है, जिसमें कर्मचारी शामिल थे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवादी को रिपोर्ट करते थे।

- यौन उत्पीड़न से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए नियोक्ताओं की ओर से गंभीर कमियां हैं। जबकि भारत सरकार सरकारी कार्यालयों में के अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सक्रिय कदम उठा रही है, निजी क्षेत्र में निष्पादन की जांच करने के लिए तंत्र का अभाव है। राज्य की उदासीनता से जो क्षति हो रही है वह अक्षम्य और अपूरणीय है। सरकार को कॉरपोरेट क्षेत्र में अधिनियम के अनुपालन और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करना चाहिए।

- अधिनियम जवाबदेही का संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं करता है। विशेष रूप से, यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि यह सुनिश्चित करने का प्रभारी कौन है कि कार्यस्थल में अधिनियम का अनुपालन किया जाता है, और यदि इसके प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब तक राज्य सरकारों द्वारा कंपनियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है, अधिनियम केवल एक दंतहीन बाघ होगा और पीड़ित के पास एकमात्र

निवारण प्राथमिकी दर्ज करना होगा और जिसके परिणामस्वरूप बरी होने के लिए अंतहीन मुकदमे की प्रतीक्षा करनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाने चाहिएं कि निजी क्षेत्र के नियोक्ता दिशानिर्देशों को लागू करें।

- वरिष्ठ स्तर के किसी भी अनुचित दबाव से बचने के लिए, आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) को अनिवार्य रूप से एक तीसरे पक्ष को शामिल करना चाहिए जैसे कि एक गैर सरकारी संगठन जो यौन उत्पीड़न की चुनौतियों से परिचित हो।
- सरकार को कानून के उचित कार्यान्वयन हेतु काम करना होगा और इतना सख्त होना चाहिए कि अपराधी कुछ खामियों का फायदा उठाकर भाग न सके। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत निजी निकाय कुछ हेल्पलाइन नंबर आदि शुरू करें ताकि महिलाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपाय कर सकें।
- अधिनियम लिंग तटस्थ होना चाहिए। कानून को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि जांच से पहले एक पीड़ित महिला को बर्खास्त करने के मामले में क्या नियम है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन में सरकारी संस्थान, सभी सार्वजनिक निकाय, सभी पंचायत, कारखाना अधिनियम 1948 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र के सभी नियोक्ता, सशस्त्र बल, पुलिस, कृषि श्रमिक और छात्र/स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी शामिल होने चाहिएं।
- घरेलू कामगारों और उनके नियोक्ताओं को विशिष्ट जागरूकता बढ़ाने की पहल के माध्यम से लक्षित किया जाना चाहिए। घरेलू कामगारों की सुरक्षा के संबंध में अधिनियम में सुधार के लिए महाराष्ट्र घरेलू कामगार कानून को एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। अधिनियम के कार्यान्वयन में घरेलू कामगार संघों, निवासी कल्याण संघों, बाल कल्याण समिति को शामिल किया जाना चाहिए।
- अधिनियम कार्यान्वयन के लिए मुख्य जिम्मेदारी नियोक्ता को सौंपी जाती है और राज्य को बड़े पैमाने पर जिम्मेदारी के दायरे से बाहर कर देता है। स्थानीय शिकायत समिति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दों का समाधान करने के लिए सभी नियोक्ताओं को आंतरिक शिकायत समिति और राज्य सरकार को स्थानीय शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य होना चाहिए। यह नियोक्ता की भी जिम्मेदारी है कि वह समिति सदस्य का नाम एवं टेलीफोन न. की घोषणा करें एवं उसकी सूचना सभी कर्मचारियों को दें ताकि कोई भी व्यक्ति तत्संबंधी सूचना देने के लिए संपर्क कर सके और जानकारी दें या ऐसा करने में विफल रहने पर सरकारी अधिकारियों को कोई सजा न हो।
- अधिकांश यौन उत्पीड़न के मामलों में सामान्य रूप से यह पाया गया है कि नियोक्ता या व्यक्ति शिकायतकर्ता के खिलाफ जवाबी-शिकायतों के माध्यम से प्रतिशोध करता है, शिकायती की सेवाएं खारिज कर दी जाती है, कार्यालयीन वातावरण प्रतिकूल कर दिया जाता है। अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस पहलू से संबंधित है, जिससे महिलाओं के लिए अधिनियम के तहत तंत्र से संपर्क करना कठिन हो जाता है।

- यह आवश्यक है कि सभी संगठन, यौन उत्पीड़न जागरूकता और लिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाओं का संचालन करें। एक शिकायत समिति की स्थापना और एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति, यौन उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल के लिए एक मजबूत नींव रखती है। यह उन महिला कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करता है जो इन उपायों का सहारा ले सकती हैं। यौन उत्पीड़न को पहचानने, उसके होने पर उससे निपटने और इसे रोकने के लिए अपने सभी स्टाफ सदस्यों, पुरुषों और महिलाओं को संवेदनशील/प्रशिक्षित करने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं।
- शिकायत समिति के सदस्यों और नीति को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अन्य लोगों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना भी आवश्यक है। उनके प्रशिक्षण में लिंग संवेदीकरण का एक घटक शामिल होना चाहिए, साथ ही शिकायतें लेने की प्रक्रिया और पूछताछ आदि भी शामिल होनी चाहिए।

5.5. सेमिनार से निकले निष्कर्षों के आधार पर प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(i) "अपमानजनक संबंधों की पहचान और घरेलू हिंसा की रोकथाम"

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सक्रिय निर्देश के माध्यम से शैक्षिक निर्देशों में लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम का सुझाव प्राप्त किया जा सकता है।
- लापता बच्चों और संदिग्ध अपराधियों पर डेटा साझा करके पड़ोसी राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सहयोग को सुगम बनाना।
- सार्वजनिक और निजी स्थानों पर महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए पारगमन बिंदुओं, अंतर-स्तरीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के आसपास अतिरिक्त सतर्कता के लिए विशेष कार्य बल की स्थापना करें।
- पारिवारिक हिंसा नीति का उद्देश्य हो कि हिंसा को वहीं रोक दिया जाए जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए यह न माना जाए कि इसे रोकना पीड़िता की जिम्मेदारी है: हिंसा करने वालों को हमेशा उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अपराधियों की जवाबदेही के लिए एक सुसंगत और कठोर दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि पीड़ितों को सुरक्षित रखने के प्रयासों को और मजबूत किया जा सके।
- **महिलाओं के प्रति हिंसा पर लोक अधिकारियों के लिए नियमित और संस्थागत लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण;** जब नया कानून बनाया जाता है तभी संबंधित लोक अधिकारियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आयोजित किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें नवीन कर्तव्यों की जानकारी है और वे उनके उपयोग में सक्षम हैं; महिलाओं के प्रति हिंसा के पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सेवा प्रदाताओं के साथ निकट संपर्क बनाकर इस तरह के प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण का विकास एवं संचालन किया जाए।
- प्रशिक्षण प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और निरंतरता के लिए घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए विशेषज्ञ समूहों जैसे स्थायी ढांचे का निर्माण किया जाए। पुलिस प्रतिनिधि मंडलों के भीतर विशेष इकाईयों की

स्थापना की जाए और इन इकाईयों से ग्रहण की गई शिक्षा का मूल्यांकन किया जाए।

(ii) "महिलाओं का प्रजनन अधिकार - एक मौलिक अधिकार"

- महत्वपूर्ण विचार यह है कि एक महिला की निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रजनन विकल्पों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जैसे कि यौन गतिविधि में भाग लेने से इनकार करना या गर्भनिरोधक विधि पर जोर देना।
- एक महिला की प्रजनन पसंद के संबंध में कानूनी प्रावधान के साथ मुख्य समस्या ऐसे कानूनों का निर्माण और उनका कार्यान्वयन है।
- सिफारिश: मादा प्रजनन चक्र के मुद्दे को वर्जित या अशुद्धता के रूप में नहीं बल्कि जीवन के एक चक्र के रूप में निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। मामले की जड़ लोगों की 'मानसिकता' को बदलना है।
- पितृत्व अवकाश के मुद्दे का प्रसार सभी क्षेत्रों के कार्यबल में करने की आवश्यकता है।
- पुत्तुस्वामी के फैसले के अनुसार महिलाओं के निजता और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा के लिए गर्भनिरोधक जानकारी और सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच, स्वीकार्यता और गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे केवल स्थानीय, राज्य और राष्ट्र स्तरीय हितधारकों के साथ एजेंसियों के सम्मिलन द्वारा ही महसूस किया जा सकता है।

(iii) "असमान वेतन: कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव"

- **न्यूनतम वेतन बढ़ाएँ:** निम्न वेतनीय कार्यों जैसे कामगार क्षेत्र की नौकरियों और टिप रोजगार में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व, ऐसे कारक हैं जो लिंग वेतन के अंतर में योगदान करते हैं। चूंकि श्रमिकों में दो-तिहाई प्रतिनिधित्व महिलाओं का है, जो फेडरेल न्यूनतम वेतन प्राप्त करती हैं, महिलाओं को गरीबी से बाहर निकालने के लिए तथा लिंग वेतन अंतर को कम करने के मामले में बिना किसी लिंग भेद के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का तत्काल प्रभाव पड़ेगा। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने से सभी कम वेतन वाले श्रमिकों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- **वेतन पारदर्शिता बढ़ाएँ:** राष्ट्रीय स्तर के नीतिगत प्रस्ताव जैसे पे चेक फेयरनेस एक्ट, अपने वेतन का खुलासा करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिशोध का निषेध और वेतन भेदभाव हेतु दंड में वृद्धि करके लिंग वेतन अंतर को कम करने में मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप नहीं जानते कि आपके साथी कितना कमा रहे हैं, तो यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि आपको उचित मुआवजा दिया जा रहा है या नहीं।
- **वेतन पर काम करने वाले परिवारों और प्रसूति अवकाश का विस्तार:** वैतनिक परिवार और चिकित्सा अवकाश से संबंधित अपर्याप्त नीतियां लिंग वेतन अंतर में योगदान देती हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि घर की देखभाल महिलाओं की प्राथमिकता होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें काम से छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो उच्च वेतन अंतर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मजबूत सवेतन परिवार और मातृत्व अवकाश के कार्यान्वयन से अधिक महिलाओं को कार्यबल में बने रहने और वर्तमान में होने वाली कमाई में गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी।

- **वेतन असमानताओं को ठीक करें:** जब काम पर रखने की प्रथाओं और वेतन वार्ता की बात आती है तो पूर्वाग्रह और लिंग अंतर का मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि नियोक्ताओं और मानव संसाधन प्रतिनिधियों को संगठन के भीतर लिंग वेतन अंतर को ठीक करने के लिए कदम उठाने चाहिए। व्यक्तिगत नियोक्ता एक कर्मचारी वेतन की नियमित जांच और समायोजन करके, समान कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के उद्भव के साथ व्यवसायों को तकनीक आधारित हायरिंग समाधानों के साथ सतर्क आशावाद को नियोजित करना चाहिए क्योंकि वे लिंग और नस्ल के प्रति सचेत हायरिंग को सक्षम करके लिंग और नस्ल के प्रति सचेत हायरिंग को रोक सकते हैं।
- **मोबाइल प्रवासी संसाधन केंद्र (एमएमआरसी) की स्थापना** पंजीकरण/नवीकरण के सुचारू संचालन के साथ-साथ वित्तीय समावेशन, योग्यता, सामाजिक सुरक्षा आदि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए की जा सकती है। इस कार्य को गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BoCW), श्रम विभाग और राज्य सरकारों के सहयोग से सुगम बनाया जा सकता है।
- **अवैतनिक देखभाल कार्य की मान्यता:** नीतियों को अवैतनिक देखभाल के प्रावधान में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को पहचानना चाहिए, अवैतनिक काम की कड़ी मेहनत को कम करना और अवैतनिक काम (महिलाओं से पुरुषों और परिवार से समुदायों और राज्य तक) का पुनर्वितरण करना चाहिए, इस प्रकार वास्तविक लिंग समानता के लिए आधार तैयार करना चाहिए।

(iv) एसिड अटैक: लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सक्रिय निर्देश के माध्यम से शैक्षिक निर्देशों में लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम का सुझाव दिया जा सकता है।
- भारत के विधि आयोग ने अपनी 226वीं रिपोर्ट में कहा है कि तेजाब हमले की अधिकतर शिकार महिलाएं विशेष रूप से युवतियां हैं, जो शादी के प्रस्तावों को अस्वीकार करने, दहेज से इनकार करने आदि के लिए होती हैं, जो वादकारियों को उकसाती हैं। एसिड अटैक का इस्तेमाल महिला की पहचान के प्राथमिक रूप को नष्ट करके चुप कराने और नियंत्रित करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है।
- अधिकारियों को "क्षतिपूर्ति का आकलन" यानी मौद्रिक नुकसान, मनोवैज्ञानिक कल्याण, शारीरिक कल्याण, रिपोर्टिंग विनियमन कार्य / कार्य समय / पारिवारिक समय के नुकसान के लिए सहायता पर ध्यान देना चाहिए।
- सभी एसिड विक्रेताओं को खरीदारों की पहचान, खरीद के कारणों और बेची गई मात्रा को दर्ज करना होगा। वैध उपयोगकर्ताओं जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को संक्षारक तरल पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

अध्याय -6

महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ

6.1. राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में यौन उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में गठित आंतरिक समितियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया।.

6.2. माननीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा की अध्यक्षता में दो सदस्यीय टीम, डॉ. राजुलबेन एल देसाई, सदस्य रा.म.आ. के साथ-साथ सुश्री नाज़िया अहमद ने 20.07.2021 (मंगलवार) को वृंदावन, मथुरा का दौरा किया और वृंदावन में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। कृष्णा आर्किड वृंदावन में आयोजित बैठक के दौरान श्री नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी मथुरा, श्री आनंद कुमार, पुलिस अधीक्षक और श्री अनुराग श्याम रस्तोगी, परिवीक्षा अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक को सलाह दी गई कि घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित आयोग द्वारा प्रेषित सभी मामलों पर ध्यान दें और लंबित मामलों की कार्रवाई रिपोर्ट तुरंत भिजवाएँ। टीम ने दो स्वाधार महिला आश्रय सदन नामत: कृष्णा कुटीर और चैतन्य विहार का निरीक्षण किया, जिसका उद्देश्य विधवा और उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त महिलाओं को आश्रय प्रदान करना है। कृष्णा कुटीर के दौरे के दौरान डॉ. रचना गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम भी मौजूद थी। टीम ने परमहंस योगानंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वृंदावन द्वारा संचालित एक निजी शेल्टर होम का भी औचक निरीक्षण किया। दौरे के दौरान पता चला कि इस शेल्टर होम में 42 महिलाएं रह रही थीं और सभी पश्चिम बंगाल की थीं। केंद्र प्रमुख ने टीम को बताया कि पिछले साल 08 महिला निवासियों को उनके परिवारों के साथ मिलाया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि शेल्टर होम की सालाना सामाजिक लेखा परीक्षा और आयकर लेखा परीक्षा की जाती है। महामारी COVID-19 स्थिति के कारण, केवल आंतरिक गतिविधियाँ की जाती हैं और निवासियों को किसी भी कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है।

6.3. 'एसिड अटैक: एक जघन्य अपराध-'निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष' पर परामर्श

एसिड अटैक पर आयोग ने दो दिवसीय ऑनलाइन परामर्श का आयोजन किया: दिनांक 10 मई, 2021 और 11 मई, 2021 को एसिड अटैकःएक जघन्य अपराध- 'निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष' पर देशभर में एसिड हमलों के अपराधों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के लिए, जिसमें विविध क्षेत्रों- सरकारी संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों, कानूनी सेवा प्रदाताओं और गैर-सरकारी संगठनों (एसिड अटैक पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए काम करने वाले) के प्रख्यात वक्ताओं / पैनलिस्टों ने भाग लिया और अपने विचार और अनुभव साझा किए।

अध्याय -7

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहल - पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

7.1. राष्ट्रीय महिला आयोग ने नागालैंड राज्य महिला आयोग के सहयोग से 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं की तस्करी का प्रतिरोध और रोकथाम' विषय पर विमर्श हेतु दिनांक 08 मई, 2021 को एक वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया, जो क्षेत्र में महिलाओं की तस्करी से निपटने और रोकने के लिए उपयुक्त रणनीतियों और नीतियों के लिए मुद्दों और सिफारिशों की व्यापक समझ में परिणामित हुई।

7.2. राष्ट्रीय महिला आयोग ने अरुणाचल राज्य महिला आयोग के सहयोग से दिनांक 11 जून, 2021 को 'अरुणाचल प्रदेश में बहुविवाह के मुद्दे का समाधान' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का उद्देश्य इस विषय पर विचार-विमर्श की सुविधा प्रदान करना और अरुणाचल प्रदेश में बहुविवाह के पहलुओं पर सुझाव और सिफारिशों को समझना था।

7.3. वेबिनार और अनुसंधान प्रस्ताव (2021-22)

क. वेबिनार

प्रस्ताव	ऑनलाइन प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या	विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत कुल प्रस्ताव	वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित कुल प्रस्ताव
चरण 1	47	10	**25**
चरण 2	26	15	

ख. अनुसंधान

प्रस्ताव	ऑनलाइन प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या	विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत कुल प्रस्ताव	वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित कुल प्रस्ताव
अनुसंधान	17	9	**8**

7.4 **राज्य**(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम, 2013) के तहत आंतरिक समिति(आईसी) सदस्यों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने तथा साथ-साथ उनसे संबंधित राज्यों में सेमिनार और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

7.5. राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर राज्य महिला आयोग के लिए दिनांक 15 से 16 सितंबर, 2021 तक इम्फाल में आयोजित 2 दिवसीय सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सम्मेलन का प्रायोजन किया। इसमें विभिन्न विषयों

को कवर करने वाले 3 तकनीकी सत्र थे। प्रत्येक सत्र की अध्यक्षता और सह-अध्यक्षता विशिष्ट क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियों द्वारा की गई और उसके बाद बातचीत और चर्चा की गई।

7.6. राष्ट्रीय महिला आयोग ने वेबिनार आयोजित करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र से अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा 2 शोध अध्ययन और 6 वेबिनारों का वित्त पोषण किया गया है।

7.7 आयोग ने स्नातक/स्नातकोत्तर महिला छात्राओं के लिए 'क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (सीबी एंड पीडीपी)' शुरू किया है। प्रशिक्षण सहज, तार्किक और महत्वपूर्ण सोच, संचार और पारस्परिक कौशल के उपयोग को सीखने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, और डिजिटल साक्षरता पर भी ध्यान देगा। इस प्रकार कौशल एवं व्यवहार के समिल्लित प्रभाव से रोजगार क्षमता का विकास होगा। अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा 8 ऐसे वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं।

क्र. सं.	कॉलेज	आयोजित वेबिनार की संख्या
1.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, असम	1
2.	सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज, बर्टुक, सिक्किम	1
3.	सिक्किम विश्वविद्यालय	1
4.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम	2
5.	के के हैंडिक विश्वविद्यालय, असम	5
6.	सेंट एडमंड्स कॉलेज, शिलांग	1
7.	प्रणबानंदा महिला कॉलेज, नागालैंड	1
8.	सेलेसियन कॉलेज, नागालैंड	1
9.	नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी , मेघालय	4
	योग	**17**

7.8. आयोग ने दिनांक 21.12.2021 - 22.12.2021 को चाय बागान की महिला श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता/कार्य वातावरण के निरीक्षण के लिए डिब्रूगढ़, असम के चाय बागानों का दौरा किया।

7.9. असम में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर दिनांक 22.12.2021 को असम के पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ असम के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई।

7.10. पशुधन पालन परियोजना:

पशुधन प्राथमिक आजीविका गतिविधि है जिसका उपयोग घरेलू भोजन की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पूर्वोत्तर में कृषि आय के लिए किया जाता है और चूंकि पशुधन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से घरेलू आय में सुधार के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करता है। पूर्वोत्तर के लिए पशुधन पालन क्षेत्र में महिला क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक, पूर्वोत्तर में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और असम और त्रिपुरा में प्रशिक्षण शुरू हो गया है:-

क्रम सं.	राज्य
1.	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, त्रिपुरा
2.	असम कृषि विश्वविद्यालय
3.	कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर
4.	कृषि विश्वविद्यालय, मिजोरम

7.11. नस्लीय विविधता संवेदीकरण पर संगोष्ठी:

सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की घोषणा की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए 26 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM), पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) और दिल्ली पुलिस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई (SPUNER) के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने **नस्लीय विविधता संवेदीकरण** पर एक संगोष्ठी का आयोजन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि - डॉ राजकुमार रंजन सिंह, विदेश राज्य एवं शिक्षा राज्य मंत्री, सम्मानित पैनलिस्ट और हितधारक संगठनों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी और अन्य अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्य महिला आयोगों, विभिन्न मंत्रालयों/राष्ट्रीय आयोगों के सरकारी अधिकारियों, दिल्ली में राज्य भवन के रेजिडेंट कमिश्नरों, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, आरडब्ल्यूए, गैर सरकारी संगठन / सिविल सोसाइटी संगठन और विभिन्न विश्वविद्यालयों / कॉलेजों के संकाय सदस्य / छात्रों सहित लगभग 1400 लोगों ने भाग लिया ।

अध्याय -8

महिला कल्याण एवं क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ

8.1. 'महिलाओं के कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्य' पर वेबिनार:

महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कई हैं और लिंग असमानता, कम उम्र में शादी, घरेलू हिंसा और यौन शोषण, कुपोषण, गरीबी, निरक्षरता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित हैं। इसी विचार के साथ, आयोग ने 27 अप्रैल 2021 को 'महिलाओं के कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्य' पर वेबिनार का आयोजन किया, ताकि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के भीतर लिंग, वर्गीय असमानताओं को दूर किया जा सके और वकालत और संवेदीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता में सुधार किया जा सके।

विचार-विमर्श निमनलिखित पर केंद्रित था:

क. स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण का महत्व

ख. कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे: असंगठित और संगठित क्षेत्र

ग. स्थायी मासिक धर्म अभ्यास

घ. महिला स्वास्थ्य: राज्य और शासन

8.2. राज्य महिला आयोग के साथ संवादात्मक बैठक:

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत के साथ, आयोग ने गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा सहायता आवश्यकता हेतु एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए आयोग ने दिनांक 29 अप्रैल, 2021 को राज्य महिला आयोग के साथ एक संवादात्मक बैठक की और राज्य महिला आयोग से अपने-अपने राज्यों में इस पहल को दोहराने का आग्रह किया। इसे आगे बढ़ाते हुए, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित एजेंडा बिंदुओं के साथ दिनांक 10 जून 2021 को राज्य महिला आयोगों के साथ एक और बैठक की:

i. एम्बुलेंस की खरीद सहित गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा सहायता की बेहतर सुविधा के लिए सिफारिश की मांग

ii. तत्काल हस्तक्षेप के मामलों में राज्य महिला आयोग के संपर्क के पहले बिंदु के रूप में पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति

iii. जागरूकता कार्यक्रमों/शिविरों/वेबिनार और संगोष्ठियों के आयोजन के लिए राज्य महिला आयोगों (एसडब्ल्यूसी) को वित्तीय सहायता प्रदान करना

8.3. वेबिनार: 'दैनिक जीवन में योग को शामिल कर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार'

दुनिया ने वर्ष 2015 से 21 जून को योग-उत्सव के रूप में समर्पित किया है। योग की इस महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव "कल्याण के लिए योग" पर केंद्रित है - कैसे योग का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। इसी पृष्ठभूमि और उत्साह में, आयोग ने 21 जून, 2021 को हमारे दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करने के महत्व और विभिन्न जीवन चक्रों के माध्यम से महिलाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने पर एक आभासी चर्चा का आयोजन किया। आयोग ने प्रख्यात व्यावसायियों के साथ इस विषय पर व्यापक और सार्थक बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है।

विचार-विमर्श में योग के लाभों पर ध्यान दिया जाएगा:

i. भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में प्रगति;

ii. संवेदनशीलता पैदा करना: हार्मोन चक्र में सहायता के लिए योग और पोषण;

iii. मासिक धर्म प्रबंधन और प्रजनन क्षमता में सहायक;

iv. प्रसव (गर्भावस्था और प्रसवोत्तर);

v. रजोनिवृत्ति से पहले की अवधि और रजोनिवृत्ति के बाद की अवधि

8.4. 'पुरुषत्व और अंतरंग साथी द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा' पर वेबिनार:

अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा व्यापक है और इसका महिलाओं के कल्याण और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह न केवल शारीरिक चोट का कारण बनता है, बल्कि यह पीड़ित, अपराधी और पूरे समाज के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक कल्याण को भी कमजोर करता है। महिलाओं के खराब स्वास्थ्य में इसका बड़ा योगदान है। महिलाओं के जीवन में हिंसा की गतिशीलता को समझने के लिए, यह क्या है, यह क्यों होती है, कैसी प्रतिक्रिया दी जाए और व्यक्तियों और समुदायों के जीवन में इसके प्रभाव को समझने के लिए आयोग ने 16 जुलाई 2021 को 'महिलाओं और लड़कियों के प्रति अंतरंग साथी हिंसा' पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

विचार-विमर्श निमनलिखित पर केंद्रित था:

i. मर्दानगी, अंतरंग साथी हिंसा (आईपीवी) और खराब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध, चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा रहा है।

ii. मामले की जटिलता को समझना।

iii. अंतरंग साथी हिंसा और भारत में लिंग चयन की प्रथा को कैसे रोकें।

8.5. MyGov पोर्टल के माध्यम से 'महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागरूकता' पर खुली प्रश्नोत्तरी: आयोग ने 15 जुलाई, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक MyGov पोर्टल के माध्यम से 'महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागरूकता' विषय पर एक खुली प्रश्नोत्तरी शुरू की। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के बीच समानता, समावेशिता और विविधता के मूल्यों को विकसित करना है, जो एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक

हैं। इसके अलावा, महिलाओं से संबंधित कानूनों का ज्ञान न केवल युवा दिमाग के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण है; यह नागरिकों को सही मूल्यों, आत्म-अनुशासन और राष्ट्रीय भावना के निर्माण में भी मदद करेगा। प्रश्नोत्तरी के तहत कुल 53,370 प्रतिभागियों की संख्या दर्ज की गई।

8.6. राज्य महिला आयोगों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: राष्ट्रीय महिला आयोग ने रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (आरएमपी), मुंबई के सहयोग से राज्य महिला आयोगों के पदाधिकारियों के लिए दिनांक 30 जुलाई से 01 अगस्त, 2021 तक उनकी क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण सत्र निम्नलिखित पर केंद्रित:

i. राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग की भूमिका, उत्तरदायित्व और दायरा
ii. महिला और कानून
iii. महिलाओं के लिए सरकारी नीतियां
iv. मनोरंजन कार्यक्रम
v. एक संस्था के रूप में परिवार व्यवस्था और महिलाओं की भूमिका
vi. वाणिज्यिक और यौन शोषण के मुद्दे
vii. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तस्करी
viii. राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग एवं महिला एवं बाल विभाग के बीच समन्वय
ix. नेतृत्व कौशल

8.7. ग्रामीण भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण: राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए दिनांक 27 सितंबर, 2021 को नई दिल्ली में देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया:

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के प्रयास में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। आयोग डेयरी फार्मिंग और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं की पहचान और मूल्यवर्धन, गुणवत्ता वृद्धि, पैकेजिंग और डेयरी उत्पादों के विपणन जैसे अन्य पहलुओं में प्रशिक्षण के लिए पूरे भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहा है। परियोजना का उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रक्रिया के साथ डेयरी उत्पादों के निर्माण और विपणन और महिलाओं को सशक्त बनाने में गांवों से अपार क्षमता का दोहन करना है।

परियोजना के तहत पहला कार्यक्रम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा में महिला स्वयसेवी समूहों के लिए 'मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद' पर आयोजित किया गया था।

आयोग को प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों के तहत 32 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों (कृषि विज्ञान केंद्र) से प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके तहत कुल 194 प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए गए। अब तक

कुल 920 लाभार्थियों के साथ 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं। वर्ष 2022-23 के लिए और अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित हैं।

8.8. रा.म.आ ने दिनांक 20 सितंबर, 2021 को महिला छात्राओं के लिए देशव्यापी क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम शुरू किया:

महिलाओं को स्वतंत्र और रोजगार के लिए तैयार करने के प्रयास में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक देशव्यापी क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम शुरू किया है। आयोग ने केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ व्यक्तिगत क्षमता निर्माण, व्यावसायिक कैरियर कौशल और डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर सत्र आयोजित करने के लिए सहयोग किया ताकि महिला छात्रों को नौकरी के बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार किया जा सके। पाठ्यक्रम रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सहज, तार्किक और महत्वपूर्ण सोच, संचार और पारस्परिक कौशल के उपयोग को सीखने और लागू करने पर केंद्रित है। पाठ्यक्रम को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है; व्यक्तिगत क्षमता निर्माण, व्यावसायिक कैरियर कौशल और डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग। अब तक 36,839 लाभार्थियों के साथ कुल 190 वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं।

8.9. चौथा पोषण माह समारोह: आयोग ने इस अवसर को चिह्नित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

i. दिनांक 8 सितंबर, 2021 को 'टॉकिंग मेनोपॉज: स्वास्थ्य और पोषण' पर वेबिनार

आयोग ने एक वर्चुअल चर्चा का आयोजन किया जिसके माध्यम से विशेषज्ञों ने इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया। **मेनोपॉज** के बारे में न केवल महिलाओं के बीच अपितु आमतौर पर जागरूकता बढ़ाने एवं विषय से जुड़े कलंक को कम करने में महत्वपूर्ण है। समझ की यह कमी कई महिलाओं को जीवन के इस प्राकृतिक चरण के बारे में भय से भर देती है और दुखी कर देती है। किसी के शरीर पर इसके प्रभाव की व्यापक समझ विकसित करके, यह याद रखने में मदद मिल सकती है कि यह महसूस करना असामान्य नहीं है कि आपका शरीर नाटकीय रूप से या समान रूप से बदल रहा है।

विचार्र-विमर्श का जुड़ाव निम्नलिखित विषयों से था:

- समझ: मेनोपॉज, पेरिमेनोपॉज़ और पोस्टमेनोपॉज़
- लक्षण और स्वास्थ्य पर प्रभाव
- लक्षण प्रबंधन
- संलग्न मिथकों और वास्तविकताओं की समीक्षा करना
- जोखिम कम करना

ii. 30 सितंबर 2021 को 'आपकी रसोई में पोषण' पर टॉक शो

आयोग ने 'आपकी रसोई में पोषण' विषय पर एक वर्चुअल टॉक शो का आयोजन किया। विशेषज्ञ वक्ता ने उन खाद्य पदार्थों और आहारों पर ध्यान केंद्रित किया जो हमारे घर पर आसानी से उपलब्ध हैं और

उनके उपभोग का सबसे सही तरीका क्या रहेगा। चर्चा में, 4 अलग-अलग चरणों में महिलाओं की पोषण आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था, यानी मासिक धर्म वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और मेनोपॉज और मेनोपॉज के बाद की महिलाएं।

iii. निबंध लेखन प्रतियोगिता (https://innovateindia.mygov.in/poshan-maah-open-essay-writing-competition/)

आयोग ने जागरूकता पैदा करने और लोगों के बीच पोषण की स्थिति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की है, जो 9 से 30 सितंबर 2021 तक जारी रही। प्रतियोगिता के तहत कुल 839 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

प्रतियोगिता सभी के लिए थी। प्रतिभागियों को निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था:

- सही खाना- मेक माय प्लेट;
- महिलाओं में बेहतर पोषण के लिए काम कर रहे पुरुष;
- महिला संघ की सफलता का निर्माण: बेहतर पोषण के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना;
- कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को तोड़ना।

iv. पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता (https://www.mygov.in/task/open-poster-making-competition/?target=inapp&type=task&nid=323401)

आयोग ने जागरूकता पैदा करने, पोषण की स्थिति को बढ़ावा देने और जनता की रचनात्मक प्रवृत्ति का पता लगाने के उद्देश्य से MyGov पोर्टल के माध्यम से एक ओपन पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता 6 से 30 सितंबर 2021 तक तक जारी रही, जिसमें कुल 1484 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं ।

प्रतियोगिता सभी के लिए खुली थी। शामिल किए गए विषय नीचे दिए गए हैं:

- सही खाना- मेक माय प्लेट;
- महिलाओं में बेहतर पोषण के लिए काम कर रहे पुरुष;
- महिला संघ की सफलता का निर्माण: बेहतर पोषण के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना;
- कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को तोड़ना।

v. 03 नुक्कड़ नाटक:

आयोग ने पोषण माह उत्सव के तहत 'पोषण से रोशन' विषय पर नुक्कड़ नाटक तैयार करने के लिए थिएटर ग्रुप-अनुष्ठान को काम पर रखा। टीम ने विषय पर आधारित नाटक का प्रदर्शन 03 स्थानों पर किया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है;

- सैन विहार, गाजियाबाद (26 सितंबर 2021)

- कीर्ति नगर स्लम एरिया दिल्ली (30 सितंबर 2021)
- मुनीरका स्लम एरिया दिल्ली (30 सितंबर 2021)

vi. राज्य महिला आयोगों के साथ पोषण माह गतिविधियां

आयोग ने मणिपुर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और गोवा राज्यों में चौथा पोषण माह 2021 मनाने के लिए राज्य महिला आयोंगों (SWCS) द्वारा शुरू की गई विभिन्न जागरूकता गतिविधियों को वित्त पोषित किया।

8.10 चरण II - अखिल भारतीय परियोजना: नालसा के साथ कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए पायलट प्रोजेक्ट- 'कानूनी जागरूकता कार्यक्रम' के सफल समापन ने आयोग को शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ दिनांक 30.10.2021 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। **अखिल भारतीय परियोजना ने 28 राज्यों और 08 केंद्र शासित प्रदेशों** के सभी जिलों को कवर किया। दिसंबर 2021 तक लगभग **1,30,895 उपस्थित** लोगों के साथ पूरे देश में कुल **965 कार्यक्रम** आयोजित किए गए हैं। कुल शिविरों में से, गैर-पूर्वोत्तर में 1,25,176 प्रतिभागियों के साथ 889 शिविर आयोजित किए गए और पूर्वोत्तर में 5,719 प्रतिभागियों के साथ 76 शिविर आयोजित किए गए।

8.11 महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए गतिविधियाँ:

लिंग आधारित हिंसा कभी भी हमारे लिए अजनबी नहीं रही है और पीड़ितों के अलगाव और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और कभी-कभी उन पर वित्तीय नियंत्रण के साथ पहचान की गई है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा (VAWG) भेदभाव का एक रूप है जिसमें महिलाओं के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है और कई तात्कालिक और दीर्घकालिक नुकसान होते हैं। इसका स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बच्चों, परिवारों, समुदायों और पूरे समाज पर पड़ता है। दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों में प्रगति के बावजूद, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा सबसे व्यापक मानवाधिकारों के हनन में से एक है।

8.12. आयोग ने जागरूकता फैलाने और सक्रियता के सोलह दिनों का जश्न मनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

क. MyGov के माध्यम से ओपन क्विज प्रतियोगिता

ख. MyGov के साथ निम्नलिखित विषयों पर कविता लेखन प्रतियोगिता:

i. Finding Freedom;

ii. मैं हूँ आज की नारी

iii. They say: This was My Fate

iv. आवाज़ उठा

v. Breaking the Silence against Violence

ग. MyGov में इस विषय पर खतरे को समाप्त करने के लिए लोगों का सुझाव आमंत्रित करना:

i. Breaking the Silence against Violence

घ. **"लैंगिक हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज को समझो"** पर एक आभासी चर्चा

ङ. नुक्कड़ नाटक: थीम **'महिलाओं के प्रति हिंसा के उन्मूलन पर जागरूकता'**

8.13. "लैंगिक संवेदीकरण और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम" पर प्रश्नोत्तरी: आयोग ने दिनांक 14 नवंबर, 2020 को MyGov पोर्टल के माध्यम से एक ओपन 'लिंग संवेदीकरण और कानूनी जागरूकता प्रश्नोत्तरी'' का शुभारंभ किया। प्रश्नोत्तरी की अवधि को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया था क्योंकि 58,906 प्रतिभागियों की अच्छी संख्या दर्ज की गई थी।

कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर लड़कों और लड़कियों के बीच समानता, समावेशिता और विविधता के मूल्यों को विकसित करना है, जो एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, महिलाओं और लिंग संवेदीकरण से संबंधित कानूनों का ज्ञान न केवल युवा दिमाग के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण है; यह छात्रों को सही मूल्यों, आत्म-अनुशासन और राष्ट्रीय भावना के निर्माण में भी मदद करेगा।

8.14. राज्य महिला आयोगों के साथ संवादात्मक बैठक:

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 1 फरवरी 2021 को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव/ प्रतिनिधियों के साथ एक ऑनलाइन संवादात्मक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने की। सदस्य, सदस्य सचिव और राष्ट्रीय महिला आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सोलह राज्य महिला आयोगों के अध्यक्ष/प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। यह संवाद सत्र राज्य महिला आयोगों के साथ इंटरफेस बढ़ाना रा.म.आ. के निरंतर प्रयास का हिस्सा था। बैठक का एजेंडा नीचे दिया गया है:

i. 26 अगस्त, 2020 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर राज्य महिला आयोगों द्वारा की गई कार्रवाई।

ii. महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य महिला आयोगों द्वारा की गई पहल। आगे के सुझाव और कदम जो राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस संबंध में सामूहिक रूप से उठाए जा सकते हैं।

iii. निम्नलिखित पहल में राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता करना:

क. महिलाओं के लिए निजी आश्रय गृह चलाने वाले गैर-सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों का सामाजिक अंकेक्षण;

ख. राज्य महिला आयोग अपने-अपने राज्यों में 10 उच्च प्रदर्शन करने वाली महिला उद्यमियों की पहचान कर उनकी सूची सम्बंधित राज्यों से साझा करें। (इंडिया एसएमई फोरम और एमएसएमई के साथ उद्यमिता में महिलाओं को सशक्त बनाना);

ग. बलात्कार पीड़ितों को संभालने के लिए गृह मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना।

घ. राज्य महिला आयोग अपने संबंधित राज्यों में पंचायत स्तर पर उपलब्ध सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के साथ नेटवर्क की सुविधा प्रदान करें।

8.15. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस – 2022 का आयोजन

i. **शी द चेंज मेकर #वोरस्तेनाथेआसान:** राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'शी द चेंजमेकर #वोरस्तेनाथेआसान:' मनाया। यह उत्सव उन सभी असाधारण महिलाओं के प्रति सम्मानीय दृष्टि का परिचायक है। जिन्होंने हर रूढ़िवादिता को तोड़ा और न केवल अपने लिए अवसर पैदा किए बल्कि अपने आसपास की महिलाओं का भी उत्थान किया। आयोग ने उन बहादुर महिलाओं और नेताओं को आमंत्रित किया जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और लाखों महिलाओं को प्रेरित किया है, जिन्होंने कभी बदलाव करने का सपना देखा था।

   सुश्री अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा राज्य मंत्री ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस आयोजन के लिए प्रख्यात वक्ताओं में सुश्री टेसी थॉमस प्रतिष्ठित वैज्ञानिक (कर्नाटक), सुश्री कल्पना सरोज सीईओ, कमानी ट्यूब्स (महाराष्ट्र), सुश्री वर्तिका शुक्ला अध्यक्ष, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (नई दिल्ली), सुश्री इशरत अख्तर पैराथलीट बास्केटबॉल खिलाड़ी (जम्मू और कश्मीर), सुश्री अनीता कुंडू पेशेवर पर्वतारोही, न्यायमूर्ति एस विमला, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, मॉडरेटर: सुश्री जस्सी ढिल्लों शामिल थीं।

ii. **जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उत्सव को चिह्नित करने के लिए नुक्कड़ नाटक:** आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए नुक्कड़ नाटक तैयार करने हेतु दो रंगमंच समूह - अनुष्ठान और एमआईटीआर रंगमंच को नियुक्त किया है, आयोग ने दिल्ली के 06 विभिन्न क्षेत्रों में 06 नुक्कड़ नाटक आयोजित किए हैं जो ओखला औद्योगिक क्षेत्र, सिलमपुर स्लम क्षेत्र, आली गांव स्लम क्षेत्र, कीर्ति नगर स्लम क्षेत्र, मदनपुर खादर और मुनिरका स्लम क्षेत्र हैं। नाटक निम्नलिखित विषयों पर आधारित था: **महिलाओं की बढ़ती शादी की उम्र: एक व्यवस्थित प्रगति और सार्वजनिक स्वास्थ्य और समानता का मामला; लड़कियों के शिक्षा के अधिकार और 'पुरुष स्ट्रीमिंग' महिला सशक्तिकरण की वकालत करना।**

iii. **राज्य महिला आयोगों के साथ गतिविधियां:** आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियों को वित्त पोषित किया, कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

   क. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसद: महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसद विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को उनके लिंग विशिष्ट मुद्दों को उजागर करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। राजनीति, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, खेल, कॉर्पोरेट, मीडिया, कला और संस्कृति, न्यायपालिका और युवा आकांक्षी छात्राएं महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाएं अपने अनुभवों को साझा करने, ज्ञान और अनुसंधान साझा करने के लिए एक साथ आती हैं।

   मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम में राज्य महिला आयोगों के सहयोग से राष्ट्रीय महिला संसद का आयोजन किया गया।

ख. **राज्य महिला आयोगों के साथ नुक्कड़ नाटक** मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम राज्यों में भी आयोजित किए गए। **नाटक इन विषयों पर आधारित थे: महिलाओं की बढ़ती शादी की उम्र: एक व्यवस्थित प्रगति और सार्वजनिक स्वास्थ्य और समानता का मामला; लड़कियों के शिक्षा के अधिकार और 'पुरुष स्ट्रीमिंग' महिला सशक्तिकरण की वकालत करना।**

8.16. राज्य महिला आयोगों के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना: आयोग ने 16 राज्य महिला आयोगों को उनके संबंधित आयोगों में मुफ्त कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित करने के लिए धनराशि स्वीकृत की है। भाग लेने वाले राज्य मेघालय, मणिपुर, ओडिशा, तेलंगाना, नागालैंड, त्रिपुरा, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं।

8.17 राज्य महिला आयोगों के माध्यम से मानव तस्करी रोधी इकाई (एएचटीयू) का प्रशिक्षण आयोजित करना: आयोग ने राज्य प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से राज्य के विभिन्न जिलों में तस्करी की रोकथाम और पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित मानव तस्करी रोधी इकाइयों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 16 राज्य महिला आयोगों को धन संस्वीकृत किया है। भाग लेने वाले राज्य **मेघालय, मणिपुर, ओडिशा, नागालैंड, त्रिपुरा, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं।**

अध्याय -9

कानूनी समीक्षा और विधिक जागरूकता

9.1 महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए रा.म.आ–भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरु (आईआईएमबी) की सहभागिता से 'उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना'- विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर के साथ सहयोग किया है और महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों की डिजिटल शिक्षा को समर्थन और प्रायोजित करने के लिए 6 सप्ताह के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की कल्पना की है। रा.म.आ. इंडिया एसएमई (SME) फोरम से भी जुड़ा है, जो नॉलेज और मेंटरिंग पार्टनर के रूप में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल पार्टनर के रूप में MyGov है, जिसमें ऑनलाइन कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रशिक्षण का खर्च रा.म.आ. ने वहन किया। यह कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर 4 मार्च, 2021 को लेह, लद्दाख में शुरू किया गया था।

रा.म.आ. ने महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) के माध्यम से इस डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया। 6 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम दो बैचों में आयोजित किया गया था जिसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलूरु (आईआईएमबी) हमारे प्रशिक्षण भागीदार और इंडिया एसएमई फोरम हमारे परामर्श भागीदार रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य संभावित और साथ ही स्थापित महिला उद्यमियों के ज्ञान को बढ़ाना और उनके उद्यमों के त्वरण और पैमाने को सुविधाजनक बनाना था। इस पहल के तहत रा.म.आ द्वारा कुल 1859 महिला उद्यमियों का प्रशिक्षण प्रायोजित किया गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलूरु (आईआईएमबी) ने 31 अगस्त, 2021 को अंतिम बैच के लिए छह सप्ताह के ऑनलाइन प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन किया। इस बीच, आईएसएफ ने चुने गए प्रतिभागियों के लिए परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है।

9.2 मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन (एमआईडब्ल्यूए) के सदस्य उद्योगों द्वारा गठित आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपने अधिदेश के अनुसरण में मानेसर औद्योगिक कल्याण संघ (एमआईडब्ल्यूए) के विभिन्न सदस्य उद्योगों द्वारा गठित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक समिति सदस्यों के लिए दिनांक 13 अप्रैल, 2021 को एक तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में तीन तकनीकी सत्र होते हैं जो अधिनियम के

तहत अनिवार्य प्रावधानों के साथ-साथ विभिन्न मामले कानूनों पर जोर देते हुए आंतरिक समिति के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देते हैं।

9.3 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आंतरिक समिति सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने अधिदेश के अनुसरण में 16 अप्रैल, 2021 को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत गठित आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए एक तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी सत्र शामिल हैं जो अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधानों के साथ-साथ विभिन्न मामलों में कानून पर जोर देने वाले आंतरिक समिति के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देते हैं।

9.4 तस्करी विधेयक के मसौदे पर सिफारिशें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अग्रेषित की गईं।

आयोग को 30 जून, 2021 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसका विषय था **"मानव-तस्करी (रोकथाम, देखभाल, पुनर्वास) विधेयक, 2021 - सुझाव/टिप्पणियाँ - के संबंध में"**। आयोग ने टिप्पणियां/सुझाव तैयार किए थे और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिनांक 12.07.2021 को भेज दिए गए थे।

9.5 उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के सहयोग से ''घरेलू हिंसा के समाधान हेतु संरक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम''

राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संरक्षण अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को महसूस करते हुए पीड़ित महिलाओं को कानूनी और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए भारत के प्रमुख प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के सहयोग से अखिल भारतीय स्तर पर **'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005' के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों में क्षमता निर्माण और उनका प्रशिक्षण"** का संचालन किया।

कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन 28.06.2021 को श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष रा.म.आ., श्री लोक रंजन, तत्कालीन निदेशक, एलबीएसएनएए और अध्यक्ष, राष्ट्रीय जेंडर एवं बाल केंद्र तथा श्रीमती दिशा पन्नू, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय जेंडर एवं बाल केंद्र, एलबीएसएनएए की उपस्थिति में किया गया था। प्रशिक्षण का उद्देश्य संरक्षण अधिकारियों की अनिवार्य भूमिका और कर्तव्यों और अधिनियम के तहत नियुक्त विभिन्न हितधारकों / सेवा प्रदाताओं और पुलिस, कानूनी सहायता सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, आश्रय गृह, वन स्टॉप सेंटर आदि के बीच अभिसरण की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करना है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) ने विभिन्न बैचों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों द्वारा नियुक्त संरक्षण अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के साथ भी सहयोग किया और अखिल भारतीय स्तर पर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए एक मानकीकृत मॉड्यूल विकसित किया।

9.6 पुलिस अधिकारियों/प्राधिकारियों के लिंग संवेदीकरण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं से संबंधित कानूनों, नीतियों के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों से निपटने के दौरान अधिकारियों की मनोवृत्ति और व्यवहार में बदलाव लाने के बारे में पुलिस अधिकारियों / प्राधिकारियों में लिंग संवेदीकरण को सुनिश्चित करना है। एक सहयोगी कार्यक्रम की संभावना का पता लगाने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 15 फरवरी, 2021 को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और पुलिस महानिदेशक/राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन परामर्श का आयोजन किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से 35 पुलिस अधिकारियों ने ऑनलाइन परामर्श में भाग लिया।

इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के बीच 15 जुलाई, 2021 को देश भर में पुलिस अधिकारियों/प्राधिकारियों के लिए लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

पहले चरण के दौरान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो अपने विभिन्न **केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थानों** (CDTI)/पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रीय अकादमी (CAPT) के माध्यम से विभिन्न स्तरों के पुलिस अधिकारियों/ प्राधिकारियों के लिए 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। अब तक केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (CDTI), **कोलकाता,** केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (CDTI), **जयपुर,** केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (CDTI), **हैदराबाद**, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (CDTI), **चंडीगढ़** और केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (CDTI), **गाजियाबाद में 5 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।**

9.7 "महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध- क्या महिला अधिनियम, आईटी अधिनियम और अन्य प्रचलित कानूनों का अनुचित निरूपण पर्याप्त है?"

आयोग ने **"महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध- क्या महिला अधिनियम, आईटी अधिनियम और अन्य प्रचलित कानूनों का अनुचित निरूपण पर्याप्त है?"** पर पांच क्षेत्रीय विधिक समीक्षा परामर्श की समेकित रिपोर्ट दिनांक 01.09.2021 को महिला एवं बाल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भिजवा दी गई थी।

9.8 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **" यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 'यौन हमले' के अपराध के लिए 'त्वचा से त्वचा' संपर्क आवश्यक है"** को चुनौती देते हुए रा.म.आ. द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP)

4 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की नागपुर बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत 'यौन हमला' का अपराध के लिए 'त्वचा से त्वचा' के लिए संपर्क आवश्यक है। आयोग ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करते समय चिंता जताई थी कि आक्षेपित आदेश महिलाओं और बच्चों के लिए दूरगामी प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि वह उन्हें ऐसे असंवेदनशील समाज में अरक्षित छोड़ देता है।

18 नवंबर, 2021 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को रद्द कर दिया है और माना है कि पॉक्सो(POCSO) अधिनियम के तहत "यौन हमले" के अपराध का घटक "यौन इच्छा" है और ऐसे मामलों में त्वचा से त्वचा का संपर्क अप्रासंगिक है क्योंकि यह क़ानून की एक संकीर्ण और बेतुकी व्याख्या के समान होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि इस तरह की संकीर्ण और बेतुकी व्याख्या को अपनाने से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कपड़े जैसे दस्ताने और इसी तरह के कपड़े पहनकर किसी महिला के यौन अंग को "यौन इच्छा" से टटोलता है, उसे कभी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा, बल्कि यह निर्णय अपराधी को कानून के जाल से बचने और समाज के लिए खतरा बनकर समाज में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गया तर्क असंवेदनशील वैधता और सामान्य व्यवहार को दर्शाता है जिससे महिलाओं और बच्चों की गरिमा को हानि पहुँचती है।

9.9 6-10 दिसंबर, 2021 के बीच 5 दिवसीय "घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षको का प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित करने के लिए सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान (आईएसटीएम) के साथ सहयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली के साथ 6 से 10 दिसंबर, 2021 तक 5 दिवसीय "घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षको का प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित करने के लिए सहयोग किया था, जिसमें 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 46 प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ औपचारिक रूप से सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ और श्री एस.डी. शर्मा, निदेशक, आईएसटीएम की उपस्थिति में दिनांक 06 दिसंबर, 2021 को सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (ISTM), नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत, मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था, ताकि ये विशेषज्ञ अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर संरक्षण अधिकारियों के लिए विस्तारित रूप में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी ले सकें। प्रशिक्षण का उद्देश्य घरेलू हिंसा के शिकार लोगों को उनके कानूनी अधिकारों तक पहुँचने में मदद करने और उन्हें चिकित्सा/कानूनी सहायता, परामर्श, सुरक्षित आश्रय और अन्य आवश्यक सहायता प्राप्त करने में सहायता करने हेतु संरक्षण अधिकारियों को बेहतर ढंग से तैयार करना है।

9.10 "आपराधिक कानून की समीक्षा - महिलाओं की स्थिति में सुधार"

इस संबंध में माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के पत्र संदर्भ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 12.01.2022 के अ. शा.पत्रांक.10/Secy.WCD/2022 के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग से आपराधिक कानून अर्थात् भारतीय दंड संहिता, 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के संबंध में संभावित सिफारिशें मांगी थीं।

तदनुसार, आयोग ने आपराधिक कानून की समीक्षा - महिलाओं की स्थिति में सुधार' के लिए दो प्रारंभिक परामर्श (ऑनलाइन मोड) आयोजित किए। इसके बाद, प्रमुख विधि विश्वविद्यालयों के सहयोग से पांच क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए गए, तत्पश्चात निष्कर्ष हेतु परामर्श किया गया।

उक्त परामर्शों का आयोजन, जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए आपराधिक कानूनों पर फिर से विचार करने और कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों, राज्य महिला आयोगों और सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के प्रासंगिक विचारों के बहुआयामी मिश्रण से विचार / राय / सिफारिशें इकट्ठा करने के उद्देश्य से किया गया था।

भारत में महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक कानून में व्यवहार्य संशोधन का सुझाव देते हुए

समेकित रिपोर्ट अ.शा.पत्रांक 06-05/02/2022-एनसीडब्ल्यू (एल) दिनांक 04 मार्च, 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया

अध्याय -10

जेल, अभिरक्षा गृहों और मनोरोग संस्थानों का निरीक्षण

10.1 राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिनियम 1990 की धारा 10(1)(के) के अंतर्गत आयोग को सौंपे गए कार्यों के हिस्से के रूप में देश में जेलों/कारागार/अभिरक्षा गृह का निरीक्षण करता है। महिला कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है और पर्याप्त सुधारात्मक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, यह सुनिश्चित करने हेतु कारागार के निरीक्षण को आयोग ने अपने मुख्य क्षेत्र के रूप में माना है। अध्यक्ष, सदस्यों द्वारा राज्य महिला आयोगों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(डीएलएसए) और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण दल जेलों में बंद महिला कैदियों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं। निरीक्षण के दौरान इस तरह से उभरने वाली टिप्पणियों और सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य कारागार प्राधिकरण और जेल अधीक्षक को भेजा जाता है।

10.2 आयोग द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रोफार्मा में भी जेलों से जानकारी प्राप्त की गई थी। इस प्रोफार्मा में प्राप्त सूचनाओं की जांच/विश्लेषण आयोग में किया गया था और इस जांच/विश्लेषण के आधार पर आयोग की टिप्पणियों, सिफारिशों को संबंधित अधिकारियों को अनुरोध के साथ कार्रवाई रिपोर्ट हेतु भेजा गया था।

10.3 राष्ट्रीय महिला आयोग ने कैदियों को उचित आहार सम्बन्धी उचित मार्गदर्शन के लिए जेल संख्या - 06, तिहाड़ जेल में तीन दिन के लिए एक पोषण विशेषज्ञ की व्यवस्था की और सभी महिला कैदियों को फल वितरित किए।

अध्याय -11

सूचना का अधिकार

11.1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने, प्रशासन और आयोग द्वारा संचालित अन्य मामलों में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। इसमें अधिक से अधिक जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में रखना शामिल है।

11.2 आयोग का यह निरंतर प्रयास रहा है कि आयोग की वेबसाइट के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाए ताकि जनता को कम प्रयास के साथ आवश्यक जानकारी मिल सके। तदनुसार, प्राप्त शिकायतों की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध है, आयोग की वेबसाइट पर ऐसी शिकायतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी डालने की कार्रवाई शुरू की गई है। आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्ययनों और संगोष्ठियों की स्थिति को भी अद्यतन किया है और यह इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा तैयार किए गए सभी विज्ञापन और अन्य दस्तावेज भी नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर डाले जाते हैं ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना का प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

11.3 यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सभी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुरोधों का यथाशीघ्र उत्तर दिया जाए और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित मामलों को शीघ्रतापूर्वक संबंधित प्राधिकारी को स्थानांतरित किया जाए।

11.4. वर्ष 2021-22 के दौरान, सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान का विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है:

क. सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदनों की तिमाही-वार प्राप्ति और निपटान निम्नानुसार है:-

तिमाही	इति शेष	धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरित एवं प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोधों/ अपीलों को खारिज किया गया	निर्णय जहां अनुरोधों का उत्तर दिया गया	अगली तिमाही के लिए अथ शेष
तिमाही 1 (अपैल-जून, 2021)	23	10	178	27	13	138	33

तिमाही	इति शेष	धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरित एवं प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोधों/ अपीलों को खारिज किया गया	निर्णय जहां अनुरोधों का उत्तर दिया गया	अगली तिमाही के लिए अथ शेष
तिमाही 2 (जुलाई-सितम्बर, 2021)	33	27	268	49	30	221	28
तिमाही 3 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2021)	28	9	223	31	18	196	15
तिमाही 4 (जनवरी-मार्च, 2022)	15	12	251	35	27	181	35

ख. प्रथम सूचना का अधिकार (आरटीआई) अपील आवेदनों की तिमाही-वार प्राप्ति एवं निपटान निम्नानुसार है:-

तिमाही	इति शेष	धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरित के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोधों/ अपीलों को खारिज किया गया	निर्णय जहां अनुरोधों का उत्तर दिया गया	अगली तिमाही के लिए अंतिम शेष
तिमाही 1 (अपैल-जून, 2021)	1	लागू नहीं	12	0	3	8	2
तिमाही 2 (जुलाई-सितम्बर, 2021)	2	लागू नहीं	25	0	0	18	9
तिमाही 3 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2021)	9	लागू नहीं	18	0	2	24	1
तिमाही 4 (जनवरी-मार्च, 2022)	1	लागू नहीं	14	0	2	11	2

अध्याय -12

यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र

12.1. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के संदर्भ में मानव गरिमा के साथ काम करने का अधिकार एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त मानव अधिकार है। भारत में, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न इस अधिकार का हनन करता है और महिलाओं को नुकसानदेह स्थिति में डालता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है और यह अन्य बातों के साथ-साथ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति के गठन का प्रावधान करता है।

12.2 महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति (जिसे पहले आंतरिक शिकायत समिति के रूप में जाना जाता था) का गठन किया है। वर्ष 2021-2022 के दौरान, समिति की अध्यक्षता आयोग की सदस्य श्रीमती राजुलबेन एल देसाई ने की थी।

12.3 महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों और वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान आयोजित कार्यशालाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

प्राप्त की सं.	निपटाई गई शिकायतों की सं.	नब्बे दिन से अधिक लंबित मामलों की सं.	आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य	0**	लागू नहीं

**** कोविड के कारण कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की गयी।**

अध्याय -13

मीडिया और आउटरीच कार्यक्रम

13.1. राष्ट्रीय महिला आयोग सोशल मीडिया पर एक सक्रिय भूमिका निभाता है और महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए न केवल जमीनी स्तर पर बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जो वर्तमान समय में मुख्यधारा बन गए हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर आयोग द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(i) सोशल मीडिया अभियान

आयोग इंटरनेट की गतिशीलता के अनुरूप सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और सोशल मीडिया अभियानों जैसे नए मीडिया टूल की ओर रुख किया है। आयोग ने महामारी के दौरान सुरक्षित रखने के बारे में नियमित रचनात्मक और जानकारी के साथ 'कोविड-19 के संबंध में जागरूकता' पर अभियान आयोजित किए हैं। कई अन्य महिला-केंद्रित मुद्दों जैसे पोषण माह, 16 सक्रिय दिवस मातृ स्वास्थ्य, बाल चिकित्सा पोषण, आदि के लिए नियमित रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया है। आयोग व्यापक पहुंच के लिए अपने सभी वेबिनार को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी लाइव स्ट्रीम करता है।

(ii) गर्भवती महिलाओं के लिए हेल्पलाइन

राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) ने दिनांक 29 अप्रैल, 2021 को, देश भर की गर्भवती माताओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। आयोग ने देखा था कि गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए, उसने ईमेल आईडी के अलावा एक संदेश-केवल हेल्पलाइन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया जो पहले से ही चालू थी। देश भर से गर्भवती महिलाओं ने आयोग के हेल्पलाइन नंबर- 9354954224 के माध्यम से संपर्क किया, जो चौबीसों घंटे काम कर रहा है। आयोग की एक समर्पित टीम आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के संबंध में गर्भवती महिलाओं से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निवारण की देखरेख कर रही है। हेल्पलाइन ने 900 से अधिक गर्भवती महिलाओं की मदद की है। आयोग ने अपने ट्विटर हैंडल से भी अनुरोध स्वीकार किए और गर्भवती महिलाओं के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सहायता के अपडेट को आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट किया गया।

(iii) COVID 19 के दौरान गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर फेसबुक लाइव

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'COVID19 के दौरान गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य' विषय पर एक फेसबुक लाइव का आयोजन किया। लाइव प्रश्नोत्तरी सत्र की मेजबानी माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 27 मई, 2021 को डॉ आराधना

गुप्ता के साथ की। डॉ गुप्ता प्रजनन चिकित्सा में फेलो हैं, वरिष्ठ सलाहकार स्त्री रोग विशेषज्ञ और भोपाल से आईवीएफ विशेषज्ञ हैं। अध्यक्ष महोदया ने कोविड-19 के दौरान गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की। महिलाओं को चैट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछने का भी मौका दिया गया। सत्र के दौरान महिलाओं द्वारा पोस्ट किए गए सभी सवालों का डॉक्टर ने जवाब दिया। फेसबुक लाइव 18,713 लोगों तक पहुंचा और सत्र को फेसबुक पर 125 बार शेयर किया गया।

(iv) वी थिंक डिजिटल

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रा.म.आ. अपने कार्यक्रम 'वी थिंक डिजिटल' के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है, जो फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से एक वैश्विक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। 'वी थिंक डिजिटल' के तीसरे चरण का उद्देश्य देश भर में ऑनलाइन संसाधनों और शिकायत निवारण तंत्र के प्रभावी उपयोग के लिए महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना है। डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा कार्यक्रम में तीन विषय शामिल हैं: डेटा गोपनीयता और सोशल मीडिया सुरक्षा, साइबर कानून तथा साइबर अपराध एवं निवारण, और साइबर नैतिकता एवं डिजिटल सार्थकता। इस चरण के तहत, कार्यक्रम द्वारा 1,50,000 महिलाओं और लड़कियों को जानकारी प्रदान की गई।

यह कार्यक्रम दिनांक 18 जून, 2018 को पंजाब विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले पहले सत्र के साथ शुरू किया गया था। कार्यक्रम ने अपने पहले चरण में 60,000 से अधिक प्रतिभागियों को सुग्राही बनाया। कार्यक्रम का दूसरा चरण दिनांक 11 फरवरी, 2020 को शुरू किया गया था और सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2021 के अवसर पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। दूसरे चरण में कुल 167 से अधिक वेबिनार आयोजित किए गए जिसमें 1,05,000 से अधिक प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई।

(v) कोविड के दौरान सहायता

आयोग को कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान आपात चिकित्सा स्थिति, बुजुर्गों की मदद, पूछताछ और सूचना आदि के संबंध में जनता से विभिन्न अनुरोध प्राप्त हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुरोधों का तुरंत जवाब दिया गया और प्रदान की गई सहायता को रा.म.आ. हैंडल पर भी अपडेट किया गया।

अध्याय -14

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग

14.1. सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अब हमारे दैनिक जीवन का सर्वव्यापी अंग है। आईसीटी में अन्य बातों के साथ-साथ कठिन परिश्रम को कम करके मानव जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने की क्षमता है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक सक्षम वातावरण के निर्माण पर जोर देते हुए आईसीटी की तैनाती को लंबे समय से एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता रहा है। ज्ञान समाज में महिलाओं के रोजगार के लिए आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की उनकी क्षमता और मुद्दों की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और सामाजिक तथा संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए कौशल निर्माण करने की आवश्यकता है।

14.2 राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग किया है। आयोग ने 2005 की शुरूआत में प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक रसीद प्रसंस्करण और शिकायतों का निपटान शुरू कर दिया था। भारत से और साथ ही अपने अनिवासी भारतीय पति द्वारा परित्यक्त महिला शिकायतकर्ता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://ncw.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम हैं। एक यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ एक रसीद नंबर/फाइल नंबर जेनरेट किया जाता है और शिकायतकर्ता को आवंटित किया जाता है। यह प्रणाली व्यक्तिगत शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करती है।

14.3 आयोग ने हाल ही में 24x7 रा.म.आ. महिला हेल्पलाइन 7827-170-170 शुरू की है, हेल्पलाइन का उद्देश्य पुलिस, अस्पतालों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं जैसे उपयुक्त अधिकारियों के साथ उन्हें जोड़कर रेफरल के माध्यम से 24x7 ऑनलाइन सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 के दौरान हेल्पलाइन नंबर पर कुल 89,699 कॉल प्राप्त हुई हैं।

14.4 COVID-19 महामारी के दौरान, आयोग ने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके सभी प्राप्त शिकायतों को ऑनलाइन संसाधित एवं उनका अनुवर्तन किया। आयोग ने महामारी के दौरान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आभासी परामर्श, वेबिनार और बैठकें आयोजित कीं।

आयोग ने देखा है कि गर्भवती महिलाओं को कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए, ईमेल आईडी के अलावा देश भर से गर्भवती माताओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, जो पहले से ही चालू है। देश भर से 900 से अधिक गर्भवती महिलाओं ने आयोग के हेल्पलाइन नंबर 9354954224 के माध्यम से संपर्क किया, जो चौबीसों घंटे काम कर रहा था।

14.5 कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस 31 जनवरी, 2022 को वर्चुअल मोड में मनाया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिलाओं को संबोधित किया। उद्घाटन सत्र की स्ट्रीमिंग https://pmindiawebcast.nic.inके माध्यम से की गई। लाइव कार्यक्रम देखने के लिए 47,000 से अधिक प्रतिभागियों को https://pmevents.ncog.gov.in पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया गया था।

14.6 वर्ष 2021-22 के दौरान, एक ऑनलाइन पोर्टल ई-प्रस्ताव के माध्यम से अनुसंधान अध्ययन और वेबिनार/सेमिनार प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। कुल 1359 प्रस्ताव (977 संगोष्ठी/वेबिनार और 382 शोध अध्ययन) प्राप्त हुए और इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किए गए, जिनमें से 149 को विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकार किया गया था। सभी शोध और वेबिनार/सेमिनार प्रस्तावों को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संसाधित और अंतिम रूप दिया गया।

14.7 आयोग ने MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से निम्नलिखित विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया है

(i) **'महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागरूकता' विषय पर प्रश्नोत्तरी -** आयोग ने MyGov पोर्टल के माध्यम से 'महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागरूकता' विषय पर एक प्रश्नोत्तरी शुरू की। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के बीच समानता, समावेशिता और विविधता के मूल्यों को विकसित करना है, जो एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, महिलाओं से संबंधित कानूनों का ज्ञान न केवल युवा दिमाग के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण है; यह नागरिकों को सही मूल्यों, आत्म-अनुशासन और राष्ट्रीय भावना के निर्माण में भी मदद करेगा। प्रश्नोत्तरी के तहत कुल 53,370 प्रतिभागियों को दर्ज किया गया है।

(ii) **निबंध लेखन प्रतियोगिता -** जागरूकता पैदा करने और जनता के बीच पोषण की स्थिति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। प्रतियोगिता के तहत प्राप्त कुल प्रविष्टियां 839 थीं।

(iii) **ओपन पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता -** जागरूकता पैदा करने, पोषण की स्थिति को बढ़ावा देने और जनता की रचनात्मक प्रवृत्ति का पता लगाने के उद्देश्य से। प्रतियोगिता में 1484 प्रतिभागी शामिल हुए।

(iv) **महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की गतिविधियाँ:** महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा सबसे व्यापक मानवाधिकारों के हनन में से एक है। आयोग ने जागरूकता फैलाने और सक्रियता के सोलह दिनों का जश्न मनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

(क) MyGov पोर्टल से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

(ख) निम्न विषयों पर MyGov कविता लेखन प्रतियोगिता में

- Finding Freedom;
- मैं हूं आज की नारी

- They say_ This was my Fate/ वे कहते हैं: यह मेरी किस्मत थी
- आवाज़ उठा
- हिंसा के खिलाफ चुप न रहें
- **"हिंसा के खिलाफ चुप न रहें"** विषय पर MyGov के साथ जोखिम को समाप्त करने के लिए लोगों के सुझावों को आमंत्रित करना

14.8. कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है, जिसके लिए आयोग फेसबुक इंडिया और साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से कार्यक्रम चलाता है। तीसरे चरण का लक्ष्य 1,50,000 छात्रों को डिजिटली प्रशिक्षित करना था।

अध्याय -15

नई पहल प्रकोष्ठ

15.1. शी इज ए चेंजमेकर' - राजनीति में महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी मजबूत, जीवंत लोकतंत्र के निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय महिला आयोग विभिन्न स्तरों पर राजनीति में महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम 'शी इज ए चेंज मेकर' के तहत अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी स्तरों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और सक्रिय महिला राजनेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार करना है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को मजबूत करना है ताकि सार्वजनिक नीति, लिंग उत्तरदायी शासन/मुख्य धारा, नेतृत्व और संचार कौशल को प्रभावित करने के बारे में उनके ज्ञान और समझ को बढ़ाया जा सके। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रतिभागियों द्वारा स्वागत किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की समान और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और सक्रिय महिला राजनेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों और मिजोरम, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के महिला प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:-

राज्य	प्रशिक्षण बैचों की संख्या	सहयोगी संस्थान	दिनांक	स्थान
उत्तर प्रदेश	4	दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ; लखनऊ, उत्तर प्रदेश	16 से 18 नवंबर, 2021	अध्योध्या
				बाराबंकी,
				हमीरपुर
				गोरखपुर

राज्य	प्रशिक्षण बैचों की संख्या	सहयोगी संस्थान	दिनांक	स्थान
पंजाब	5	महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए), चंडीगढ़	16 से 18 नवंबर, 2021	फाजिल्का
			01 से 03 दिसम्बर, 2021	पटियाला
			01 से 03 दिसम्बर, 2021	भटिंडा
			06 से 08 दिसम्बर, 2021	भटिंडा
			13 से 15 दिसम्बर, 2021	पटियाला
			21 से 23 दिसम्बर, 2021	फरीदकोट
महाराष्ट्र	5	यशदा, पुणे महाराष्ट्र	08 से 10 दिसम्बर, 2021	पुणे
			22 से 24 दिसम्बर, 2021	
			05 से 07 जनवरी, 2022	
			23 से 25 फरवरी, 2022	
			21 से 23 मार्च, 2022	
	3	रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी, ठाणे, महाराष्ट्र	07 से 09 दिसम्बर, 2021	ठाणे
			15 से 17 दिसम्बर, 2021	
			11 से 13 मार्च, 2022	
असम	4	पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य संस्थान, असम	22 से 24 फरवरी, 2022	गुवाहाटी
			02 से 04 मार्च, 2022	
			09 से 11 मार्च, 2022	
			14 से 16 मार्च, 2022	
मिजोरम	5	पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य संस्थान, मिजोरम	23 से 25 फरवरी, 2022	आइजोल
			01 से 03 मार्च, 2022	पुकपुई
			01 से 03 मार्च, 2022	चम्फाई
			01 से 03 मार्च, 2022	कोल्सिबो
			09 से 11 मार्च, 2022	आइजोल
तेलंगाना	2	तेलंगाना राज्य ग्रामीण विकास संस्थान	22 से 24 मार्च, 2022	हैदराबाद
			29 से 31 मार्च, 2022	

15.2. इच्छुक महिला उद्यमियों के लिए 'उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना' नामक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम - सहभागिता रा.म.आ. - भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर - इंडिया एसएमई फोरम।

- राष्ट्रीय महिला आयोग का लक्ष्य देश भर में महिलाओं के लिए एक स्थायी प्रभाव पैदा करना है, जो महिला उद्यमियों को उनके उद्यमशीलता के उद्यमों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल तक पहुंच प्रदान करता है। रा.म.आ. सहयोगी कार्यक्रम 'उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना' का उद्देश्य इच्छुक महिला उद्यमियों के साथ-साथ उन महिला उद्यमियों को डिजिटल रूप

से प्रशिक्षित करना है जो अपने व्यावसायिक विचारों का विस्तार करना चाहती हैं। ये पाठ्यक्रम पूरी तरह से रा.म.आ. द्वारा प्रायोजित हैं।

- आयोग ने एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर के साथ सहयोग किया है और महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों की डिजिटल शिक्षा को समर्थन और प्रायोजित करने के लिए 6 सप्ताह के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की कल्पना की है। रा.म.आ. इंडिया एसएमई फोरम से भी जुड़ा है, जो नॉलेज और मेंटरिंग पार्टनर के रूप में नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन और डिजिटल पार्टनर के रूप में MyGov है, जिसमें ऑनलाइन कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रशिक्षण का खर्च रा.म.आ ने वहन किया। कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर दिनांक 4 मार्च, 2021 को लेह, लद्दाख में लॉन्च किया गया था।

- रा.म.आ. ने महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) के माध्यम से इस डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। 6 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन बैचों में आयोजित किया गया था जिसमें आईआईएमबी प्रशिक्षण भागीदार था और इंडिया एसएमई फोरम हमारा परामर्श भागीदार था। कार्यक्रम का उद्देश्य संभावित और साथ ही स्थापित महिला उद्यमियों के ज्ञान को बढ़ाना और उनके उद्यमों के त्वरण और पैमाने को सुविधाजनक बनाना था। इस पहल के तहत पहले दो बैचों में रा.म.आ. द्वारा कुल 1859 महिला उद्यमियों का प्रशिक्षण प्रायोजित किया गया है। इंडिया एसएमई फोरम ने पहले और दूसरे बैच के चुने गए प्रतिभागियों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है।

बैच - I का आयोजन 30 अप्रैल 2021 और 15 जून 2021 के बीच किया गया। बैच - I में कुल 1299 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था। बैच II की शुरुआत 15 जुलाई 2021 से की गई और 31 अगस्त 2021 को समाप्त हुआ। बैच II में कुल 560 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। कुल 385 उम्मीदवारों को दो बैचों के पूरा होने पर इंडिया एसएमई फोरम द्वारा 1-1 मेंटर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। बैच III दिनांक 7 मार्च 2022 को (द्विभाषी: अंग्रेजी और हिंदी) शुरू किया गया।

यह व्यावहारिक, कार्योन्मुखी व्यवसाय और प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और परिकल्पित विचारों और अवसरों के परीक्षण की एक आसान प्रक्रिया से परिचित करवाते हैं।

15.3. उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के सहयोग से ''घरेलू हिंसा के समाधान हेतु संरक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम''

राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संरक्षण अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को महसूस करते हुए पीड़ित महिलाओं को कानूनी और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए भारत के प्रमुख प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के सहयोग से अखिल भारतीय स्तर पर **'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा**

अधिनियम, 2005' के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों में क्षमता निर्माण और उनका प्रशिक्षण" का संचालन किया।

कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन 28.06.2021 को श्रीमती स्मृति जबिन ईरानी, माननीय केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष रा.म.आ., श्री लोक रंजन, तत्कालीन निदेशक, एलबीएसएनएए और अध्यक्ष, राष्ट्रीय लिंग तथा बाल केंद्र तथा श्रीमती दिशा पन्नू, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय लिंग तथा बाल केंद्र, एलबीएसएनएए की उपस्थिति में किया गया था। प्रशिक्षण का उद्देश्य संरक्षण अधिकारियों की अनिवार्य भूमिका और कर्तव्यों और अधिनियम के तहत नियुक्त विभिन्न हितधारकों / सेवा प्रदाताओं और पुलिस, कानूनी सहायता सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, आश्रय गृह, वन स्टॉप सेंटर आदि के बीच अभिसरण की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करना है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) ने विभिन्न बैचों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों द्वारा नियुक्त संरक्षण अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के साथ भी सहयोग किया और अखिल भारतीय स्तर पर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए एक मानकीकृत मॉड्यूल विकसित किया।

अध्याय -16

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख प्रकोष्ठ

16.1. राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। रा.म.आ. का उद्देश्य उपयुक्त नीति निर्माण, विधायी उपायों, कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन, योजनाओं/नीतियों के कार्यान्वयन और महिलाओं के प्रति भेदभाव और अत्याचार से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं/स्थितियों के समाधान के लिए रणनीति तैयार करने के माध्यम से महिलाओं को उनके उचित अधिकारों और अधिकारों को हासिल करके जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी हासिल करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना है।

दिनांक 5 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के सामने आने वाले विभिन्न प्रकार के विचित्र मुद्दों पर विचार करते हुए **जम्मू-कश्मीर और लद्दाख प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया।**

राष्ट्रीय महिला आयोग ने विशेष रूप से इन केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त महिलाओं की शिकायतों को देखने और सभी क्षेत्रों में उनके विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ "जम्मू - कश्मीर एवं लद्दाख प्रकोष्ठ" की स्थापना की है। दिनांक 31.03.2022 तक आयोग ने जम्मू - कश्मीर एवं लद्दाख में **166 मामले** दर्ज किए।

16.2. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख प्रकोष्ठ की नई पहलों में से एक

- **जम्मू और कश्मीर की छात्राओं का दिल्ली दौरा**

  राष्ट्रीय महिला आयोग ने जम्मू-कश्मीर की छह छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल दौरे को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संसद और अन्य आयोगों सहित दिल्ली के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में इन सरकारी विभागों/संगठनों के कामकाज के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए प्रायोजित किया।

  जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा नामित लड़कियों ने श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास और उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इन छात्राओं ने माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की और माना जाता है कि वे अपने कॉलेजों में दिल्ली प्रवास के दौरान प्राप्त जानकारी के बारे में जागरूकता फैलाएँगी।

  आयोग ने इन लड़कियों को राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कार्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय

अनुसूचित जनजाति आयोग सहित विभिन्न आयोगों के दौरे का भी आयोजन किया, जहां उन्हें इन कार्यालयों की भूमिका और कामकाज की जानकारी मिली।

- **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से** "महिलाओं के कानूनी अधिकार" कार्यक्रम पर एक दिवसीय कार्यशाला जम्मू के विभिन्न जिलों में आयोजित की गई जिसमें दोहा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, जम्मू, पुंछ, रामबन, किश्तवाड़ और कश्मीर जिसमें अनंतनाग, पुलवामा, बरमूला, कुलगाम, शोपियां, श्रीनगर, बडगाम, बांदीपुर, गांदरबल शामिल हैं।
- जम्मू - कश्मीर एवं लद्दाख में विलायत टेक्नोलॉजीज के सहयोग से महिला अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम, लिंग संवेदनीयता पर वेबिनार।
- जम्मू - कश्मीर एवं लद्दाख में सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के सहयोग से आत्महत्या की रोकथाम और उपलब्ध सहायता, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और पेडलिंग, महिला अधिकार पर वेबिनार।
- हिंसा मुक्त घर - एक महिला का अधिकार: जम्मू - कश्मीर एवं लद्दाख में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई के सहयोग से 12 विशेष प्रकोष्ठ बनाये गए हैं।

अध्याय -17

24X7 रा.म.आ. महिला हेल्पलाइन

17.1. 24X7 रा.म.आ. महिला हेल्पलाइन-7827170170: दिनांक 27 जुलाई, 2021 को, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24X7 हेल्पलाइन-7827170170 शुरू की, जिसका उद्देश्य संबंधित पुलिस, अस्पतालों, कानूनी सेवा प्राधिकरणों और मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि के साथ जोड़कर रेफरल के माध्यम से महिलाओं को ऑनलाइन सहायता प्रदान करना है। पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से आईवीआर इंटरैक्टिव तंत्र द्वारा संचालित है। दिनांक 31.03.2022 तक, आयोग को **89,699** कॉल प्राप्त हुए।

उत्कृष्ट सफलता की कुछ कहानियां इस प्रकार हैं:

(i) सुश्री ए के मानवाधिकार उल्लंघन की पीड़िता को बचाने के लिए एक शिकायत प्राप्त हुई, फिलीपींस की एक लड़की ने हरियाणा के एक व्यक्ति से शादी की। पीड़िता और उसका पति मलेशिया में एक-दूसरे से मिले और पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। उनकी पहली बेटी का जन्म मलेशिया में हुआ था। बाद में, वे अपनी बेटी के साथ भारत आए और अपनी शादी का पंजीकरण कराया। सुश्री ए और उनके 3 बच्चों को छोड़कर, उनके पति की COVID 19 से मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद, सुश्री ए अपनी मातृभूमि फिलीपींस वापस लौटना चाहती थीं लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें वापस जाने से रोक दिया। सुश्री ए के ससुराल वाले उसे उसकी सहमति के बिना उसके देवर से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे और अगर वह शादी करने के लिए सहमत नहीं हुई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। आयोग द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर से संपर्क किया गया। आधे घंटे के भीतर पुलिस अधिकारियों की टीम उसके घर गई और उसे उसके बच्चों समेत छुड़ाया। वर्तमान में, वह कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सुरक्षित हिरासत में है और उसकी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

(ii) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक एसओएस कॉल आई जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके परिवार के सदस्य उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसने आगे कहा कि पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार किया है। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर ने बताया कि बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला मानसिक बीमारी की मरीज थी और इलाज के कारण इस मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती थी तथा उस पर बलात्कार की ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई थी। महिला अपने घर वापस जाने के लिए अनिच्छुक थी। इसलिए,

रा.म.आ. हेल्पलाइन की सलाह पर कार्रवाई करते हुए, जांच अधिकारी ने उस महिला को ऑल वूमेन अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया, जहाँ उसकी मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा है।

(iii) गुरुग्राम से एक फोन आया, जिसमें उनके पति से घरेलू हिंसा के लिए तत्काल मदद मांगी गई थी। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली एनसीआर के एक रिसॉर्ट गुरुग्राम में रह रही थी। आयोग की हेल्पलाइन ने गुरुग्राम के अधिकारी एसएचओ से संपर्क किया और तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। आगे पुलिस ने उससे संपर्क किया। अनुवर्ती विस्तृत विवरण में बताया गया है कि दोनों पक्षों को परामर्श दिया गया था और उनके बीच मामला सुलझ गया था क्योंकि वह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती थी।

(iv) अहमदाबाद से एक फोन आया कि वह डाबरा, मध्य प्रदेश में रहने वाली बहन के लिए मदद चाहता है। उसके पति ने आत्महत्या की है, ससुराल वाले पति का शव देखने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उसे पीट कर घर लौटने पर जोर दे रहे हैं। वह अपने पति के शव और अंतिम संस्कार को देखना चाहती थी। आयोग की हेल्पलाइन ने पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर से संपर्क कर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। आगे पुलिस ने उससे संपर्क किया। फॉलोअप में बताया गया कि उनके पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुलिस वैन उपलब्ध कराई गई थी।

(v) अशोक नगर, मध्य प्रदेश से एक कॉल आई जिसमें तत्काल मदद मांगी गई क्योंकि उसके 8 महीने के बच्चे को उसके ससुराल वालों ने छीन लिया था। आयोग की हेल्पलाइन ने अशोक नगर थाने के पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आगे पुलिस ने उससे संपर्क किया। फॉलोअप में विस्तार से बताया गया कि कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसके बच्चे को बचा लिया।

अध्याय -18

राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

18.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा समय–समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। आयोग ने संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

18.2 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए आयोग के राजभाषा प्रकोष्ठ में परामर्शदाता (रा.भा) एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है। आयोग के विभिन्न प्रकोष्ठों से प्राप्त सामग्री, जैसे कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, पुस्तिका, संस्वीकृति आदेश, मैनुअल, मानक प्रपत्रों, अधिसूचनाओं और प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्ति रिपोर्टों एवं विभिन्न विषयों पर शोध अध्ययन रिपोर्टों आदि का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

18.3 माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत- सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने के लिए राजभाषा के विकास हेतु डॉ. सुमित जैरथ, पूर्व सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई '12 प्र' तथा 'प्रधानमंत्री राहत योजना' सामग्री का अंग्रेजी अनुवाद अहिंदी भाषी वर्ग के लिए किया गया।

18.4. रा.म.आ. द्वारा प्रकाशित मासिक 'राष्ट्र महिला' न्यूज़ लेटर का हिंदी रूपांतर साथ-साथ जारी किया जाता है।

18.5. राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु रा.म.आ. की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।

18.6. आयोग में आंतरिक राजभाषा निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यों में हिंदी की स्थिति का निरीक्षण किया जाता है।

18.7. स्कोप कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली के भाभा चैंबर में दिनांक 08.11.2021 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। समिति की अध्यक्षता माननीय सांसद श्री भर्तृहरि महताब ने की। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग से उपस्थित अधिकारियों में श्री ए. अशोली चलाई (संयुक्त सचिव), श्री प्रदीप कुमार (उप सचिव),श्रीमती शिवानी डे (अवर सचिव), श्री आशुतोष पाण्डेय (वरिष्ठ शोध अधिकारी), श्रीमती अरूणा शर्मा (परामर्शदाता,रा.भा.), श्री अतुल सिन्हा (वरिष्ठ प्रोग्रामर) मौजूद थे। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तीन अधिकारी भी शामिल हुए।

श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री धर्मेन्द्र कश्यप, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा) उपाध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति, श्री प्रदीप कुमार, उप सचिव, रा.म.आ., श्री अशोली चलाई, संयुक्त सचिव, रा.म.आ. श्री धर्मराज खटीक, सचिव (समिति) - दाएं से बाएं

18.8. हिंदी के लिए किए जा रहे नियमित कार्यों के अलावा हिंदी प्रयोग को बढावा देने के लिए हिंदी पखवाड़ा 2021-22 के दौरान आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं (1) सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, (2) भाषण, (3) कविता

पाठन (4) समसामयिक विषय पर निबंध लेखन (5) अनुवाद (6) वाद-विवाद (7) नोटिंग/ड्राफ्टिंग का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों हेतु दिनांक 02 नवम्बर, 2021 को विभिन्न लोक-नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पुरस्कार- वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान पूरे समय माननीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा की उपस्थिति एवं जीवंतता ने समारोह को अपूर्व शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा के हाथों से पुरस्कार प्राप्त कर प्रतिभागी प्रसन्न हुए और जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी आगामी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिला।.

18.9. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक निरीक्षण किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से निरीक्षण हेतु उपस्थित श्री सत्यमूर्ति नागेश, उप निदेशक (रा.भा.) के साथ रा.म.आ. के अधिकारी।

अध्याय -19

वार्षिक लेखा 2021-2022

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
तुलन पत्र (अलाभकारी संगठन)

(राशि रू. में)

पूंजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष			विगत वर्ष		
		सहायता अनुदान सामान्य, पूंजीगत एवं NER के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान (71.01.31)	सहायता अनुदान वेतन एवं सहायता अनुदान सामान्य (36.00.36 एवं 36.00.31)	कुल	सहायता अनुदान सामान्य एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान	योग
पूंजीगत निधि	1	120998517.00	6774126.00	127772643.00	152334730.00	6082210.00	158416940.00
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-	-	-	-	-
निर्धारित/स्थायी निधि	3	-	-	-	-	-	-
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-	-	-	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-	-	-	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-	-	-	-	-
मौजूदा देयताएं और प्रावधान	7	125077346.00	18979285.00	144056631.00	73857485.00	11539564.00	85397049.00
		246075863.00	**25753411.00**	**271829274.00**	**226192215.00**	**17621774.00**	**243813989.00**
आस्तियां							
स्थायी आस्तियां	8	121416456.00	-	121416456.00	133928200.00	-	133928200.00
निवेश - निर्धारित /स्थायी निधि से	9						-
निवेश - अन्य	10	-	-	-	-	-	-
वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम	11	129786064.00	20626754.00	150412818.00	97441007.00	12444782.00	109885789.00
विविध व्यय		-		-	-	-	-
योग		**251202520.00**	**20626754.00**	**271829274.00**	**231369207.00**	**12444782.00**	**243813989.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	25						

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
आय एवं व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष

(राशि रू. में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान सामान्य,एन.ई.आर. के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एनईआर	सहायता अनुदान एवं सामान्य वेतन
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-		-
अनुदान/सहायिकी	13	147648757.00	78445669.00	132660073.00	71817902.00
शुल्क/अभिदान	14	-	12225.00	-	480.00
निवेश से आय (निवेश पर आय, निधियों में अंतरित	15	-	-	-	-
निर्धारित/स्थायी निधियों से आय)		-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-	-	-
उपार्जित ब्याज	17	491660.00	254984.00	919561.00	488917.00
अन्य आय	18	5871686.00	202459.00	5067670.00	140260.00
तैयार माल और स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19		-		-
			-	-	-
योग (क)		**154012103.00**	**78915337.00**	**138647304.00**	**72447559.00**
व्यय					
स्थापना व्यय	20	40625599.00	41174397.00	34905452.00	42240409.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	12163233.00	37049024.00	(16,323,543.00)	25810539.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	120100243.00	-	87958120.00	-
ब्याज	23	-	-	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल योग)		16069549.00	-	17753124.00	-
स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान		0.00	-	-	-
योग (ख)		**188958624.00**	**78223421.00**	**124293153.00**	**68050948.00**
व्यय से अधिक आय होने के कारण अतिशेष (क-ख)		**(34,946,521.00)**	**691916.00**	**14354151.00**	**4396611.00**
विशेष आरक्षित में अंतरण		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित में/से अंतरण		-	-	-	-
समग्र/पूंजीगत निधि में लाई गई अधिशेष/(कम हुई) शेष राशि		**(34,946,521.00)**	**691916.00**	**14354151.00**	**4396611.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
प्राप्तियां और भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रू. में)

प्राप्ति	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष		भुगतान	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान, सामान्य एवं NER के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान (71.01.31)	सहायता अनुदान वेतन एवं सहायता अनुदान सामान्य (36.00.36 एवं 36.00.31)	सहायता अनुदान सामान्य एवं NER	सहायता अनुदान सामान्य एवं सहायता अनुदान वेतन		सहायता अनुदान, सामान्य एवं NER के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन एवं सहायता अनुदान सामान्य	सहायता अनुदान सामान्य एवं NER	सहायता अनुदान सामान्य एवं सहायता अनुदान वेतन
प्रारंभिक अतिशेष									
शेष नकदी	-	-	-	-	स्थापना व्यय (अनुसूची-26)	40,472,832.00	41,612,490.00	37,025,256.00	42,934,169.00
शेष बची डाक टिकट		**13,300.00**		**278,868.00**					
बैंक अतिशेष	**3,239,537.00**	**7,086,866.00**	**25,160,872.00**	**11,771,910.00**					
					अन्य प्रशासनिक व्यय	27,951,943.00	37,180,716.00	9,508,902.00	29,568,613.00
					अनुसची 27				
प्राप्त अनुदान	164,900,000.00	93,000,000.00	139,243,000.00	69,113,000.00	पूर्व अवधि व्यय	-	-		
					विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान (अनु-28)	80,564,583.00	-	88,682,803.00	-
					धनप्रेषण (अनुसूची-29)	-	11,834,861.00	-	13,956,384.00
निवेश से आय					वेतन एवं लेखा अधिकारी महिला एवं बाल विकास	3,239,537.00	7,086,866.00	25,104,000.00	1,385,000.00
अक्षय निधि	-	-	-	-	प्रतिभूति जमा राशि	373,800.00		299,500.00	30,000.00
					जमा प्राप्तियां	-		29,766.00	
स्वनिधि	-	-	-	-	नियत आस्तियों पर व्यय		-	-	-
					क) नियत आस्तियां	5,655,664.00	-	2,033,895.00	
निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	ख) प्रगति पर कार्य	-		-	
					MWCD को सहायता अनुदान वापस किया गया	-	-	1,508,663.00	835,714.00
					अंतिम शेष				
प्राप्त ब्याज					नगद शेष	-		-	-
					शेष डाक टिकटें		**77,942.00**	**-**	**13,300.00**
बैंक में जमा	41,310.00	23,298.00	35,136.00	17,440.00	बैंक अतिशेष (अनु-30)	**13,640,935.00**	**14,489,689.00**	**3,239,537.00**	**7,086,866.00**
MOD (Sweep A/C) पर बैंक ब्याज	391,004.00	220,518.00	1,136,830.00	564,264.00					
ऋण एवं अग्रिम		-		-					
निवेश नगदीकरण	-	-	-	-					
	-	-	-	-					
अन्य आय									
सूचना का अधिकार		12,225.00		480.00					
विभिन्न आय	-	-	976,652.00	107,700.00					
विगत वर्ष विभिन्न आय	2,882,958.00	66,506.00	471,482.00						
धनप्रेषण (अनुसूची-29)		11,834,861.00	-	13,956,384.00					
प्रतिभूति जमा राशि देयताएं वापस लिखा	394,000.00	-	408,350.00	-					
राज्य चेक	50,485.00	24,990.00	-	-					
	171,899,294.00	**112,282,564.00**	**167,432,322.00**	**95,810,046.00**		**171,899,294.00**	**112,282,564.00**	**167,432,322.00**	**95,810,046.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
अनुसूची 1- पूंजीगत निधि				
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	152,334,730.00	6,082,210.00	136,063,984.00	1,685,599.00
जोड़े- आरक्षित एवं अधिशेष से अंतरण	-	-	-	-
जोड़ें/(कटौती) :- आय एवं व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय (व्यय) का अतिशेष	(34,946,521.00)	691,916.00	14,354,151.00	4,396,611.00
		-		-
जोडे:- वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि का परिवर्धन	3,610,308.00	-	1,916,595.00	-
		-		-
		-		-
वर्ष के अंत में अतिशेष	**120,998,517.00**	**6,774,126.00**	**152,334,730.00**	**6,082,210.00**
अनुसूची 2- आरक्षित और अधिशेष				
1) ***पूँजीगत आरक्षित***				
पिछले खाते के अनुसार	-	-	-	-
घटाएं : पूंजीगत निधि में अंतरण अनुसूची 1	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
अनुसूची 3- निर्धारित / स्थायी निधि			**निरंक**		
अनुसूची 4- प्रतिभूत ऋण और उधार			**निरंक**		
अनुसूची 5- अप्रतिभूत ऋण और उधार			**निरंक**		
अनुसूची 6- आस्थगित ऋण दायित्व			**निरंक**		
अनुसूची 7- वर्तमान दायित्व और प्रावधान					
वर्तमान देनदारियां					
मार्च, 2022 के महीने के लिए संदेय वेतन		-	1,925,944.00	-	2,156,251.00
मार्च, 2022 के महीने के लिए संदेय प्रेषण		-	709,080.00	-	831,707.00
मार्च, 2022 के महीने के लिए जीएसटी पर टीडीएस और टीडीएस देय		245,620.00	123,330.00	-	-
डीडब्ल्यूएस/संविदात्मक कर्मचारियों के संबंध में मार्च, 2022 माह के लिए देय ईपीएफ		91,800.00	-	-	-
मार्च, 2022 के महीने के लिए संदेय बिल		3,405,152.00	574,078.00	129,282.00	947,778.00
मार्च, 2022 महीने के लिए ईपीएफ/एनपीएस/सीपीएफ और एडमिन चार्ज नियोक्ता अंशदान		99,450.00	55,518.00		
डीईओ को मार्च, 2022 माह के लिए संदेय पारिश्रमिक		-	-	279,454.00	-
प्रतिभूति जमा		1,165,989.00	103,565.00	1,145,789.00	103,565.00
पुरानी चेक का दायित्व		50,485.00	24,990.00	-	-
मार्च, 2022 के महीने के लिए बैंक शुल्क दायित्व		-	8,397.00	-	6,917.00
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को संदेय		3,305,689.00		3,305,689.00	
अव्ययित शेष राशि के लिए दायित्व वापसी योग्य		13,640,935.00	14,489,689.00	3,239,537.00	7,086,866.00
अव्ययित डाक टिकटों की शेष राशि के लिए दायित्व वापसी योग्य		-	77,942.00	-	13,300.00
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए उपबंध		-	300,000.00	-	150,000.00
किराए की दरों और करों के लिए प्रावधान		-	586,752.00		
संगठन/संस्था/एनजीओ को संदेय (A+B+C+F+H+K)		92,130,344.00	-	56,496,455.00	-
संगठन/संस्था/एनजीओ को संदेय राशि (NER)	(D+E+G+I+J)	10,941,882.00	-	9,261,279.00	-
CPF देय				-	121,590.00
CPF देय अंशदान					121,590.00
		125,077,346.00	**18,979,285.00**	**73,857,485.00**	**11,539,564.00**

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन	क	**36,328,376.00**		**31,104,624.00**	
समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी चेन्ना-स्टू		199,710.00		599,130.00	
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद एसपी.एस		602,280.00		602,280.00	
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ओडिशा- शोध अध्ययन		720,500.00		720,500.00	
एमिटी बिजनेस स्कूल एमिटी यूनिवर्सिटी-एसपी-एसटी		315,600.00		315,600.00	
एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ शोध अध्ययन		97,650.00		97,650.00	
अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय कोयंबटूर-Sp.St		80,000.00		80,000.00	
बहिरी स्मारक महा विद्यालय महाराष्ट्र		184,200.00		552,600.00	
भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान-Sp.St		-		421,470.00	
भारतीय स्त्री शक्ति मुंबई- Re. Sty G		180,000.00		540,000.00	
बीजे सरकार मेडिकल कॉलेज पुणे- Re.Sty		940,000.00		940,000.00	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू-Re.Sty		609,950.00		609,950.00	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर-Re.Sty		608,850.00		608,850.00	
केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय - Res. Sty		711,700.00		711,700.00	
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय		91,140.00		91,140.00	
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय-Sp.St		702,900.00		-	
सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी एनएलयू दिल्ली-Sp.St		711,900.00		711,900.00	
सामाजिक व्यय और समावेश नीति सपा के अध्ययन के लिए केंद्र		99,600.00		99,600.00	
महिला अध्ययन केंद्र अल्लागप्प विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन		77,460.00		232,380.00	
छत्तीसगढ़ राज्य आयोग-Re. Sty		750,000.00		750,000.00	
DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालय उ.प्र.- Re.Sty		99,600.00		298,800.00	
नृविज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय-शोध अध्ययन		258,300.00		774,900.00	
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान रिसर्च स्टडीज विभाग		940,000.00		-	
अर्थशास्त्र विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय-शोध अध्ययन		872,500.00		-	
अर्थशास्त्र विभाग, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय-Sp. St.		85,500.00		256,500.00	
अर्थशास्त्र विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय - शोध अध्ययन		940,500.00		-	
मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग IIT खड़गपुर -Stu		630,000.00		630,000.00	
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग कर्नाटक Sp.		98,200.00		294,600.00	
तमिलनाडु के प्रबंधन केंद्रीय विश्वविद्यालय विभाग - शोध अध्ययन		316,250.00		-	
समाजशास्त्र विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय-Sp. St.		98,994.00		296,982.00	
समाजशास्त्र विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय-Sp. St.		89,600.00		268,800.00	
गवर्नमेंट कॉलेज एमपी-शोध अध्ययन		541,800.00		541,800.00	
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-शोध अध्ययन		720,500.00		720,500.00	
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब -शोध अध्ययन		677,499.00		677,499.00	
हरियाली ग्रामीण विकास केंद्र जाकिर नगर दिल्ली-Sp.		-		122,650.00	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
आईआईएम अहमदाबाद-शोध अध्ययन	583,000.00		-	
आईआईटी जोधपुर -शोध अध्ययन	932,250.00		-	
आईआईटी मद्रास, चेन्नई- शोध अध्ययन	191,100.00		573,300.00	
आईआईटी रुड़की- शोध अध्ययन	610,500.00		-	
भारतीय दलित अध्ययन संस्थान दिल्ली-Sp.St.	100,000.00		100,000.00	
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली-SP	282,450.00		847,350.00	
मानव विकास संस्थान दिल्ली-Sp.St	103,800.00		103,800.00	
जेपियार इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई के लिए संस्थान-SP.St.	384,600.00		384,600.00	
जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता-शोध अध्ययन	932,250.00		-	
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय एडमैन-स्टडी	91,140.00		273,420.00	
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। सामाजिक चिकित्सा केंद्र Sp.St	354,585.00		1,063,755.00	
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (सीएसआरडी) SP.St	174,720.00		174,720.00	
जेके डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप जेएंडके-स्टडी	298,200.00		298,200.00	
कर्नाटक राज्य अक्कामहादेवी महिला विश्वविद्यालय कर्नाटक-शोध अध्ययन	95,400.00		286,200.00	
के. ई. सोसायटी के राजारंबापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महार एसपीएसटी	40,000.00		40,000.00	
किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ-शोध अध्ययन	940,500.00		-	
KNM कला और विज्ञान कॉलेज केरल विश्वविद्यालय -शोध अध्ययन	710,000.00		-	
कोंगू इंजीनियरिंग कॉलेज, तमिलनाडु-शोध अध्ययन	95,000.00		285,000.00	
लेडी डॉक कॉलेज केटी विलकॉक्स शिक्षा शोध अध्ययन	300,000.00		300,000.00	
लोयोला कॉलेज ऑफ सोशल साइंस केरल - अध्ययन	99,300.00		99,300.00	
मदुरै सामाजिक विज्ञान संस्थान तमिलनाडु-Sp.Sty	99,750.00		99,750.00	
मदुरै कामराज विश्वविद्यालय पत्रिका तमिल विभाग -Sp.	120,000.00		120,000.00	
महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा - शोध अध्ययन	803,000.00		-	
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक- Sp.St	143,380.00		143,380.00	
महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान पुणे -शोध अध्ययन	940,500.00		940,500.00	
मानवलोक कॉलेज ऑफ सोशल वर्क महाराष्ट्र -शोध अध्ययन	98,700.00		98,700.00	
एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर -शोध अध्ययन	550,200.00		550,200.00	
NALSAR विधि विश्वविद्यालय - शोध अध्ययन	720,500.00		-	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगाल - Sp.	1,158,000.00		1,158,000.00	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली - Sp. St	926,750.00			
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा - शोध अध्ययन	720,000.00		720,000.00	
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ रांची - Sp.	143,350.00		340,750.00	
पेरियार विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग तमिलनाडु Sp	80,000.00		80,000.00	
पांडिचेरी विश्वविद्यालय-शोध अध्ययन	199,400.00		598,200.00	
पीएसजीआर कृष्णमल महिला कॉलेज, तमिलनाडु - शोध अध्ययन	122,450.00		367,350.00	
रमा देवी महिला विश्वविद्यालय उड़ीसा-शोध अध्ययन	176,200.00		528,600.00	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
सेक्रेड हार्ट कॉलेज सोसायटी तमिल-Sp.St		249,000.00		249,000.00	
सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्स Sp Sf		100,000.00		300,000.00	
स्कूल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात Re		637,450.00		-	
श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय-शोध अध्ययन		902,500.00		902,500.00	
एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई-शोध अध्ययन		267,750.00		267,750.00	
सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु -Sp.St		79,800.00		79,800.00	
श्री सरस्वती त्यागराज महाविद्यालय -Sp. Sp.		266,550.00		266,550.00	
सेंट जोसेफ कॉलेज कर्नाटक - शोध अध्ययन		907,500.00		907,500.00	
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा - शोध अध्ययन		719,998.00		719,998.00	
महिला अध्ययन विभाग भारथिअर विश्वविद्यालय -Std		89,400.00		89,400.00	
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, चंडीगढ़ शोध अध्ययन		759,700.00		759,700.00	
हैदराबाद विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश- शोध अध्ययन		904,000.00		904,000.00	
कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू और कश्मीर-Sp.St		1,320,750.00		1,320,750.00	
यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यूपी-Study		194,820.00		194,820.00	
महिला अध्ययन केंद्र, कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय-शोध		555,500.00		-	
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	**ख**	**26,876,158.00**		**992,075.00**	
एसीपी/मुख्यालय/डीडीओ, एसपीयूडब्ल्यूसी नानकपुरा-क्षमता निर्माण		-		-	
एसीपी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर राजेंद्र नगर-कैपेसी		-		80,000.00	
अपर डीजीपी (प्रशिक्षण) एवं निदेशक बीपीएसपीए ओडिशा- क्षमता निर्माण		135,000.00		135,000.00	
ADINA, फार्मास्युटिकल साइंसेज संस्थान एमपी-क्षमता निर्माण		7,500.00		-	
महिला अध्ययन के लिए अग्रिम केंद्र, उ.प्र-क्षमता निर्माण		7,500.00		-	
अमल कॉलेज ऑफ एडवांस्ड स्टाइल केरल - क्षमता निर्माण		22,500.00		-	
एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल एंड एलाइड साइंस हरियाणा-क्षमता		75,000.00		-	
एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज एमिटी यूनिवर्सिटी यूपी क्षमता		22,500.00		-	
एमिटी लॉ स्कूल नोएडा-क्षमता निर्माण		22,500.00		-	
आंध्र प्रदेश राज्य आयोग-क्षमता निर्माण		360,750.00		-	
अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग-क्षमता निर्माण		372,500.00		-	
असम कृषि विश्वविद्यालय - क्षमता निर्माण गैर एनईआर		774,000.00		-	
असम राज्य महिला आयोग - क्षमता निर्माण गैर एनईआर		247,500.00		-	
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ - क्षमता निर्माण		7,500.00		-	
बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूपी-क्षमता निर्माण		317,400.00		-	
भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस म.प्र.-क्षमता निर्माण		22,500.00		-	
बीएल अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण		7,500.00		-	
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर क्षमता निर्माण गैर एनईआर		1,032,000.00		-	
केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश-क्षमता निर्माण		22,500.00		-	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा - क्षमता निर्माण G	30,000.00		-	
केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू - क्षमता निर्माण	37,500.00		-	
केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान - क्षमता निर्माण	22,500.00		-	
सेंटर फॉर डेवलपमेंट पोल साइंस एंड मैनेजमेंट राजस्थान पुलिस -क्षमता	150,000.00		150,000.00	
महिला अध्ययन केंद्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण	15,000.00		-	
विश्व भारती विश्वविद्यालय में महिला केंद्र, पश्चिम बंगाल क्षमता निर्माण	7,500.00		-	
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बिहार - क्षमता निर्माण	7,500.00		-	
कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस जीबी पंत यूनिवर्सिटी-क्षमता निर्माण	1,720,000.00		-	
कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल त्रिपुरा - क्षमता निर्माण	688,000.00		-	
कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस बिरसा एग्रीक C	860,000.00		-	
कॉलेज ऑफ वेटर साइंस एंड एनिमल हस्ब मिजोरम क्षमता निर्माण	344,000.00		-	
कॉलेज पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन एमपी-क्षमता निर्माण	725,000.00		-	
डीडीयू स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यूपी-क्षमता निर्माण	348,150.00		-	
कृषि विज्ञान विभाग (पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान) तमिलनाडु - क्षमता निर्माण	105,657.00		-	
बायोटेक और पर्यावरण विज्ञान विभाग महाराजा अग्रसेन एचपी क्षमता निर्माण	22,500.00		-	
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग नॉर्थकैप विभाग विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण	15,000.00		-	
महिला अध्ययन विभाग भारथिअर विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण	45,000.00		-	
डीजीसीएन कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस एचपी	300,000.00		-	
डीजीपी पंजाब चंडीगढ़ - न्यायिक क्षमता निर्माण	150,000.00		150,000.00	
दुवासु यूपी- क्षमता निर्माण	46,875.00		-	
फैकल्टी ऑफ लॉ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी-क्षमता निर्माण	15,000.00		-	
जीकेवीके यूएएस बैंगलोर - क्षमता निर्माण	412,500.00		-	
गोवा राज्य आयोग - क्षमता निर्माण	177,500.00		-	
हंस राज महिला महाविद्यालय पंजाब क्षमता निर्माण	15,000.00		-	
हरियाणा राज्य महिला आयोग - क्षमता निर्माण	492,500.00		-	
हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग - क्षमता निर्माण	402,500.00		-	
आईसीएआर केवीके तमिलनाडु - क्षमता निर्माण	332,425.00		-	
प्रबंधन संस्थान बैंगलोर - क्षमता निर्माण	7,500.00		-	
जामिया मिलिया इस्लामिया - क्षमता निर्माण	7,500.00		-	
कामराज कॉलेज तमिल - क्षमता निर्माण	7,500.00		-	
कर्नाटक पुलिस अकादमी - क्षमता निर्माण	150,000.00		150,000.00	
कर्नाटक राज्य अक्कामहादेवी महिला विश्वविद्यालय - क्षमता निर्माण	7,500.00		-	
केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान - क्षमता निर्माण	625,915.00		-	
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय लखनऊ-क्षमता निर्माण	7,500.00		-	
कोंगु आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज तमिलनाडु - क्षमता निर्माण	30,000.00		-	
केवीके दुमका, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड - क्षमता निर्माण	1,032,000.00		-	
केवीके गुड़ामलानी, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर - क्षमता निर्माण	1,032,000.00		-	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
केवीके नवसारी कृषि विश्वविद्यालय गुजरात - क्षमता निर्माण	480,000.00		-	
केवीके राजमाता विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर- क्षमता निर्माण	688,000.00		-	
केवीके सूरत नवसारी कृषि विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण	480,000.00		-	
लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय- क्षमता निर्माण	189,587.00		-	
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर - क्षमता निर्माण	88,000.00		-	
महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय - क्षमता निर्माण	72,325.00		-	
महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई - क्षमता निर्माण	7,500.00		-	
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक - क्षमता निर्माण	37,500.00		-	
महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन-पंजाब	150,000.00		150,000.00	
मणिपुर राज्य महिला आयोग क्षमता निर्माण एनईआर	432,500.00		-	
मेघालय राज्य महिला आयोग क्षमता निर्माण गैर एनईआर	360,000.00		-	
मेहर चंद महाजन डीएवी कॉलेज-चंडीगढ़ - क्षमता निर्माण	75,000.00		-	
एम.ई.एस. कला 7 साइंस कॉलेज केरल-क्षमता निर्माण	22,500.00		-	
मिजोरम राज्य महिला आयोग-क्षमता निर्माण गैर एनईआर	335,000.00		-	
नागालैंड राज्य महिला आयोग-क्षमता निर्माण गैर एनईआर	370,000.00		-	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर- क्षमता निर्माण	7,500.00		-	
गैर कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय - क्षमता निर्माण	225,000.00		-	
नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय - क्षमता निर्माण गैर एनईआर	30,000.00		-	
ओडिशा राज्य आयोग - क्षमता निर्माण G	587,500.00		-	
पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर कॉलेज तमिलनाडु क्षमता निर्माण	75,000.00		-	
पटना वीमेंस कॉलेज- क्षमता निर्माण	30,000.00		-	
पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, अंडमान और निकोबार - क्षमता निर्माण	-		150,000.00	
पुडुचेरी राज्य आयोग - क्षमता निर्माण G	45,000.00		-	
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय- S/C	431,250.00		-	
राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर - क्षमता निर्माण	15,000.00		-	
राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पंजाब - क्षमता निर्माण	15,000.00		-	
रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी मुंबई -क्षमता निर्माण G	463,611.00		-	
रत्नावेल सुब्रमण्यम कॉलेज ऑफ आर्ट्स तमिलनाडु-S/C	64,000.00		-	
संबलपुर विश्वविद्यालय ओडिशा - क्षमता निर्माण	150,000.00		-	
स्कूल ऑफ लॉ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर - क्षमता निर्माण	15,000.00		-	
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लीगल स्टडी नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी - क्षमता निर्माण	15,000.00		-	
शारदा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ यूपी - क्षमता निर्माण	97,500.00		-	
शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान जम्मू - क्षमता निर्माण	1,026,300.00		-	
श्रीकृष्ण महाविद्यालय महाराष्ट्र - क्षमता निर्माण	7,500.00		-	
सिक्किम राज्य महिला आयोग - क्षमता निर्माण गैर एनईआर	372,500.00		-	
एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय, जयपुर- क्षमता निर्माण	75,000.00		-	
SKUAST-कश्मीर= क्षमता निर्माण.	428,800.00		-	
एसपी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुडुचेरी - क्षमता निर्माण	27,075.00		27,075.00	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
सेंट अलॉयसियस कॉलेज कर्नाटक - क्षमता निर्माण		7,500.00		-	
लोक प्रशासन राज्य संस्थान और ग्रामीण विकास त्रिपुरा क्षमता		723,900.00		-	
तमिलनाडु राज्य आयोग -क्षमता निर्माण (G)		125,000.00		-	
तमिलनाडु शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण		225,000.00		-	
तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय चेन्नई - क्षमता		1,725,000.00		-	
तेलंगाना राज्य आयोग - क्षमता निर्माण G		317,500.00		-	
तेलंगाना राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। क्षमता निर्माण		732,888.00		-	
महिलाओं थिवनई अम्मल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु -क्षमता निर्माण		7,500.00		-	
त्रिपुरा राज्य महिला आयोग -क्षमता निर्माण गैर एनईआर		227,500.00		-	
उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान क्षमता निर्माण		150,000.00		-	
उत्तराखंड राज्य आयोग - क्षमता निर्माण Posha		30,000.00		-	
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग-क्षमता निर्माण		255,000.00		-	
विरुंदुनगर हिंदू नारदार तमिलनाडु - क्षमता निर्माण		22,500.00		-	
WENN, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्षमता निर्माण		15,000.00		-	
यशवंतराव चव्हाण अकादमी पुणे - क्षमता निर्माण		468,750.00		-	
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	ग	**8,608,475.00**		**6,714,775.00**	
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी-LAP		45,000.00		45,000.00	
आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग - LAP		147,500.00		147,500.00	
अन्नामाचार्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान तिरुपति - LAP		41,500.00		41,500.00	
असम राज्य आयोग-LAP गैर एनईआर		300,000.00		300,000.00	
अय्या नादर जानकी अम्मल कॉलेज तमिलनाडु - LAP		45,000.00		45,000.00	
बाबा फरीद कॉलेज बठिंडा-LAP		45,000.00		45,000.00	
वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान-LAP		42,375.00		42,375.00	
भगिनी मंडल चोपडा कॉलेज ऑफ सोशल वर्क LAP		45,000.00		45,000.00	
बिहार राज्य महिला आयोग-LAP		400,000.00		400,000.00	
बीपीएस महिला विश्वविद्यालय हरियाणा-LAP		45,000.00		45,000.00	
केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड-LAPG		45,000.00		45,000.00	
चेम्बूर सर्वांकश शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय LAP		45,000.00		45,000.00	
क्राइस्ट, बैंगलोर -LAP		43,000.00		43,000.00	
सीआईटी डिग्री कॉलेज छत्तीसगढ़ - LAP		50,000.00		50,000.00	
शिक्षा विभाग भारतीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु LAP		45,000.00		45,000.00	
एमराल्ड्स एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैंगमट स्टडी एपी LAP		30,750.00		30,750.00	
विधि संकाय A.M.U (केंद्रीय विश्वविद्यालय) LAP		44,000.00		44,000.00	
गोवा राज्य आयोग-LAP		300,000.00		300,000.00	
गवर्नमेंट कॉलेज एपी - LAP		45,000.00		45,000.00	
गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज छत्तीसगढ़-LAP		-		44,450.00	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
राजकीय कमला देवी रति पीजी गर्ल्स -LAP	-		44,450.00	
गवर्नमेंट रानी अवंती बाई लोधी कॉलेज छत्तीसगढ़-LAP	44,450.00		44,450.00	
हरियाणा राज्य महिला आयोग-LAP	800,000.00		800,000.00	
हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग-LAP	500,000.00		500,000.00	
इंद्र गणेशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तिरुचिरापल्ली - LAP	45,000.00		45,000.00	
जम्मू और कश्मीर राज्य आयोग-LAP	-		50,000.00	
कालिंदी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय-LAP	-		45,000.00	
केरल महिला आयोग-LAP	250,000.00		250,000.00	
क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव, नासिक LAP	40,000.00		40,000.00	
के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय गुरुग्राम -LAP	-		45,000.00	
लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान द्वारका-LAP	45,000.00		45,000.00	
महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय रोहतक - LAP	45,000.00		45,000.00	
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय LAP	45,000.00		45,000.00	
मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटक -LAP	30,000.00		30,000.00	
मिजोरम राज्य आयोग LAP	600,000.00		600,000.00	
निर्मला महिला कॉलेज तमिलनाडु - LAP	45,000.00		45,000.00	
उड़ीसा राज्य महिला आयोग	20,000.00		-	
ओपी जिंदल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़-LAP	45,000.00		45,000.00	
पीपुल्स कॉलेज महाराष्ट्र - LAP	45,000.00		45,000.00	
पंजाब राज्य महिला आयोग - LAP	-		150,000.00	
राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर - LAP	44,000.00		44,000.00	
राजस्थान राज्य महिला आयोग - LAP	200,000.00		200,000.00	
रामचंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज एपी -LAP	50,000.00		50,000.00	
रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय केएलई सोसायटी LAP	-		45,000.00	
रशीदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय यूपी -LAP	50,000.00		50,000.00	
सरस्वती कॉलेज ऑफ सोशल वर्क महाराष्ट्र - LAP	45,000.00		45,000.00	
सत्यवती कॉलेज दिल्ली - LAP G	-		45,000.00	
शाहजी लॉ कॉलेज, कोल्हापुर- LAP	48,300.00		48,300.00	
श्री देवी सिंह शिक्षा संस्थान उ.प्र-LAP	45,000.00		45,000.00	
श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु-LAP	45,000.00		45,000.00	
श्रीकृष्ण महाविद्यालय-महाराष्ट्र-LAP	45,000.00		45,000.00	
श्री नारायणा ट्रेनिंग कॉलेज केरल- LAPG	-		45,000.00	
सेंट एन्स कॉलेज फॉर वुमेन मेहदीपट्टनम तेलंगाना -LAP	45,000.00		45,000.00	
सेंट जॉर्ज कॉलेज अरुविथुरा केरल LAP	45,000.00		45,000.00	
सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तमिल, LAP	45,000.00		45,000.00	
सेंट पॉल कॉलेज केरल-LAP	45,000.00		45,000.00	
स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय महाराष्ट्र-LAP	-		45,000.00	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी -LAP G		45,000.00		45,000.00	
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, LAP		50,000.00		50,000.00	
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग-LAP		1,400,000.00		700,000.00	
वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु - LAP G		45,000.00		45,000.00	
वेल टेक हाई टेक इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई - LAP		45,000.00		45,000.00	
विश्वेश्वरैया कम्युनिटी कॉलेज उदयपुर - LAP		45,000.00		45,000.00	
विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी तमिलनाडु - LAP		-		45,000.00	
विवेकानंद महिलाओं कॉलेज ऑफ एआरएस एंड साइंस -LAP		45,000.00		45,000.00	
महिला अधिकारिता समाज कल्याण विभाग जम्मू-कश्मीर - LAP		1,777,600.00		-	
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम एनईआर	ध	**1,397,750.00**		**1,540,800.00**	
अरुणाचल प्रदेश राज्य आयोग (LAP एनईआर)		360,000.00		360,000.00	
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्रिपुरा - LAP एनईआर		-		46,800.00	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मणिपुर- L		60,000.00		60,000.00	
मणिपुर विश्वविद्यालय, महिला अध्ययन केंद्र इंफाल - LAP G		54,000.00		54,000.00	
मिजोरम राज्य महिला आयोग, एनईआर LAP		-		480,000.00	
नागालैंड राज्य महिला आयोग		383,750.00		-	
सिक्किम राज्य महिला आयोग - LAP एनईआर		540,000.00		540,000.00	
संगोष्ठी सम्मेलन एनईआर	ङ	**1,295,992.00**		**1,655,317.00**	
अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग -SC/NE		158,500.00		-	
अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज -S/CNER G		-		75,000.00	
असम राज्य महिला आयोग (S/C)		85,925.00		-	
मानव संसाधन और आर्थिक विकास केंद्र इंफाल		-		25,000.00	
ग्रामीण अधिकारिता एवं विकास संगठन केंद्र S/C NER		-		25,000.00	
डूमडूमा कॉलेज असम - S/C NER		-		177,000.00	
संगठन के लिए जनरेशन वेलफेयर सोसायटी -S/C NER		-		25,000.00	
आईसीएफएआई विश्वविद्यालय त्रिपुरा -S/C NER		15,000.00		-	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय-मणिपुर S/C N		-		151,000.00	
केके हांडिकि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, असम - S/C NER		15,000.00		-	
मणिपुर राज्य महिला आयोग S/C		40,000.00		75,000.00	
मणिपुर उत्थान केंद्र - S/C NER		-		25,000.00	
मेघालय राज्य महिला आयोग-S/C		145,000.00		130,000.00	
मिशन फाउंडेशन मूवमेंट मिजोरम- S/C NER		15,000.00		-	
मिजोरम राज्य आयोग - NER(S/C)		-		50,000.00	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी असम -S/N		7,500.00		-	
उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय शिलांग एस/सी एनईआर पोषण		15,000.00		-	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय शिलांग - S/C G		15,000.00		-	
पुथिमारी कॉलेज असम -S/C NER		-		122,500.00	
राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश -S/C NER		-		25,000.00	
रजिस्ट्रार, मिजोरम विश्वविद्यालय मिजोरम -S/C NER		-		25,000.00	
ग्रामीण महिला उत्थान संघ असम -S/C NER		-		147,500.00	
शंकरदेव कॉलेज मेघालय-S/C NER		15,000.00		25,000.00	
सिक्किम राज्य आयोग		402,700.00		222,700.00	
सिक्किम विश्वविद्यालय -S/C NER		7,500.00		25,000.00	
सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति फाउंडेशन इंफाल S/C N		-		25,000.00	
सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड एजुकेशन, मणिपुर		-		25,000.00	
सेंट एडमंड्स कॉलेज शिलांग -S/C NER		-		25,000.00	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुंबई S/C NER		229,617.00		229,617.00	
तेजपुर विश्वविद्यालय असम- S/C NER		15,000.00		-	
त्रिपुरा राज्य महिला आयोग - S/C NER		114,250.00		-	
संगोष्ठी सम्मेलन अन्य	च	**18,160,387.00**		**17,191,212.00**	
समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी तमिल एन एस/		15,000.00		-	
एक्शन एड एसोसिएशन दिल्ली-S/c		-		25,000.00	
अलागप्पा विश्वविद्यालय तमिलनाडु -S/C		75,000.00		-	
अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, जनकपुरी -S		25,000.00		25,000.00	
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उड़ीसा-S/C Poshan		15,000.00		-	
ऑल वीमेन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु -S/C		57,000.00		57,000.00	
एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी यूपी-S/C G		-		25,000.00	
एमिटी लॉ स्कूल, यूपी (Sem/Con)		-		25,000.00	
एमिटी यूनिवर्सिटी पटना - S/C		-		25,000.00	
आनंद एजुकेशन कॉलेज गुजरात -S/C		89,500.00		-	
आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग-S/C		215,000.00		200,000.00	
आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी -S/C		-		25,000.00	
आश्रय संस्था महाराष्ट्र - S/C		25,000.00		25,000.00	
ए. वीरिया वंदयार मेमोरियल पुष्प.कॉलेज -S/C		-		25,000.00	
बहेरा कॉलेज बिहार-S/C		74,000.00		-	
भारथिअर विश्वविद्यालय महिला विभाग तमिलनाडु -S/C		-		25,000.00	
भारथिअर विश्वविद्यालय तमिलनाडु-S/C		-		25,000.00	
बीएन पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस-S/C		-		25,000.00	
बीपीआर एंड डी नई दिल्ली-S/C		122,493.00		-	
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी यूपी - S/C		74,500.00		-	
उद्यमिता विकास केंद्र (CEDMAP) मध्य प्रदेश -S/C		-		119,350.00	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
महिला अध्ययन केंद्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय S	15,000.00		-	
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिमला S	-		123,000.00	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग-S/C	652,500.00		527,500.00	
कॉलेज ऑफ होम साइंस मुंबई-S/C Poshan	15,000.00		-	
वाणिज्य विभाग एएमयू अलीगढ़ - S/C	-		127,500.00	
गृह विज्ञान विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल -S/C	70,750.00		-	
प्रसूति एवं स्त्री रोग चिकित्सा विश्वविद्यालय विभाग उ. प्र. S/	15,000.00		-	
पुलिस उपायुक्त एसपीयूडब्ल्यूएसी मालवीय नगर -S/C	968,382.00		968,382.00	
डिगबोल महिला महाविद्यालय असम -S/C	65,500.00		-	
डीपीएम श्री मल्लिकार्जुन और चेतन एमडी कॉलेज गोवा S/C	15,000.00		-	
डॉ अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-S/C	-		25,000.00	
डॉ बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा - S/C	15,000.00		-	
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय म.प्र. -S/C	-		25,000.00	
एमराल्ड्स एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एमजीएमटी स्टडी AP S/C	25,000.00		25,000.00	
गोवा कॉलेज ऑफ होम साइंस -S/C पोषण	15,000.00		-	
गोवा राज्य महिला आयोग - S/C	101,500.00		-	
शासकीय महाविद्यालय पुरुष अनंतपुर एपी-S/C G	136,000.00		136,000.00	
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च पुणे -S/C	75,000.00		25,000.00	
गुजरात राज्य महिला आयोग -S/C	70,000.00		70,000.00	
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़-S/C	75,000.00		-	
गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज पंजाब -S/C G	126,000.00		126,000.00	
गुरु नानक कॉलेज फॉर गर्ल्स, पंजाब S/C	-		25,000.00	
हरियाणा राज्य आयोग-S/C G	35,000.00		20,000.00	
हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग S/C	368,550.00		360,050.00	
होली क्रॉस कॉलेज नागरकोइल, तमिलनाडु -S/C	-		100,000.00	
एचपीकेवी बिजनेस स्कूल हिमाचल प्रदेश -S/C	15,000.00		-	
आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान तेलंगाना -S/C	15,000.00		-	
आईआईएम बैंगलोर- S/C	-		4,500,000.00	
आईआईएम-जम्मू-S/C G	737,500.00		-	
आईआईएम-, कोझिकोड-सेमिनार G	1,830,000.00		-	
आईआईपीए दिल्ली- S/C	139,500.00		139,500.00	
इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज अरुणाचल प्रदेश S/C	75,000.00		-	
इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तेलंगाना-S/C	-		25,000.00	
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय म.प्र., S/C	25,000.00		25,000.00	
जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय अंडमान-S/C	60,000.00		-	
काकरापर्ती भावनारायण कॉलेज-S/C G	-		25,000.00	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
कर्नाटक राज्य अक्कामहादेवी महिला विश्वविद्यालय - S/C	-		25,000.00	
केके हांडिकि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी असम -S/C Non NER	37,500.00		-	
केएनएम गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज केरल-S/C	17,500.00		-	
कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल-S/C G	-		25,000.00	
कुंवर सिंह कॉलेज पीडब्ल्यूडी कॉलेज बिहार-S/C	-		25,000.00	
एलकेवीडी कॉलेज तेजपुर बिहार-S/C	-		25,000.00	
मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई-S/C G	-		25,000.00	
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी S/C	25,000.00		155,000.00	
मामो कॉलेज केरल-S/C	-		25,000.00	
मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी S/C	15,000.00		-	
मणिपुर राज्य आयोग -S/C Non NER	99,100.00		-	
मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी-S/C	15,000.00		-	
मेघालय राज्य आयोग-S/C Non NER	-		111,300.00	
एमएम महिला महाविद्यालय बिहार-S/C	75,000.00		-	
एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु -S/C	15,000.00		-	
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर-S/C	595,000.00		-	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगला S/C	-		111,000.00	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली - S/C	4,200,000.00		-	
नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी एंड रिसर्च झारखंड-S/	-		25,000.00	
निलोय असम- Sem/Con Non NER	15,000.00		-	
नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव-S/C G	67,500.00		-	
ओडिशा राज्य महिला आयोग-S/C	141,000.00		176,000.00	
परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस जयपुर-S/C	75,000.00		-	
इंजीनियरिंग पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज-S/C G	-		25,000.00	
पी.के.आर. तमिलनाडु महिला कला महाविद्यालय - S/C	-		25,000.00	
प्रभात कुमार कॉलेज पश्चिम बंगाल-S/C G	25,000.00		25,000.00	
प्रज्ञा मानव कल्याण संस्थान ट्रस्ट म.प्र-S/C	-		25,000.00	
प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैंगमट एंड रिसर्च मध्य प्रदेश-S/C	70,500.00		-	
प्रिंसिपल कोंगू इंजीनियर कॉलेज तमिलनाडु -S/C	-		25,000.00	
पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस तमिलनाडु-S/C	75,000.00		-	
पंजाब राज्य महिला आयोग -S/C	-		150,000.00	
रास नारायण कॉलेज बिहार-S/C	75,000.00		-	
RBVRR महिला कॉलेज हैदराबाद-S/C	34,000.00		-	
समर्पण ट्रस्ट मंडली गुजरात - S/C	-		25,000.00	
शंकर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स तमिलनाडु -S/C	-		25,000.00	
स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद S	25,000.00		25,000.00	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
स्कूल ऑफ लॉ फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टाइल गुजरात S/C		75,000.00		-	
स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी, नोएडा -S/C		50,000.00		50,000.00	
शाहजी लॉ कॉलेज कोल्हापुर -S/C		-		25,000.00	
शिवाजी कॉलेज विश्वविद्यालय- S/c		25,000.00		25,000.00	
सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज -S/C Non NER		7,500.00		-	
एसपी कॉलेज सिरोही राजस्थान-S/C G		-		25,000.00	
सृजन संस्थान इलाहाबाद-S/C		-		75,000.00	
सेंट एन्स महिला कॉलेज हैदराबाद तेलंगाना-S/C		-		25,000.00	
सेंट एडमंड्स कॉलेज शिलांग -S/C Non NER		7,500.00		-	
सस्टेनेबल लाइफ ट्रस्ट तमिलनाडु-S/C		-		62,500.00	
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय S/C G		25,000.00		25,000.00	
स्वामी स्वतंत्रानंद मेमोरियल कॉलेज पंजाब -S/C		15,000.00		-	
स्वामी विवेकानंद शिक्षण, राजे रामराव महाविद्यालय S		75,000.00		-	
तमिलनाडु राज्य महिला आयोग S/C		317,708.00		302,708.00	
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई -S/C		971,646.00		971,646.00	
तेलंगाना राज्य महिला आयोग-S/C		565,000.00		600,000.00	
TISS मुंबई-जम्मू और कश्मीर परियोजना-S/C		3,317,358.00		5,596,776.00	
TISS हिंसा मुक्त गृह दिल्ली परियोजना -S/C		100,000.00		100,000.00	
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग-S/C		15,000.00		-	
उत्तराखंड राज्य आयोग- S/C G		50,000.00		50,000.00	
वीर वाजेकर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज महाराष्ट्र-S/C		69,500.00		-	
विकास भारती सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट गुजरात S/C		25,000.00		25,000.00	
महिला अधिकारिता, समाज कल्याण विभाग जम्मू और कश्मीर-S/C		103,400.00		-	
योगेश्वरी महाविद्यालय महाराष्ट्र -S/C		105,000.00		105,000.00	
योगी वेमना विश्वविद्यालय एपी-S/C		-		-	
योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड-S/C		-		-	
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन एनईआर	**छ**	**6,846,023.00**		**4,956,902.00**	
असम विश्वविद्यालय- Sp.St.NER		267,000.00		267,000.00	
महिला अध्ययन केंद्र डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन NE		610,000.00		610,000.00	
चंद्रप्रभा सैकियानी महिला केंद्र, असम		285,000.00		285,000.00	
डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन असम यूनिवर्सिटी रिसर्च स्टडी -NER		717,750.00		717,750.00	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मणिपुर		96,600.00		289,800.00	
मणिपुर विश्वविद्यालय इंफाल-शोध अध्ययन NER		600,000.00		-	
नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग -शोध अध्ययन NER		610,500.00		-	
उत्तर कामरूप कॉलेज असम - शोध अध्ययन NER		720,225.00		-	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
राजीव गांधी विश्वविद्यालय एपी-शोध अध्ययन NER		1,831,000.00		1,869,902.00	
टेट्सो कॉलेज नागालैंड- शोध अध्ययन NER		497,450.00		497,450.00	
विवेकानंद केंद्र संस्कृति संस्थान असम		-		420,000.00	
महिला अध्ययन केंद्र, नागालैंड विश्वविद्यालय शोध अध्ययन NER		610,498.00		-	
कानून की समीक्षा	ज	**1,257,209.00**		**493,769.00**	
विधि विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ -कानून की समीक्षा		100,000.00		-	
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-कानून की समीक्षा		134,528.00		134,528.00	
नेशनल लॉ स्कूल और न्यायिक अकादमी		175,000.00		-	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगल -कानून की समीक्षा		127,431.00		146,991.00	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक - कानून की समीक्षा G		175,250.00		175,250.00	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा कानून की समीक्षा		175,000.00			
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी		-		17,000.00	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली		20,000.00		20,000.00	
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल पुणे		175,000.00			
तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई		175,000.00			
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण - NER	झ	**1,402,117.00**		**-**	
मणिपुर राज्य आयोग		60,000.00		-	
राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश		7,500.00		-	
सेल्सियन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, नागालैंड		7,500.00		-	
सिक्किम राज्य महिला आयोग		10,917.00		-	
राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान, असम		753,700.00		-	
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, मिजोरम		562,500.00		-	
		-		-	
महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण - NER	ञ	**-**		**1,108,260.00**	
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तेलंगाना		-		1,108,260.00	
कानूनी सेवा क्लिनिक सहायता	ट	**899,739.00**		**-**	
अरुणाचल प्रदेश राज्य आयोग - कानूनी क्लिनिक		100,000.00		-	
असम राज्य आयोग- कानूनी क्लिनिक		100,000.00		-	
हरियाणा राज्य आयोग-कानूनी क्लिनिक		100,000.00		-	
हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग- विधिक सेवाएं Cl		100,000.00		-	
नागालैंड राज्य आयोग-कानूनी क्लिनिक		100,000.00		-	
ओडिशा राज्य आयोग -कानूनी क्लिनिक		100,000.00		-	
सिक्किम राज्य आयोग - कानूनी क्लिनिक		99,739.00		-	
त्रिपुरा राज्य आयोग-कानूनी क्लिनिक		100,000.00		-	
उत्तर प्रदेश राज्य आयोग - कानूनी सेवा		100,000.00		-	

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
अनुसूची 8- अचल संपतियां				
1) भूमि	3,553,443.00	-	3,553,443.00	
2) फर्नीचर एवं फिक्सचर	9,625,436.00	-	10,059,062.00	
3) मशीनरी और उपकरण	31,494,903.00	-	36,226,235.00	
4) कम्प्यूटर	2,501,218.00	-	1,472,187.00	
5) वाहन	1,813,410.00	-	2,133,423.00	
6) पुस्तक एवं प्रकाशन	31,500.00	-	43,243.00	
7) भवन	72,396,546.00		80,440,607.00	
	121,416,456.00	**-**	**133,928,200.00**	

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 8- स्थायी आस्तियाँ

(राशि ₹ में)

	ग्रॉस ब्लॉक					मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
	प्रारंभिक शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	समायोजन	अंतिम शेष	आरंभिक शेष राशि पर (*)	परिवर्धन पर	कटौतियों पर	कुल मूल्यह्रास अंत में	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
स्थायी आस्तियाँ										-	
भूमि	3,553,443			-	3,553,443.00	-	-	-	-	3,553,443.00	3,553,443
भवन	80,440,607	-	-	-	80,440,607.00	8,044,061.00	-	-	8,044,061.00	72,396,546.00	80,440,607
प्लांट एवं मशीनरी	36,226,235	773,983.00	-	-	37,000,218.00	5,433,935.00	71,380.00		5,505,315.00	31,494,903.00	36,226,235
वाहन	2,133,423	-	-	-	2,133,423.00	320,013.00	-	-	320,013	1,813,410	2,133,423
फर्नीचर,फिक्सचर	10,059,062	602,400.00	-	-	10,661,462.00	1,005,906.00	30,120.00		1,036,026.00	9,625,436.00	10,059,062
कम्प्यूटर	1,472,187	2,174,704.00	52,503.00	52,279.00	3,646,667.00	588,875.00	556,574.00		1,145,449.00	2,501,218.00	1,472,187
पुस्तकें एवं प्रकाशन	43,243	6,942.00	-	-	50,185.00	17,297.00	1,388.00	-	18,685.00	31,500.00	43,243
चालू वर्ष का कुल	**133,928,200**	**3,558,029**	**52,503**	**52,279**	**137,486,005**	**15,410,087**	**659,462**	**-**	**16,069,549**	**121,416,456.00**	**133,928,200**

मूल्यह्रास गणना

कंप्यूटर

पूर्ण मूल्यह्रास रु.. 575168/- (रु.. 542171+रु.. 32997) पर	230067		
अर्ध मूल्यह्रास रु. 1632533 पर	326507		
कुल मूल्यह्रास	**556,574.00**		

मशीनरी

		26,663	
2021-22 की खरीद पर प्रभारित पूर्ण मूल्यह्रास(सित,21 तक) रु.. 1,77755			
		44,717	
वर्ष 2021-22 के लिए प्रभारित अर्ध मूल्यह्रास रु.. 596228/- पर			
वर्धन पर कुल मूल्यह्रास		**71,380**	

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
अनुसूची 9 अंकित/अक्षय निधि से निवेश				निरंक	
अनुसूची 10 अन्य निवेश				निरंक	
अनुसूची 11 वर्तमान संपत्ति, लोन, अग्रिम					
क	**चालू सम्पतियां**				
1)	सूची		540,165.00		327,481.00
2)	हाथ में नकद (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	-	-	-	-
3)	हाथ में डाक टिकट		77,942.00		13,300.00
4)	बैंक बैलेंस:-				
	अनुसूचित बैंकों के साथ:				
	बचत खातों पर	13,640,935.00	14,489,689.00	3,239,537.00	7,086,866.00
5)	ऋण, अग्रिम और अन्य राशि वसूली योग्य नकद या में प्रकार या मूल्य प्राप्त करने के लिए:-	-	-	-	-
6)	प्रीपेड व्यय	177,000.00	-		-
7)	मार्च, 2021 के महीने के लिए अर्जित ब्याज	137,190.00	-	66,676.00	-
8)	विविध देनदार	150,000.00	-	150,000.00	-
	क	**14,105,125.00**	**15,107,796.00**	**3,456,213.00**	**7,427,647.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
ख	**ऋण और अग्रिम**				
	सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.71.01.31)	**91,497,156.00**		**73,050,498.00**	
	कर्मचारियों को अग्रिम (X+Y+Z)	**224,044.00**		**2,300.00**	
	संगोष्ठी एवं सम्मेलन (X)	224,044.00		2,300.00	
	मृदुल भट्टाचार्या	96,300.00		2,300.00	
	आर.सी.मिश्रा	37,744.00		-	
	ललीत कुमार	20,000.00		-	
	देवेंद्र, निजी सचिव	70,000.00		-	
	विज्ञापन के लिए अग्रिम	**11,674,101.00**		**11,815,201.00**	
	लेखा अधिकारी DAVP, विज्ञापन (Adv.)	11,509,064.00		11,509,064.00	
	संपादक रोजगार समाचार विज्ञापन	55,037.00		55,037.00	
	वेतन एवं लेखा अधिकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	-		151,100.00	
	संस्कृत भारती दिल्ली	100,000.00		100,000.00	
	अतुल सिंहा, वरिष्ठ प्रोग्रामर	10,000.00		-	
	श्रव्य दृश्य प्रचार के लिए अग्रिम	**37,596,450.00**		**37,596,450.00**	
	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	7,631,100.00		7,631,100.00	
	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम- उन्नत ऑडियो विजुअल	1,197,291.00		1,197,291.00	
	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम- उन्नत ऑडियो विजुअल	12,272,292.00		12,272,292.00	
	प्रसार भारती	16,495,767.00		16,495,767.00	
	संगठन/राज्य आयोग/एनजीओ को अग्रिम	**1,653,489.00**		**1,653,489.00**	
	संगोष्ठी एवं सम्मेलन				
	आंध्र प्रदेश राज्य आयोग	200,000.00		200,000.00	
	गुजरात राज्य महिला आयोग	94,170.00		94,170.00	
	हरियाणा राज्य महिला आयोग	100,000.00		100,000.00	
	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	1,259,319.00		1,259,319.00	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
सम्मेलन के लिए अग्रिम	**674,640.00**		**741,168.00**	
सहायक निदेशक एस्टेट-S/C Adv	30,000.00		30,000.00	
बामर एंड लॉरी कंपनी लिमिटेड-Adv Sem	300,000.00		300,000.00	
उप निदेशक बागवानी	107,310.00		107,310.00	
इंडियन इंटरनेशनल सेंटर	-		66,528.00	
इंडिया अहेड न्यूज प्रा. लि.	-		-	
प्रवासी भारतीय केन्द्र	88,500.00		88,500.00	
आईटीडीसी	-		-	
सहायक निदेशक, एस्टेट	148,830.00		148,830.00	
विधिक समीक्षा के लिए अग्रिम	**818,290.00**		**818,290.00**	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गुजरात	100,000.00		100,000.00	
राष्ट्रीय विधि विद्यालय, उड़ीसा	18,290.00		18,290.00	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बैंगलुरु	700,000.00		700,000.00	
विधिक जागरुकता कार्यक्रम के लिए अग्रिम	**20,423,600.00**		**20,423,600.00**	
केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जेएनयू कैम्पस	600,000.00		600,000.00	
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)	19,823,600.00		19,823,600.00	
क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अग्रिम	**1,578,687.00**		**-**	
आंध्र प्रदेश राज्य आयोग	60,000.00		-	
छत्तीसगढ़ राज्य आयोग	60,000.00		-	
गोवा राज्य आयोग	120,000.00		-	
राष्ट्रीय लिंग केंद्र, LBSNAA	1,248,687.00		-	
उड़ीसा राज्य आयोग	90,000.00		-	
महिला सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए अग्रिम	**9,320,000.00**		**-**	
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय	9,320,000.00		-	
हेल्पलाइन के लिए अग्रिम 24X7	**4,969,720.00**		**-**	
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	4,950,000.00		-	
एमटीएनएल - पीआरआई लाइन के लिए	19,720.00			
फर्नीचर के लिए अग्रिम	**2,564,135.00**		**-**	
एनबीसीसी लिमिटेड	2,564,135.00		-	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.35.00.31)	ग		**5,489,958.00**	**-**	**4,988,135.00**
कर्मचारियों को अग्रिम			**5,478,805.00**		**4,976,982.00**
कार्यालय व्यय			**40,000.00**	**-**	**47,703.00**
आर.सी.मिश्रा			-		14,039.00
ललीत कुमार			20,000.00		-
मृदुल भट्टाचार्या			20,000.00		33,664.00
यात्रा व्यय			**219,914.00**	**-**	**219,914.00**
बामर और लॉरी			219,914.00		219,914.00
पेट्रोल के लिए अगिम			**1,365.00**		**1,365.00**
बी. एस. रावत			1,365.00		1,365.00
कार्यालय व्यय के लिए अग्रिम			**5,217,526.00**		**4,708,000.00**
बीआरपीएल			780,000.00		418,000.00
आईनॉक्स अवकाश			43,000.00		
एनबीसीसी सर्विस लिमिटेड			4,394,526.00		4,290,000.00
ओएमसीए			**11,153.00**		**11,153.00**
अन्य मोटर कार एडवांस			11,153.00		11,153.00
अनुदान सहायता के तहत NER (2235.02.103.71.01.31)	ध	**23,300,754.00**		**20,866,370.00**	**-**
संगठनों/राज्य आयोगों/गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम		**6,568,636.00**		**4,134,252.00**	
संगोष्ठी एवं सम्मेलन (NER)		**2,568,252.00**		**2,568,252.00**	**-**
निदेशक, सामाजिक कल्याण, मेघालय सरकार		440,000.00		440,000.00	-
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, असम		-		-	-

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
पाण्डीचेरी महिला आयोग		500,000.00		500,000.00	-
प्रमुख सचिव, त्रिपुरा सरकार		250,000.00		250,000.00	-
राज्य महिला आयोग, अरुणाचल प्रदेश		100,000.00		100,000.00	
राज्य महिला आयोग, मणिपुर		218,000.00		218,000.00	
राज्य महिला आयोग, मेघालय		51,000.00		51,000.00	
मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय		34,750.00		34,750.00	
दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर		74,502.00		74,502.00	
रोटरी क्लब शिलांग		900,000.00		900,000.00	-
विधिक जागरुकता कार्यक्रम (NER)		**4,000,384.00**		**1,566,000.00**	**-**
रोटरी क्लब शिलांग - NER		400,000.00		400,000.00	-
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)		3,600,384.00		1,166,000.00	
विज्ञापन के लिए अग्रिम (NER)		**4,428,428.00**		**4,428,428.00**	
लेखा अधिकारी DAVP		1,344,231.00		1,344,231.00	
प्रचार भारती		3,084,197.00		3,084,197.00	
श्रव्य दृश्य और प्रचार के लिए अग्रिम (NER)		**12,303,690.00**		**12,303,690.00**	
लेखा अधिकारी DAVP		847,900.00		847,900.00	
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम		6,734,210.00		6,734,210.00	
प्रसार भारती (BCI)		4,721,580.00		4,721,580.00	
योग ङ (ख+ग+घ)		**114,797,910.00**	**5,489,958.00**	**93,916,868.00**	**4,988,135.00**
सुरक्षा जमा राशि	च	**883,029.00**	**29,000.00**	**67,926.00**	**29,000.00**
योग क+ङ+च		**129,786,064.00**	**20,626,754.00**	**97,441,007.00**	**12,444,782.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
अनुसूची 12- बिक्री/सेवाओं से आय	**निरंक**		**निरंक**	

अनुसूची 13 अनुदान

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्यएवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं सामान्य
1)	केन्द्र सरकार				
	अनुदान	151,259,065.00	78,445,669.00	134,576,668.00	71,817,902.00
	घटाएं : पूंजीकृत सहायता अनुदान राशि	3,610,308.00	-	1,916,595.00	-
	कुल अनुदान	**147,648,757.00**	**78,445,669.00**	**132,660,073.00**	**71,817,902.00**

अनुसूची 14- शुल्क/सदस्यता

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं सामान्य	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
1)	□ प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2)	वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-	-	-
3)	आर.टी.आई. शुल्क	-	12,225.00	-	480.00
			-		-
			12,225.00		**480.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं सामान्य
अनुसूची-15 निवेश से आय		निरंक		निरंक
अनुसूची-16 रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		निरंक		निरंक

अनुसूची-17 अर्जित बयान

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
1)	बचत बैंक खाते पर				
	क) शेड्यूल बैंक के साथ	28,218.00	14,635.00	41,768.00	22,208.00
	ख) MOD(Sweep A/C) से ब्याज	463,442.00	240,349.00	877,793.00	466,709.00
2)	HBA से ब्याज	-	-	-	-
3)	CPF से अर्जित ब्याज	-		-	-
4)	FDR से अर्जित ब्याज	-		-	-
		491,660.00	**254,984.00**	**919,561.00**	**488,917.00**

अनुसूची-18 अन्य आय

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं सामान्य	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
1)	पुनरांकित देयताएं	3,087,549.00	135,953.00	3,725,653.00	32,560.00
2)	अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	19,282.00			
3)	विविध आय	-	-	902,285.00	107,700.00
4)	विगत अवधि में विविध आय	2,731,858.00	66,506.00	439,732.00	-
5)	पूर्व अवधि समायोजन	32,997.00	-	-	-
		5,871,686.00	**202,459.00**	**5,067,670.00**	**140,260.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.
अनुसूची-19 तैयार सामान एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि/ (कमी)	**निरंक**		**निरंक**	
क) बंद स्टॉक		निरंक		निरंक
ख) कम: प्रारंभिक स्टॉक		निरंक		निरंक
कुल वृद्धि/(कमी) (क-ख)				0

अनुसूची-20 स्थापना व्यय

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
1	वेतन:-				
	अध्यक्षा एवं सदस्य (13336569-407588 {देय})	-	12,928,981.00	-	14,802,164.00
	अधिकारी (13696401-1210173{देय}-12553(CPF सीपीएफ देय)	-	12,473,675.00	-	13,491,533.00
	स्टाफ (12830043-1017203-60 {देय}-42965 (एनपीएस आदि देय)	-	11,769,815.00	-	9,126,646.00
2	भत्ता	39,112,278.00	-	31,802,642.00	-
3	मार्च के महीने के लिए देय ईपीएफ नियोक्ता अंशदान	99,450.00		279,454.00	
4	अन्य निधियों में योगदान:-				
	LSC/PC	-	1,311,384.00	-	1,710,518.00
5	पेशेवर शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	1,393,133.00	-	2,802,618.00	-
6	मार्च महीने के लिए संदेय व्यावसायिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	20,738.00		20,738.00	
7	CGHS देय		-		-
8	CPF अंशदान देय		-		121,590.00
9	मार्च, 2022 के महीने के लिए देय वेतन		1,925,944.00		2,156,251.00
10	मार्च, 2022 के महीने के लिए देय विप्रेषण		709,080.00		831,707.00
11	मार्च, 2022 के महीने के लिए देय एनपीएस और ईपीएफ/सीपीएफ नियोक्ता अंशदान		42,965.00		
12	मार्च, 2022 के महीने के लिए सीपीएफ नियोक्ता योगदान और प्रशासन शुल्क		12,553.00		
		40,625,599.00	**41,174,397.00**	**34,905,452.00**	**42,240,409.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
विज्ञापन व्यय	51,247.00	-	54,932.00	-
प्रिंटिंग	589,177.00	-	326,625.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	4,841,397.00	-	3,922,366.00	-
विशेष अध्ययन	168,169.00	-	50,000.00	-
कानूनी समीक्षा	459,850.00	-	579,862.00	-
श्रव्य-दृश्य प्रचार-स्पॉट, वृतचित्र फिल्में आदि	5,471,196.00	-	3,514,194.00	-
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	293,182.00	-		-
कार्यालयीन व्यय	-	29,933,134.00	-	22,364,010.00
मरम्मत एवं रखरखाव	-	275,512.00	-	258,177.00
टेलीफोन	-	1,202,130.00	-	1,090,618.00
यात्रा व्यय	-	3,387,212.00	-	856,892.00
ऑडिट फीस	-	300,000.00	-	150,000.00
बैंक चार्ज	-	26,289.00	-	48,045.00
पेट्रोल, तेल और स्नेहक	-	796,876.00	-	783,693.00
किराया, दरें और कर	-	276,480.00	-	-
अभियोग	-	-	-	-
चिकित्सा	-	247,651.00	-	259,104.00
पूर्व अवधि समायोजन	866,381.00	-	(26,468,924.00)	-
पूर्व अवधि व्यय	(758,523.00)	603,740.00	-	-
ऑडियो विजुअल प्रचार-स्पॉट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म आदि एनईआर	-	-	1,509,790.00	-
विज्ञापन NER	-	-	-	-
विधिक जागरुकता प्रोग्राम NER	-	-	-	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन NER	181,157.00	-	187,612.00	-
विशेष अध्ययन NER	-	-	-	-
	12,163,233.00	**37,049,024.00**	**(16,323,543.00)**	**25,810,539.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 22- व्यय अनुदान, सब्सिडी आदि

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.71.01.31)				
विधिक जागरुकता कार्यक्रम	5,116,928.00	-	2,495,000.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	29,862,424.00	-	48,132,351.00	-
पूर्व अवधि व्यय	(11,193,551.00)			
विशेष अध्ययन	24,247,700.00	-	26,006,192.00	-
कानूनी समीक्षा	1,600,000.00	-	149,120.00	-
कानूनी सेवा क्लिनिक	1,799,479.00	-	-	-
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	57,746,972.00	-	-	-
क	**109,179,952.00**	**-**	**76,782,663.00**	**-**
सहायता अनदान NER (2235.02.103.71.01.31) के तहत				
विधिक जागरुकता प्रोग्राम एन.ई.आर.	767,500.00	-	-	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन NER	2,145,095.00	-	3,780,498.00	-
विशेष अध्ययन NER	5,082,446.00	-	7,312,400.00	-
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण - NER	2,925,250.00	-	82,559.00	
ख	**10,920,291.00**	**-**	**11,175,457.00**	**-**
योग (क+ख)	**120,100,243.00**	**-**	**87,958,120.00**	

अनुसूची 23 ब्याज — **निरंक** — **निरंक**

वेतन एवं लेखा अधिकारी — **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति और भुगतान का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 26- स्थापना व्यय

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान	वेतन में सहायता अनुदान	सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदान
1 वेतन				
अध्यक्षा एवं सदस्य	-	40,301,106.00	-	41,223,651.00
अधिकारी				
स्टाफ				
2 भत्ता	39,081,875.00	-	34,000,340.00	-
3 CPF को योगदान				
4 अन्य निधियों में योगदान:-				
LSC	-	1,311,384.00	-	1,710,518.00
PC				
5 वृत्तिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	1,390,957.00	-	3,024,916.00	-
	40,472,832.00	**41,612,490.00**	**37,025,256.00**	**42,934,169.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 27- अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1	**सहायता अनुदान के तहत सामान्य (2235.02.103.71.01.31)**		
	विज्ञापन व्यय	56,305.00	1,437,892.00
	मुद्रण	577,849.00	326,625.00
	संगोष्ठी एवं सम्मेलन	4,229,051.00	4,153,166.00
	विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन	168,169.00	50,000.00
	कानूनी समीक्षा	175,000.00	574,519.00
	श्रव्य दृश्य प्रचार	4,090,596.00	2,779,088.00
	महिला सुरक्षा ऑडिट का आयोजन	9,320,000.00	-
	महिला कानूनों के उचित कार्यान्वयन पर न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	1,880,869.00	-
	राज्य महिला आयोग और टेलीकांफ्रेंसिंग के साथ एनसीडब्ल्यू की नेटवर्किंग	-	-
	महिला हेल्पलाइन 24X7	4,969,720.00	-
	क	**25,467,559.00**	**9,321,290.00**
2	**सहायता अनुदान के तहत सामान्य (2235.02.103.35.00.31)**		
	कार्यालयीन व्यय	30,937,516.00	25,999,847.00
	मरम्मत एवं रखरखाव	272,979.00	246,188.00
	टेलीफोन	1,163,828.00	1,094,147.00
	यात्रा व्यय	3,385,497.00	1,047,719.00
	लेखापरीक्षा फीस	337,640.00	117,440.00
	बैंक प्रभार	24,809.00	43,706.00
	पेट्रोल, तेल और लुब्रीकेंट	783,070.00	786,321.00
	किराया, शुल्क और कर	-	-
	चिकित्सा	275,377.00	233,245.00
	अभियोग	-	-
	ख	**37,180,716.00**	**29,568,613.00**

3 सहायता अनुदान के तहत NER(2235.02.103.71.01.31)

(राशि रू. में)

विवरण		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम		2,434,384.00	
संगोष्ठी और सम्मेलन		50,000.00	187,612.00
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन		-	-
ऑडियो विजुअल प्रचार		-	-
प्रिंटिंग		-	-
	ग	**2,484,384.00**	**187,612.00**
अनुदान के तहत कुल व्यय - सहायता सामान्य और NER (क+ग)		**27,951,943.00**	**9,508,902.00**
अनुदान के तहत कुल व्यय - सहायता सामान्य (2235.02.103.35.00.31) (ख)		**37,180,716.00**	**29,568,613.00**

अनुसूची 28- विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरूद्ध किया गया भुगतान

(राशि रू. में)

सामान्य सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.71.01.31)		
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	3,016,396.00	22,757,663.00
संगोष्ठी और सम्मेलन	17,087,275.00	38,234,061.00
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन	19,395,735.00	16,620,696.00
कानूनी सेवा क्लिनिक	899,740.00	-
महिला कानूनों के उचित कार्यान्वयन पर न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	31,815,565.00	
पंचायती राज के लिए क्षमता निर्माण		
राज्य महिला आयोग के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की नेटवर्किंग और टेलीकांफ्रेंसिंग	-	-
कानून की समीक्षा	834,256.00	74,560.00
नुक्कड़ नाटक और स्थानीय गीतों आदि के लिए एनजीओ को फंड	-	-
घ	**73,048,967.00**	**77,686,980.00**
सहायता अनुदान NER (2235.02.103.71.01.31)		
विधिक जागरुकता कार्यक्रम	430,550.00	2,264,642.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	2,209,865.00	4,669,416.00
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन	3,352,068.00	3,979,206.00
पंचायती राज के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम-NER	1,523,133.00	82,559.00
ङ	**7,515,616.00**	**10,995,823.00**
सहायता अनुदान एवं NER (घ+ङ)	**80,564,583.00**	**88,682,803.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

प्रेषण अनुसूची-29

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
शीर्ष	**परिवर्धन**	**प्रेषित राशि**	**परिवर्धन**	**प्रेषित राशि**
जीपीएफ	3,491,406.00	3,491,406.00	4,396,352.00	4,396,352.00
अग्रिम जीपीएफ				
लाइसेंस फीस	195,092.00	195,092.00	205,199.00	205,199.00
आयकर	5,437,437.00	5,437,437.00	5,742,801.00	5,742,801.00
सी.जी.एस.एस.	37,900.00	37,900.00	47,850.00	47,850.00
सी.जी.ई.जी.आई.एस.	8,220.00	8,220.00	10,200.00	10,200.00
एचबीए	360,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00
शिक्षा उपकर	217,500.00	217,500.00		
एमसीए + (Intt.)	-	-	9,500.00	9,500.00
त्यौहार अग्रिम	-	-	-	-
कम्प्यूटर अग्रिम	-	-	-	-
CPF सदस्यता	499,490.00	499,490.00	153,023.00	153,023.00
ईपीएफ	12,010.00	12,010.00	25,618.00	25,618.00
दान	-	-	1,700.00	1,700.00
प्रधानमंत्री केयर	-	-	1,196,636.00	1,196,636.00
टीडीएस	554,292.00	554,292.00	922,494.00	922,494.00
जीएसटी पर टीडीएस	439,180.00	439,180.00	419,420.00	419,420.00
एनपीएस	166,377.00	166,377.00	78,472.00	78,472.00
सीपीएफ अग्रिम	176,000.00	176,000.00	100,000.00	100,000.00
विविध वसूली	3,712.00	3,712.00	151,088.00	151,088.00
अधिक भुगतान की वसूली	25,321.00	25,321.00	120,159.00	120,159.00
जीवन बीमा निगम	-	-	-	-
अन्य वसूली- वॉल्यूम सीपीएफ और कल्याणकारी निधि	210,924.00	210,924.00	195,872.00	195,872.00
योग	**11,834,861.00**	**11,834,861.00**	**13,956,384.00**	**13,956,384.00**

अनुसूची-30

बैंक राशि का विवरण

	सहायता अनुदान	**सामान्य एवं वेतन सहायता अनुदान**	**कुल बैंक राशि**
1 इंडियन बैंक	₹ 13,640,935.00	₹ 14,489,689.00	₹ 28,130,624.00
			₹ 28,130,624.00

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची - 24: 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय खातों का भाग

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाटी

प्रोद्भवन के आधार पर वित्तीय विवरण महालेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों (गैर-लाभकारी संगठन और समान संस्थान)के लिए निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

2. निवेश

2.1 वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किसी भी रूप में कोई निवेश नहीं किया गया है और 31.03.2022 तक शेष राशि शून्य है।

3. अचल संपत्तियां

3.1 अचल संपत्ति अधिग्रहण की कुल लागत है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं। निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व-संचालन व्यय, पूंजीकृत संपत्ति के मूल्य का हिस्सा बनते हैं।

3.2 अचल संपत्तियों में रा.म.आ को उपहार में दी गई/दान की गई किताबें शामिल हैं और बुक वैल्यू पर पूंजीकृत हैं।

4. मूल्यह्रास

4.1 आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यह्रास लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

5. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

5.1 सरकारी अनुदानों का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाता है।

अनुसूची - 25: 31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का भाग बनाना

खातों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 ऋण के रूप में स्वीकृत आयोग के विरुद्ध दावे- रु. 2,46,87,046 (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.2 निम्नलिखित के संबंध में :

- आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी - रु.शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
- आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र - रु.शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
- आयोग के साथ रियायती बिल - रु.शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.3 विवादित मांगो के संबंद्ध में :

आय-कर -रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

विक्रय-कर -रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

नगरपालिका कर - रु. शून्य (पिछले साल रु.शून्य)

1.4 आदेशों का पालन न किए जाने के संबंध में पक्षों द्वारा किए गए दावे जिनका आयोग ने विरोध किया - शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

वर्ष 2018-19 के लिए तुलन-पत्र में रु.1,47,02,000/-की राशि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कार्यालय भवन के निर्माण के लिए अग्रिम के रूप में दिखाई गई है जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वापस कर दी गई है और वह राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंप दी गई है। इसलिए पूंजी प्रतिबद्धता को 'शून्य' माना गया है।

3. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

सामान्य व्यावसायिक क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्यकलाप के दौरान प्राप्तियों पर आधृत है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

4. कर-निर्धारण

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय न होने के कारण, आयकर के लिए कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

5. विदेशी मुद्रा लेनदेन

5.1 लागत, बीमा और मालभाड़ा(सी.आई.एफ) आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य:

तैयार माल की खरीद - शून्य

कच्चा माल और उपकरण(पारगमन सहित) - शून्य

पूंजीगत माल - शून्य

भंडार की गई सामग्री, कलपुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं - शून्य

5.2 विदेशी मुद्रा में व्ययः

(क) यात्रा - शून्य

(ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में

प्रेषण और ब्याज भुगतान - शून्य

(ग) अन्य व्यय - शून्य

बिक्री पर कमीशन - शून्य

कानूनी और व्यावसायिक व्यय - शून्य

विविध व्यय - शून्य

5.3 आमदनीः

एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य -शून्य

6. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति महालेखा नियंत्रक(सीजीए) कार्यालय द्वारा आयोग के लिए निर्धारित प्रारूप पर आधारित है।

7. मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान(ग्रेच्युटी) तथा कर्मचारियों को संचित अवकाश नकदीकरण लाभों के प्रति कोई दायित्व लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। इस संस्था में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है।

सभी कर्मचारी या तो केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर हैं या अस्थायी/आकस्मिक/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारी हैं जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोई उपदान/पेंशन देय नहीं है। 12 चपरासियों को छोड़कर जिन्हें अस्थाई नियुक्ति पर रखा गया है, उनके वेतन से सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) की कटौती कर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जमा की जाती है। वे सेवानिवृत्ति के समय अवकाश-प्रतिपूर्ति/उपदान एवं पेंशन के हकदार हैं। सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्तपोषण करता है। मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	सामान्य सहायता अनुदान, पूंजीगत आस्तियों और एनईआर का सृजन (राशि रुपये में)	वेतन एवं सामान्य सहायता अनुदान (राशि रुपये में)
1	वर्ष की शुरुआत में अनुदान की अव्ययित शेष राशि	32,39,537	70,86,866
2	वर्ष की शुरुआत में हाथ में नकदी की अव्ययित शेष राशि	--	--
3	वर्ष की शुरुआत में हाथ में डाक टिकटों की अव्ययित शेष राशि	--	13,300
4	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	16,49,00,000	9,30,00,000
5	वर्ष के अंत में अनुदान की अव्ययित शेष राशि (विविध प्राप्तियों सहित)	1,36,40,935	1,44,89,689
6	वर्ष के अंत में हाथ में नकदी की अव्ययित शेष राशि	--	--
7	वर्ष के अंत में हाथ में डाक टिकटों की अव्ययित शेष राशि	--	77,942

9. पैरा नंबर ए.1.1.1 में एसएआर ऑडिट 2020-21 के अवलोकन का अनुपालन करते हुए चालू वर्ष के व्यय को नामे कर एवं अन्य आवश्यक प्रविष्टियों को पारित कर पूर्वावधि व्यय रु.111.94 लाख का समायोजन किया गया।

10. पैरा नंबर बी.1.1 में एसएआर ऑडिट 2020-21 के अवलोकन का अनुपालन प्रतिभूति जमाराशि(चालू आस्तियाँ) को नामे कर समान राशि के पूर्वावधि व्यय रु.7,58,523/-का समायोजन किया गया।

11. एसएआर ऑडिट 2020-21 के अवलोकन पर प्रबंधन के पत्र के पैरा नं. 1 का अनुपालन किया गया। दिनांक **10**.2.2016 से 31.8.2021 तक के लिए पानी के बिल के लिए रु. 1,15,784/- का भुगतान किया गया। भुगतान के लिए पूर्व व्यय रु.**1,05,828/- (10.2.2016 से 31.3-2021** तक) तथा **रु.9956/-(1.4.2021 से 31.8.2021** तक) को चालू वर्ष के व्यय को डेबिट किया गया है।

12. एसएआर ऑडिट 2020-21 के अवलोकन पर प्रबंधन-पत्र के पैरा नं.2 का अनुपालन स्वयं बीआरपीएल द्वारा बिल सं. 89 दिनांकित 19.5.2021 के माध्यम से उपार्जित ब्याज एवं छूट के समायोजन से 2020-21 में ही किया जा चुका है।

13. एसएआर ऑडिट 2020-21 के अवलोकन पर प्रबंधन-पत्र के पैरा नं.3 का अनुपालन रु. 32,997/- की स्थाई आस्ति को नामे एवं समान राशि की पूर्वावधि आय को जमा करके किया गया।

14. वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की राशि का अनुवर्तन करते हुए वर्ष के प्रारंभ में अनुसूची 8 या निक्षेपण/मूल्यांकन के अनुसार रा.म.आ ने स्वायत्त निकाय के लिए निर्धारित एकरूप लेखा-प्रपत्र को अपनाया है। वर्षान्त तक कुल उपार्जित मूल्यह्रास और वित्त वर्ष के अंत में आस्तियों का मूल्य नहीं। इसके बाद, ए एस 6(मूल्यह्रास लेखा) के पैरा 28(iii) के प्रावधान के अनुरूप यह भी सही है जिसमेः-

    I. आस्ति के प्रत्येक वर्ग के मूल्यह्रास के लिए हिस्टॉरिकल कॉस्ट या इसके एवज़ में निर्धारित राशि

    II. आस्ति के प्रत्येक वर्ग की अवधि के लिए कुल मूल्यह्रास, तथा

    III. संबंधित संचित मूल्यह्रास

    उपर्युक्त 1 के अनुसार अनुसूची 8 में देखा जा सकता है कि आस्तियों का मूल्य विगत वर्ष में आस्तियों के अंतशेष के रूप में दर्शाया गया है।

    उपर्युक्त (ii एवं iii) के अनुसार अनुसूची 8 के कॉलम 4 एवं कॉलम 5 में दिखाया मूल्यह्रास, आस्ति के प्रत्येक वर्ग के लिए वर्तमान वर्ष में निकाले गए मूल्यह्रास सहित विगत वर्ष के अन्त में एकत्रित मूल्यह्रास को दर्शाता है।

15. एसएआर ऑडिट 2020-21 के अवलोकन पर प्रबंधन-पत्र के पैरा नं.3 के अनुपालन हेतु रु. 3.10 लाख के पूर्वावधि व्यय को नामे किया गया और समान राशि की किराया दरों एवं करों के लिए प्रावधान राशि जमा की गई।

16. अनुसूची 1-30 संलग्न हैं जो वर्ष 2021-22 के तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा के अभिन्न अंग हैं।

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अध्याय-20

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

पत्र संख्याःए.एम.जी.-V/4-4/एस.ए.आर./NCW/2022-23/ दिनांकः

सेवा में,

सचिव,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001.

विषय : राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रहा हूँ ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए जाए, इस कार्यालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को प्रेषित की जाये।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2021-22 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले पूर्व वर्षों के सभी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों ।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

भवदीय,

अनुलग्नकः यथोपरि

-sd-
निदेशक (ए.एम.जी.-V)

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271
E-mail : dgace@cag.gov.in
Website : https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten

पत्र संख्याःए.एम.जी.-V/4-4/एस.ए.आर./NCW/2022-23/1166 दिनांकः 24.04.2023

प्रतिः

श्रीमति मीनाक्षी नेगी, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट न. 21, जसोला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110025, को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जा रही है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेंजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को जब वे संसद में प्रस्तुत किए जायें, दर्शाते हुए इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नकः यथोपरि

दत्तप्रसाद शिरसाट 24.04.23

निदेशक (ए.एम.जी.-V)

राष्ट्रीय महिला आयोग,नई दिल्ली के 31मार्च,2022 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा

19 (2) के तहत हमने तारीख 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते की संलग्न तुलन पत्र की लेखा परीक्षा की है। प्रबंधन, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली इन वित्तीय विवरणियों के लिए उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व हैं कि हम लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धति, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुपालन के संबंध में लेखांकन बदलाव से जुड़ी टिप्पणियाँ निहित हैं। वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन के संबंध में विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता), और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के लिए निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने लेखापरीक्षा, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्यनिष्पादन इस बारें में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में परीक्षण के आधार पर, सबूतों की जांच करना और राशियों और खुलासे का समर्थन करना शामिल है। एक लेखापरीक्षा में उपयोग में लाए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे वक्तव्यों के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

4. लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उचित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

ए. तुलन पत्र

ए .1. देयताएं

ए.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान अनुसूची 7(रु.12.51 करोड़)

उपर्युक्त में रु.10.31 करोड़ की वर्तमान देयताएं शामिल हैं जो विभिन्न संगठनों/संस्थाओं/ गैर-सरकारी संगठनों को देय हैं। वर्षवार दिए गए विवरणों के अनुसार यह राशि विशेष अध्ययन /शोध,क्षमता निर्माण,विधिक जागरूकता कार्यक्रम/ सेमिनार, सम्मेलन, कानूनी सेवा क्लिनिक आदि से संबंधित है तथा उन संगठनों की ओर से अपेक्षित दस्तावेज़ों जैसे रिपोर्ट, बिल और उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि की गैर-प्रस्तुति के कारण बकाया है। रु.10.31 करोड़में से रु. 4.58 करोड़की राशि 2017-18 से 2020-21 की अवधि से संबंधित है और रु.5.73 करोड़ वर्ष 2021-22 से संबंधित हैं। रा.म.आ को वर्ष 2017-18 से 2020-21 में दी गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र/समायोजन बिल प्राप्त नहीं हुआ हैऔर तत्पश्चात् मांग/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं,अतः इन राशियों के आबंटन की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। अतः लेखांकन मानक 29 के अनुसार, इस राशि को "चालू देयताओं" में नहीं, अनुसूची 25 में "आकस्मिक देयताएं" के रूप में टिप्पण के साथ दर्शाया जाना चाहिए।

इस प्रकार, वर्तमान देनदारियों में रुपये 4.58 करोड़ की राशि अधिक दर्शाई गई है और आकस्मिक देनदारियों का खुलासा न किए जाने के अलावा इतनी ही राशि पूंजीगत निधि में कम बताई गई है।

बी. सामान्य

बी.1 एकल लेखा फार्मेट के अनुरूप स्थायी आस्तियों की अनुसूची का फार्मेट तैयार नहीं किया गया। उपार्जित मूल्यह्रास से संबंधित सूचना न तो संबंधित अनुसूची में दर्शाई गई और न ही लेखा मानक-6 (मूल्यांकन लेखांकन)के पैरा 28(iii) की प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुरूप लेखा टिप्पणी में दिखाई गई। अनुसूची 8- स्थायी आस्ति में स्थायी आस्तियाँ- ग्रॉस-ब्लॉक उपशीर्ष प्रारंभिक शेष की कीमत के रूप में मूल्यह्रास की कटौती को दर्शाया गया है जबकि लेखांकन के एकल फार्मेट के अनुरूप क्रय-मूल्य/ माल का मूल्यांकन ग्रॉस-ब्लॉक के प्रारंभिक शेष के रूप में दिखाया जाना चाहिए। ऐसा न किए जाने पर,माल की मूल कीमत/मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता अपितु केवल बही –मूल्य जाना जा सकता है।इसके अलावा, माल की मूल कीमत का मिलान स्टॉक-रजिस्टर में दिखाए गए माल की कीमत से नहीं किया जा सकता।

बी.2राष्ट्रीय महिला आयोग ने रु. 12.03 करोड़ का भुगतान, अग्रिम राशि के रूप में विभिन्न संगठनों खासतौर से विज्ञापन,टिकटों की बुकिंग के लिए सेक्यूरिटी,सुरक्षा संपरीक्षा,विधिक परामर्श,सेमिनार/वर्कशॉप आदि के आयोजन के लिए किया है।

वर्ष 2009-10 से 2020-21 की अवधि में अग्रिम भुगतान रु.9.49 करोड़ था एवं शेष राशि रु 2.54 करोड़ वर्ष 2021-22 से संबंधित थी। 31-03-2022 तक इन अग्रिमों से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा समायोजन बिल प्राप्त नहीं हुए हैं। रा.म.आ ने कहा (अक्तूबर,2022) कि रु.12.03 करोड़ के कुल अग्रिम में से रु.1.17 करोड़ को क्लीयर कर दिया है। बकाया राशि को यथाशीघ्र क्लीयर करने के लिए संबंधित व्यक्तियों/संगठनों को अनुस्मारक भिजवाए जा रहे हैं। काफी समय से लंबित असमायोजित अग्रिमों की समीक्षा कर उन्हें नियमित करना है। संदिग्ध राशि, यदि कोई है तो उसके विषय में बताया जाए तथा कटौती का प्रावधान दर्शाया जाए।

बी.3 "सूची मूल्यांकन","चालू देयताएँ एवं प्रावधान", तथा "राजस्व मान्यता" से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों को नहीं अपनाया गया है।

सी. सहायता अनुदान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को रुपये 25.79 करोड़ का अनुदान मिला। इसमें पिछले वर्ष सहित सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि थी, जिसमें से 1.03 करोड़ रुपये की राशि मंत्रालय को वापस कर दी गई थी। इसकी आंतरिक रसीद रुपये 0.41 करोड़ थी। उपलब्ध कुल राशि में से, काउंसिल ने रुपये 2.81 करोड़ के अव्ययित अनुदान को छोड़कर रुपये 23.39 करोड़ की राशि का उपयोग किया था।

V. पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे लेखा बहियों के अनुरूप है।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इसके साथ अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं। लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है:

(ए) जहां तक यह 31 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के मामलों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है और

(बी) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से
महानिदेशक लेखापरीक्षक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आयोग में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ/विभाग स्थापित नहीं किया गया है।

अप्रैल,2015 से मंत्रालय के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।अतः आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

राष्ट्रीय महिला आयोग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि:

ए) आयोग के गठन के 20 साल से अधिक समय बाद भी भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं।

बी) वैधानिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया लेखापरीक्षा के रूप में प्रभावी नहीं थी क्योंकि 2009-10 से 2014-15 की अवधि की लेखापरीक्षा के रूप में 21 पैरा बकाया थे।

सी) रु.1202.88 लाख की अग्रिम राशि असमायोजित है।इन अग्रिमों में से रु.949.30 लाख वर्ष 2009-10 से 2020-21 से संबंधित थी और रु. 253.58 लाख की अग्रिम राशि का भुगतान वर्ष 2021-22 में किया गया। 31-03-2022 तक इन अग्रिमों से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र या समायोजन बिल प्राप्त नहीं हुए हैं।

3. स्थायी आस्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

स्थायी आस्तियों का वास्तविक सत्यापन केवल 30.09.2021तक किया गया है।

4. सूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

2021-22 के लिए सूची जैसे पुस्तकों एवं प्रकाशनों का वास्तविक सत्यापन किया गया।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

वार्षिक खातों के अनुसार, सांविधिक देयता के संबंध में छह महीने से अधिक समय का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

निदेशक (AMG-V)

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

आयोग का गठन

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग का संघटन :

1. श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, दिनांक 07.08.2018 से
2. श्रीमती कमलेश गौतम, सदस्य, दिनांक 19.11.2018 से
3. श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य, दिनांक 26.11.2018 से
4. श्रीमती श्यामला एस. कुंदर, सदस्य, दिनांक 07.03.2019 से
5. डॉ. राजुलबेन एल. देसाई, सदस्य, दिनांक 08.03.2019 से
6. श्रीमती मीता राजीवलोचन, सदस्य-सचिव, दिनांक 08.01.2020 से

अनुलग्नक-II

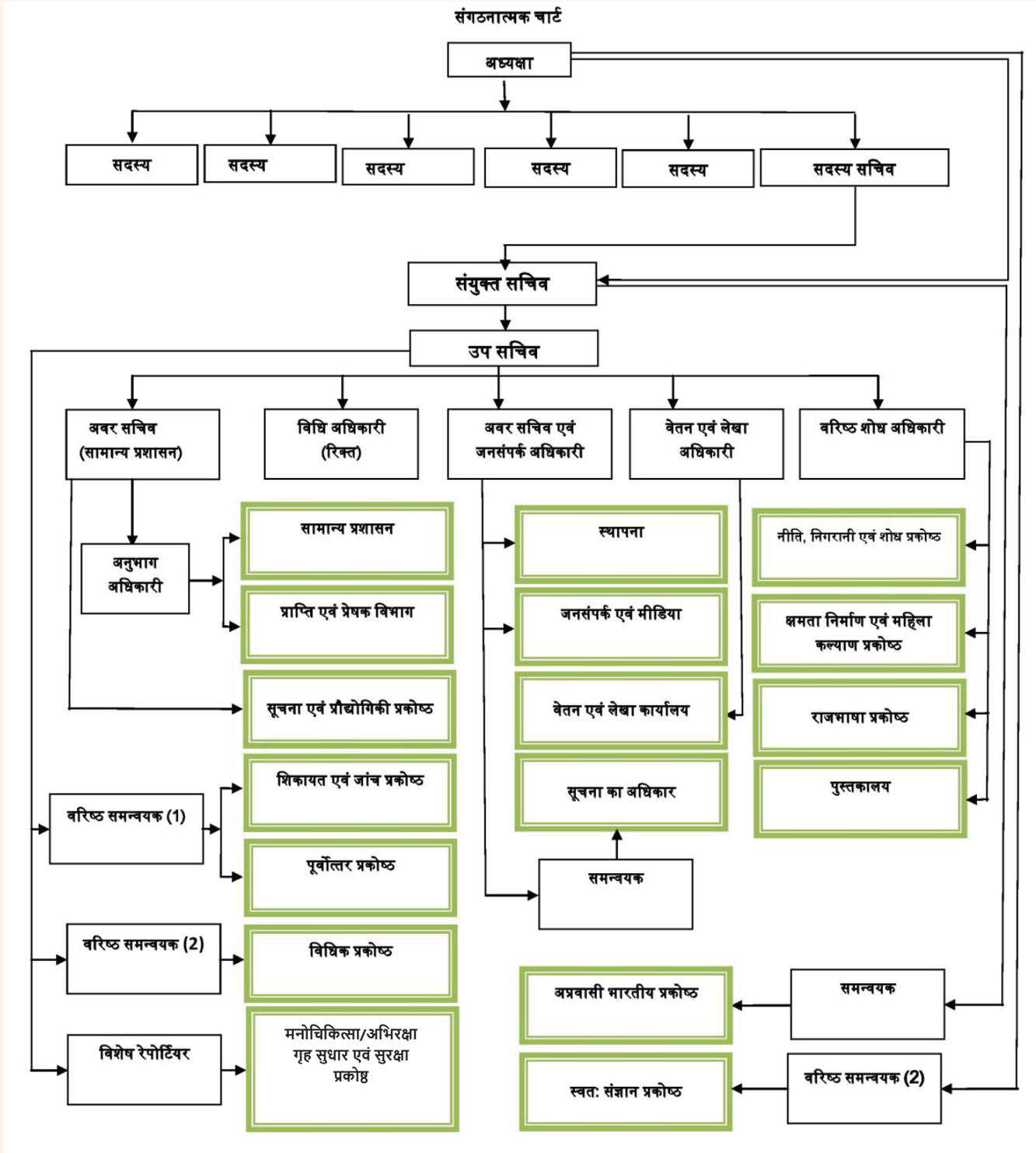
संगठनात्मक चार्ट
अध्यक्षा
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य सचिव
संयुक्त सचिव
उप सचिव
अवर सचिव (सामान्य प्रशासन)
विधि अधिकारी (रिक्त)
अवर सचिव एवं जनसंपर्क अधिकारी
वेतन एवं लेखा अधिकारी
वरिष्ठ शोध अधिकारी
अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन
प्राप्ति एवं प्रेषक विभाग
सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ
स्थापना
जनसंपर्क एवं मीडिया
वेतन एवं लेखा कार्यालय
सूचना का अधिकार
नीति, निगरानी एवं शोध प्रकोष्ठ
क्षमता निर्माण एवं महिला कल्याण प्रकोष्ठ
राजभाषा प्रकोष्ठ
पुस्तकालय
वरिष्ठ समन्वयक (1)
शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ
पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ
समन्वयक
वरिष्ठ समन्वयक (2)
विधिक प्रकोष्ठ
अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ
समन्वयक
विशेष रेपोर्टियर
मनोचिकित्सा/अभिरक्षा गृह सुधार एवं सुरक्षा प्रकोष्ठ
स्वत: संज्ञान प्रकोष्ठ
वरिष्ठ समन्वयक (2)

अनुलग्नक-III

वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय/ ऐसे मुद्दे जिन पर विचार-विमर्श किया गया

वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय/ ऐसे मुद्दे जिन पर विचार-विमर्श किया गया

1. आयोग ने महिलाओं को अपनी आमदनी पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता और शिक्षा पर वेबिनार आयोजित किया और कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान कर परिचालन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित किया।

2. आयोग ने अखिल भारतीय (पैन इंडिया) स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के सहयोग से निचले स्तर पर शेष 20 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता के विस्तार के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न महिलाओं से संबंधित कानूनों के तहत प्रदान किए गए मूल कानूनी अधिकारों और उपचारों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान को विकसित करना और वास्तविक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए महिलाओं को निचले स्तर पर सशक्त बनाना है।

3. आयोग ने एक पायलट परियोजना "हिंसा मुक्त गृह: एक महिला का अधिकार" हेतु जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में 12 पायलट विशेष प्रकोष्ठ शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो शुरू में दिनांक 31.03.2023 तक मान्य है एवं पायलट(प्रायोगिक) परियोजना शुरू करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया है।

दिनांक 31 मई, 2021 को आयोजित आयोग की 216 वीं बैठक

1. आयोग ने संबंधित राज्यों में सेमिनार/विधिक जागरूकता कार्यक्रम/अध्ययन करने के लिए 9 (नौ) राज्य महिला आयोगों को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

2. आयोग ने 'महिलाओं के स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण' विषय पर आयोजित वेबिनार के कार्यवृत्त को लिंग, स्वास्थ्य देखभाल के दौरान सामने आने वाली वर्ग असमानताओं को दूर करने और वकालत और संवेदीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता में सुधार लाने और कार्यवृत्त को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रसारित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

3. आयोग ने एसिड अटैक "रोकथाम, निषेध, पुनर्वास" पर 2 दिनों के ऑनलाइन परामर्श के कार्यवृत्त की पुष्टि की और विचार-विमर्श के आधार पर सिफारिशों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, सभी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के नोडल अधिकारियों और सभी परामर्श के प्रतिभागियों को सूचित किया गया है।

4. आयोग ने पूरे देश में गर्भवती महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाई को कम करने के लिए हेल्पलाइन "हैप्पी टू हेल्प मॉम टू बी" में किए गए अनुकरणीय कार्य के लिए रा.म.आ. के अधिकारियों को मानदेय का भुगतान नोट किया।

5. आयोग ने रा.म.आ. के तथ्यान्वेषी दल(फैक्ट फाइंडिंग टीम) की रिपोर्ट को नोट किया, जो ट्विटर पोस्ट की एक वीडियो पोस्ट का स्वत: संज्ञान लेकर बनाई गई थी जिसमें कथित तौर पर टीएमसी के गुंडे पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के केंदमारी गांव में चुनाव परिणाम मामले के बाद भाजपा महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं।

दिनांक 16 जून, 2021 को आयोजित आयोग की 217वीं बैठक

1. आयोग ने ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम महिलाओं पर डिजिटल इंडिया का प्रभाव (ई-स्वालम्बिका का प्रभाव) विषय पर मानव विकास संस्थान, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन की समीक्षा की और उसे स्वीकार किया।

दिनांक 25 अगस्त, 2021 को आयोजित आयोग की 218वीं बैठक

1. आयोग ने **"असम और मणिपुर के महिला सशक्तिकरण पर सूक्ष्म वित्त योजना के प्रभाव का आकलन"** पर अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा की और उसे स्वीकार किया। जिन महिलाओं ने सूक्ष्म वित्त योजनाओं का लाभ उठाया है उनसे गरीबी में कमी, महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के प्रभाव को रिपोर्ट में कवर किया है। रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी गई है।

2. आयोग ने **"पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं की तस्करी का विरोध और रोकथाम"** तथा "अरुणाचल प्रदेश में बहुविवाह के मुद्दे का समाधान" विषयों पर हुए वेबिनार की रिपोर्ट की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

3. आयोग ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को दिए गए शोध अध्ययन की समीक्षा की और उसे स्वीकार किया - ग्रामीण विकास के लिए हरियाली केंद्र द्वारा एक **तुलनात्मक अध्ययन: कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ और बाल देखभाल प्रावधान, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत पुरुष, सार्वजनिक हितधारक, निजी रूप से संगठित, असंगठित परास्टेटल और दिल्ली के गैर सरकारी संस्थान।**

4. आयोग ने सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 'दैनिक जीवन में योग को शामिल करके महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने' पर वेबिनार की कार्यवाही की समीक्षा की और उसे मंजूरी दी।

5. आयोग ने एजेंडा मदों पर राज्य महिला आयोगों के साथ ऑनलाइन संवादात्मक बैठक की कार्यवाही को मंजूरी दी - एम्बुलेंस की खरीद सहित संकट में महिलाओं को चिकित्सा सहायता की बेहतर सुविधा, तत्काल हस्तक्षेप के मामलों में राज्य महिला आयोग के संपर्क के पहले बिंदु के रूप में पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति तथा महिला केंद्रित मुद्दों पर सेमिनार / वेबिनार / अध्ययन आयोजित करने के लिए राज्य महिला आयोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

6. आयोग ने वर्तमान दुनिया में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए इसके उन्मूलन के महत्व को समझने के लिए 'मिसोगिनी ऑनलाइन और सोशल मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी' पर वेबिनार की कार्यवाही को मंजूरी दी।

7. आयोग ने गैर-सरकारी संगठनों के स्वामित्व वाले निजी आश्रय गृहों के मूल्यांकन और सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए प्रपत्र की पुष्टि की।

दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को आयोजित आयोग की 219वीं बैठक

1. आयोग ने **'महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध - क्या महिला अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य प्रचलित कानूनों का अश्लील प्रतिनिधित्व पर्याप्त है'?** विषय पर कानून समीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की और कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की? जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिए प्रचलित कानूनी ढांचे पर विचार-विमर्श और समीक्षा करना है। प्रमुख सिफारिशों/सुझावों को सचिव (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय), सचिव (गृह मंत्रालय), सचिव (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) और सचिव (विधि और न्याय मंत्रालय)को अग्रेषित करना है।

2. आयोग ने भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (बीआईआरडी) द्वारा बनाई गई **"निजी क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन"** पर शोध अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा की और उसे स्वीकार किया तथा भुगतान की अंतिम किस्त जारी करने की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की। आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय और विधि कार्य विभाग को अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट से अवगत कराया।

3. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 80 वेबिनार प्रस्तावों (गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र से 69 और पूर्वोत्तर क्षेत्र से 11) के संचालन के लिए प्रशासनिक सह वित्तीय स्वीकृति की समीक्षा की और श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य, रा.म.आ., श्रीमती राजुलबेन एल देसाई, सदस्य, रा.म.आ. और प्रो. सबिहा हुसैन, निदेशक, सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर मंजूरी दी।

4. आयोग ने स्वत: संज्ञान लेने के लिए जांच समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें बोधगया स्थित आश्रय गृह की एक नाबालिग लड़की ने वहां रहने के दौरान कुछ कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

5. आयोग ने **"बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मानव तस्करी"** पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को दिए गए शोध अध्ययन की समीक्षा की और उसे स्वीकार कर लिया और अध्ययन रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दिया।

दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को आयोजित आयोग की 220वीं बैठक

1. महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों से संबंधित मौजूदा नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की सिफारिशों के लिए आयोग ने संबंधित विषय में जागरूकता पैदा करने, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से पोषण माह मनाने के लिए सम्मानित संस्थानों को 20 वेबिनारों के आयोजन की मंजूरी की समीक्षा की और कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

2. आयोग ने **"मेघालय में एकल माता की समस्याओं एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन"** विषय पर अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा की और उसे स्वीकार किया और मेघालय राज्य महिला आयोग को शेष राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।

3. आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए एक मामले का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें **"मुंबई की एक महिला के साथ बलात्कार, प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई; हालत गंभीर"**, श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य, रा.म.आ. द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की आयोग द्वारा समीक्षा की गई।

4. आयोग ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के सहयोग से आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पर रिपोर्ट की समीक्षा की और उसे स्वीकार किया।

दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को आयोजित आयोग की 221वीं बैठक

1. आयोग ने रा.म.आ. भवन में हाउसकीपिंग और अन्य तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस लिमिटेड को 2 महीने की अवधि के लिए यानी 31.12.2021 तक अनुबंध अवधि के विस्तार के लिए पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन की समीक्षा की और मंजूरी दी।

2. आयोग ने रा.म.आ. भवन में लगे हुए एयर कंडीशनरों पर वार्षिक रखरखाव अनुबंध की पूर्व-कार्योत्तर स्वीकृति मैसर्स ब्लू स्टार लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 15.11.2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की।

3. आयोग ने रा.म.आ. भवन में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए जेम के माध्यम से मैसर्स रॉयल 7 कम्प्लीट सिक्यूरिटीज़ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 09.10.2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध प्रदान करने की समीक्षा की और अनुमोदन प्रदान किया।

4. आयोग ने जेम के माध्यम से आयोग में उपयोग के लिए छह Dell All in One डेस्कटॉप कंप्यूटरों की खरीद के लिए समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

5. आयोग ने सुश्री बर्नाली शोम, अवर सचिव, रा.म.आ. की अध्यक्षता वाली तथ्यान्वेषी टीम द्वारा श्रीमती रीना चौधरी, निवासी रायपुर कैंप, थाना पांगडौ, जिला सांबा, जम्मू और कश्मीर के मामले में प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें उत्पीड़न/सम्मान के साथ जीने का अधिकार/जीवन के लिए खतरे का आरोप लगाया गया था।

6. आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग में दूसरे वर्ष से प्रभावी 01.08.2021 से 31.07.2022 तक सिविल, इलेक्ट्रिकल और आईटी उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) और व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) पर काम करने के लिए तथा साइनेज, लोगो, फायर फाइटिंग और फायर अलार्म सिस्टम की मरम्मत का काम करने, दूसरी मंजिल पर मौजूदा केबिन में बदलाव और इमारत की पहली मंजिल पर आंतरिक कार्य करने का कार्य प्रदान करने हेतु समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया

दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को आयोजित आयोग की 222वीं बैठक

1. आयोग ने, आयोग में एक वर्ष की अवधि के लिए 27 डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदान करने हेतु जेम के माध्यम से मैसर्स सीपीएस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को अनुबंध प्रदान करने के लिए समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

2. आयोग ने, आयोग में गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) के माध्यम से 04 डेल ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटरों की

खरीद के लिए समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

3. आयोग ने 2 अतिरिक्त गार्डों की नियुक्ति हेतु विशेष रूप से 24x7 हेल्पलाइन प्रकोष्ठ के लिए मौजूदा विक्रेता मैसर्स रॉयल 7 कम्प्लीट सिक्यूरिटीज़ एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की अनुमानित लागत पर विचार-विमर्श किया तथा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

4. आयोग ने 31 जनवरी, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में रा.म.आ. के 30वें स्थापना दिवस के समारोह की समीक्षा की और 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया।

5. आयोग ने 1299 प्रतिभागियों और 560 प्रतिभागियों के **क्रमशः बैच I और बैच II में प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर को आईआईएमबी के सहयोग से इच्छुक महिला उद्यमियों, 'उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण' के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु** तथा प्रतिभागियों के लिए 4 पूर्व प्रशिक्षण वेबिनार आयोजित करने हेतु **इंडिया एसएमई फोरम** को एवं लेह और लद्दाख में इस कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह की व्यवस्था करने के लिए **जिला प्रशासन लेह** को निधि जारी करने के लिए समीक्षा की तथा कार्योत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया।

6. आयोग ने 'शी इज ए चेंजमेकर' के तहत आयोजित/आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया और प्रशिक्षण संस्थानों को स्वीकृत राशि की पहली किस्त जारी की।

7. आयोग ने अपनी बाहरी इकाईयों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के लिंग संवेदीकरण पर 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की दिशा में बीपीआरएंडडी को पहली किस्त जारी करने के लिए विचार-विमर्श किया और कार्योत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया।

दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक

1. आयोग ने नामांकन के आधार पर विचार-विमर्श किया और अधिनियम में परिकल्पित आयोग के अधिदेश और वर्तमान समाज में महिला की भूमिका के आधार पर महिलाओं के आत्म-सशक्तिकरण पर गीत तैयार करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

दिनांक 20 जनवरी, 2021 को आयोजित आयोग की 223वीं बैठक

1. आयोग ने शहीद दिवस: महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी के उपलक्ष्य में 32 सेमिनारों के आयोजन की समीक्षा की तथा कार्योत्तर प्रशासनिक सह वित्तीय संस्वीकृति दी।

दिनांक 21 फरवरी, 2021 को आयोजित आयोग की 224वीं बैठक

1. आयोग ने संगठित क्षेत्र में महिलाओं को मातृत्व लाभ के विषय पर उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा की और उसे स्वीकार किया - ओडिशा में उच्च शिक्षा के सार्वजनिक और निजी संस्थानों का तुलनात्मक विश्लेषण और अध्ययन रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अग्रेषित की गई।

2. आयोग ने इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए शून्य प्रसार लागत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के

माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और साइबर अपराध सुरक्षा पर दो लघु फिल्मों और मानसिक स्वास्थ्य पर एक ऑडियो के निर्माण/विकास के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को पूर्ण और अंतिम भुगतान जारी करने के लिए समीक्षा की तथा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

3. आयोग ने जेम के माध्यम से 75 इंच के 01 सैमसंग टीवी और 43 इंच के 02 सैमसंग टीवी की खरीद के लिए समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

4. आयोग ने मेसर्स ताइसेनक्रुप एलेवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 12.04.2021 से 11.04.2022 तक दो लिफ्टों के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के विस्तार के लिए समीक्षा की और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

5. आयोग ने 1 वर्ष की अवधि दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक के लिए आयोग परिसर में हाउसकीपिंग कार्य के लिए मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के अनुबंध के विस्तार की समीक्षा की और अनुमोदन प्रदान किया।

अनुलग्नक-IV

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित वेबिनार

क्रम सं.	फाइल सं.	संगठन का नाम	विषय
1.	16(211)/2021-2022/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज (ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), फरीदाबाद, हरियाणा 121004	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
2.	16(81)/2021-2022/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	हिन्दस्तान इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर, चेन्नई, तमिलनाडु 600016	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
3.	16(77)/2021-2022/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	लिंग्या ललिता देवी प्रबंध और विज्ञान संस्थान, दक्षिण दिल्ली 110047	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
4.	16(39)/2021-2022/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	श्री बापूसाहेब डी. डी. विस्पते कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रायगढ़ महाराष्ट्र 410221	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
5.	16(26)/2021-2022/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली 110086	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा
6.	16(127)/2021-2022 रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम, कर्नाटक 590010	अनिवासी भारतीय विवाह
7.	16(83)/2021-2022 रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, खोरधा, ओडिशा 751022	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
8.	16(108)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय मदुरै, तमिलनाडु 625021	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा
9.	16(34)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	एम.एस.रमैया प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु, कर्नाटक 560054	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
10.	16(101)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी, गुड़गांव, हरियाणा 122017	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
11.	16(21)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपुर, महाराष्ट्र 440014	अनिवासी भारतीय विवाह
12.	16(122)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	मेरठ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250005	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
13.	16(90)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	डीपीएम श्री मल्लिकार्जुन और श्री चेतन मंजू, दक्षिण गोवा, गोवा 403702	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
14.	16(95)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय सोलन, हिमाचल प्रदेश 174103	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा
15.	16(50)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज सेंट्रल, दिल्ली, दिल्ली 110060	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार

क्रम सं.	फाइल सं.	संगठन का नाम	विषय
16.	16(105)/2021	समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई, तमिलनाडु 603112	अनिवासी भारतीय विवाह
17.	16(76)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	योगी वेमना विश्वविद्यालय कडपा, आंध्र प्रदेश 516005	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
18.	16(1)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	गवर्नमेंट कॉलेज, अंजद, बड़वानी मध्य प्रदेश 451556	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
19.	16(7)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	अमल कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज मलप्पुरम, केरल 679329	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
20.	16(222)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	जेएमजे कॉलेज फॉर विमेन (स्वायत्त) गुंटूर, आंध्र प्रदेश 522202	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
21.	16(216)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश 176215	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
22.	16(159)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	जनार्दन प्रसाद मेमोरियल मल्टीपर्पज सोशल सर्विस सोसाइटी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 273003	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा
23.	16(102)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इंदौर, मध्य प्रदेश 450210	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
24.	16(15)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	आरसीयूईएस लखनऊ शहरी और पर्यावरण अध्ययन के लिए क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226006	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
25.	16(85)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	रीना मेहता कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज। ठाणे, महाराष्ट्र 401101	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
26.	16(141)/2021/रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492010	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा
27.	16(143)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	आनंद एजुकेशन कॉलेज आनंद, गुजरात 388001	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
28.	16(70)/2021	राजगिरी आउटरीच सर्विस सोसाइटी कोच्चि, एर्नाकुलम, केरल 683104	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
29.	16(63)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान 302004	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
30.	16(29)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिजनौर, उत्तर प्रदेश 246701	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा
31.	16(25)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	धर्म अप्पा राव कॉलेज कृष्णा, आंध्र प्रदेश 521201	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
32.	16(35)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	विधि विद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश	अनिवासी भारतीय विवाह
33.	16(57)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	महिला महाराणा प्रताप कॉलेज, मंडी, सिरसा, हरियाणा 125104	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
34.	16(112)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, बिहार 800001	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
35.	16(38)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	गुरुकुल कांगड़ी (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), हरिद्वार, उत्तराखंड 249404	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा

क्रम सं.	फाइल सं.	संगठन का नाम	विषय
36.	16(46)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	गुरु नानक कॉलेज टिब्बी साहिब रोड, मुक्तसारी मुक्तसर, पंजाब 152026	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
37.	16(59)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	देवा मठ कॉलेज, कुराविलंगडी कोट्टायम, केरल 686633	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
38.	16(103)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	डब्लूएमओ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, मुत्तिल, वायनाड, केरल थज़ेमुत्तिल, वायनाड, केरल 673122	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
39.	16(220)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	व्यासदेव एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, बांकुरा, पश्चिम बंगाल 722121	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
40.	16(158)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	सेंट एन कॉलेज फॉर विमेन, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद, तेलंगाना 500028	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
41.	16(213)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 450009	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
42.	16(136)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	सेंट एलॉयसियस कॉलेज (स्वायत्त) दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक 575003	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
43.	16(58)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	के एल ई सोसाइटी का राजा लखमगौड़ा विज्ञान संस्थान, बेलगाम, कर्नाटक 590001	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा
44.	16(66)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश 208026	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
45.	16(212)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	शासकीय पीजी कॉलेज रानीखेत नैनीताल, उत्तराखंड 263139	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा
46.	16(114)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	राजर्षि शाहू महाविद्यालय (स्वायत्त), लातूर, महाराष्ट्र 413512	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
47.	16(176)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज भोपाल, मध्य प्रदेश 462024	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा
48.	16(206)/2021/ रा.म.आ (राज्य महिला आयोग)	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय लवाद, गांधीनगर, गुजरात 382210	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा
49.	16(170)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब 141004	अनिवासी भारतीय विवाह
50.	16(174)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, कुड्डालोर तमिलनाडु 608002	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
51.	16(190)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	स्वामी स्वतंत्रानंद मेमोरियल कॉलेज, गुरदासपुर, पंजाब 143531	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
52.	16(171)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 744104	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
53.	16(210)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा उत्तराखंड 263601	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
54.	16(167)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल 700126	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
55.	16(177)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	डॉ बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत हरियाणा 131029	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा

क्रम सं.	फाइल सं.	संगठन का नाम	विषय
56.	16(198)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	वैश्विक उत्कृष्टता के परिष्कर कॉलेज, जयपुर, राजस्थान 302020	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार
57.	16(168)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	स्वामी प्रेमानंद महाविद्यालय, होशियारपुर, पंजाब 144211	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
58.	16(207)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट, ओडिशा 763004	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
59.	16(164)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	मेवाड़ विश्वविद्यालय गंगरार, चित्तौड़गढ़ राजस्थान 312901	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
60.	16(181)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	करूपा फाउंडेशन शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, कोयंबटूर, तमिलनाडु 641301	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
61.	16(209)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474020	एसिड अटैक : लिंग आधारित हिंसा का एक नया चेहरा
62.	16(288)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, बिहार 800001	असमान वेतन : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
63.	16(195)/2021/ रा.म.आ. (राज्य महिला आयोग)	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना 500032	महिलाओं की प्रजनन पसंद: एक मौलिक अधिकार

अनुलग्नक-V

2021-22 के दौरान सेमिनार की सूची जिसके लिए आयोग द्वारा वित्तीय सहायता: "अपमानजनक संबंधों की पहचान और घरेलू हिंसा की रोकथाम" विषय पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी:

क्रम सं.	संस्थान का नाम
1.	राम नारायण कॉलेज, मधुबनी, बिहार
2.	स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात
3.	डीएनआर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश
4.	डी.एस.बी. कैंपस कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड
5.	वर्धमान कॉलेज, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
6.	विधि विद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
7.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु
8.	बहेरा कॉलेज, बिहार
9.	परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस, जयपुर, राजस्थान
10.	जेडीएमसी, सर गंगा राम अस्पताल मार्ग, नई दिल्ली
11.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम
12.	सर सी आर रेड्डी कॉलेज (सहायता प्राप्त और स्वायत्त), आंध्र प्रदेश
13.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अवसारी (खुर्द), महाराष्ट्र
14.	सामाजिक विज्ञान राजगिरी कॉलेज, केरल
15.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
16.	एम एम महिला महाविद्यालय, बिहार
17.	वीर वाजेकर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, महाराष्ट्र
18.	सेंट पॉल कॉलेज, कर्नाटक
19.	जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
20.	करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
21.	प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, मध्य प्रदेश
22.	आरबीवीआरआर महिला कॉलेज, हैदराबाद, तेलंगाना

क्रम सं.	संस्थान का नाम
23.	नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी, गुड़गांव, हरियाणा
24.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
25.	सनातन धर्म कॉलेज, हरियाणा
26.	सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, महाराष्ट्र
27.	रत्नावेल सुब्रमण्यम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, तमिलनाडु
28.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा
29.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश
30.	आनंद एजुकेशन कॉलेज, एसआरकेएसएम कैंपस, गुजरात
31.	पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, तमिलनाडु
32.	श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान कोल्हापुर राजे रामराव महाविद्यालय जठ, महाराष्ट्र
33.	एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

अनुलग्नक-VI

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वित्त पोषित अनुसंधान अध्ययनों का विवरण:

क्रम सं.	संगठन का नाम	विषय/प्रसंग
1.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, द्वारका, दिल्ली	भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में निर्माण उद्योग में महिला श्रमिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक पर भेदभाव की अनुभवजन्य जांच
2.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर, तमिलनाडु	चयनित दक्षिणी भारतीय राज्यों में कोविड 19 महामारी अवधि के दौरान असंगठित क्षेत्र की महिला मजदूरों के बीच वेतन असमानता, शारीरिक स्वास्थ्य, मनोदैहिक संकट और चिंता में परिवर्तन
3.	आईआईटी, जोधपुर, राजस्थान	कोविड 19 महामारी के बीच क्षेत्रों में वेतन भेदभाव- चयनित उत्तरी भारतीय राज्यों से एक लिंग आधारित दृष्टिकोण
4.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा	अनौपचारिक क्षेत्र में लिंग वेतन असमानता में अंतर को सीमित करना
5.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	पूर्वी उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र में महिला स्वामित्व वाले उद्यम: वृद्धि और विकास के लिए बाधाओं और अवसरों का प्राथमिक डेटा विश्लेषण
6.	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल	केरल में महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों की मापनीयता को प्रभावित करने वाले कारक
7.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात	भारत में महिला उद्यमिता और मापनीयता: बाधाएं, सुविधाकर्ता और आगे का रास्ता
8.	बर्दवान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	मापनीयता के लिए चुनौतियां: पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के चयनित महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई का तुलनात्मक अध्ययन
9.	एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ, तेलंगाना	तेलुगु फिल्म और टेलीविजन उद्योग में महिलाओं के लिए काम करने की स्थिति और लागू कानूनों का एक अध्ययन
10.	महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, गुजरात	ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिलाओं का चित्रण: ओहो गुजराती का एक केस स्टडी
11.	आईआईटी रुड़की, उत्तराखंड	महिला प्रवासी श्रमिक के रूप में भारतीय सरोगेट्स : पेशेवर होना
12.	सरकार केएनएम आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज कांजीरामकुलम, केरल विश्वविद्यालय	तटीय केरल में मछुआरों के प्रजनन अधिकार और विकल्प: एक नृवंशविज्ञान संबंधी पूछताछ
13.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात	गुजरात में महिला पुलिस कर्मियों के प्रजनन विकल्पों का एक अध्ययन
14.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	ए रेड डॉट एन्ड द सायकल ऑफ बर्थ: युवा वयस्कों के प्रजनन विकल्प

फोटो दीर्घा

30वाँ स्थापना दिवस

30वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत, वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश एवं अध्यक्ष रा.म.आ श्रीमती रेखा शर्मा।

शी-द चेंज मेकर थीम पर 30वां स्थापना दिवस मना रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग

तकनीकी सत्र 1: बदलाव ला रही हैं महिला उद्यमी

तकनीकी सत्र 2 - निर्णायक महिलाएँ

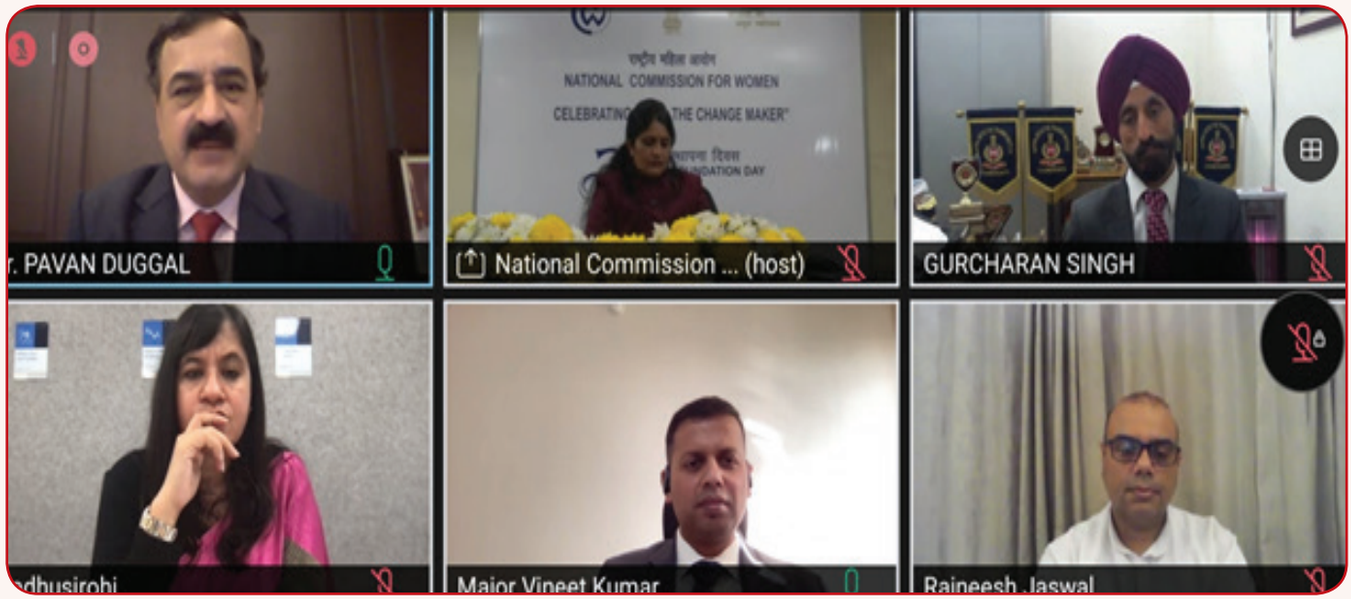

तकनीकी सत्र 3 - महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

बीपीआर एंड डी कार्यालय, महिपालपुर, नई दिल्ली में श्री वंदन सक्सेना, उप महा निदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और श्री प्रदीप कुमार, उप सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

देश भर में पुलिस कर्मियों के लिंग संवेदीकरण के लिए 15 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

कानूनी सहायता क्लिनिक का शुभारंभ

महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को अधिक सुलभ बनाने के लिए रा.म.आ ने 29 मार्च 2022 को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की।

24/7 हेल्पलाइन का शुभारंभ

रा.म.आ द्वारा संकटग्रस्त महिलाओं के लिए शुरु की गई 24/7 हेल्पलाइन का शुभारंभ माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी द्वारा 27 जुलाई,2021 को किया गया।

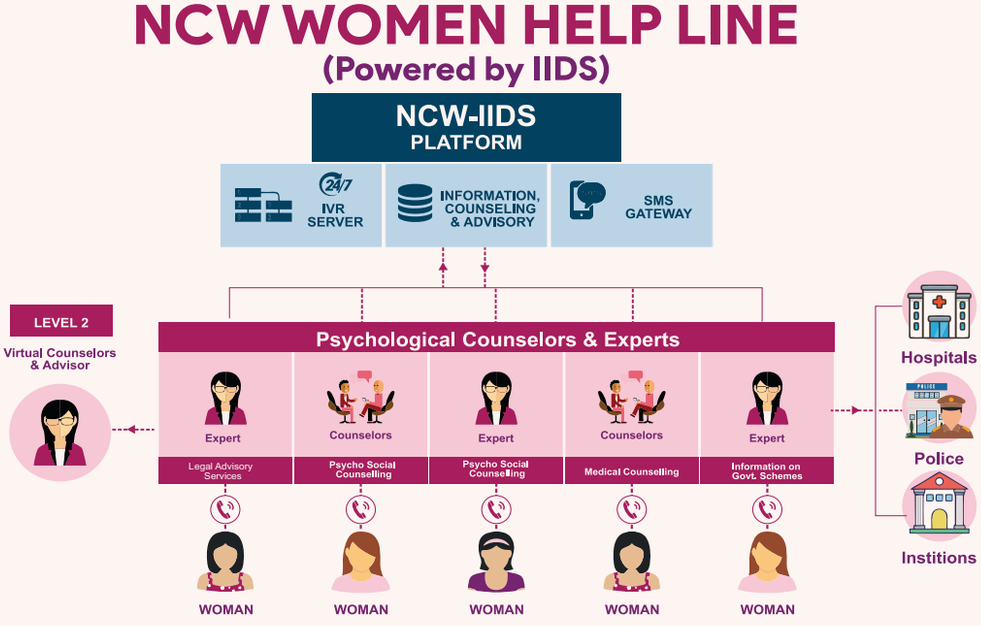

नस्लीय वैविध्य की संवेदनीयता पर संगोष्ठी

भारत में विभिन्न संस्कृतियों के प्रति जागरूकता फैलाने और विविध रीति-रिवाजों के बीच आपसी समझ को मजबूत करने की रणनीतियों की अनुशंसा करने के लिए 26 मार्च, 2022 को रा.म.आ. ने 'नस्लीय वैविध्य संवेदनीयता' पर एक सेमिनार का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो , राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और दिल्ली पुलिस के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विशेष पुलिस इकाई(SPUNER) के सहयोग से किया गया।।

SPUNER
RWA's
BPR&D

राष्ट्रीय महिला आयोग
द्वारा
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी)
दिल्ली पुलिस की उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विशेष पुलिस इकाई
के सहयोग से आयोजित सेमिनार
जातिगत विविधता संवेदीकरण
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
Organizes a seminar
on
Racial Diversity Sensitization
in collaboration with

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022

रा.म.आ. ने 8 मार्च, 2022 को 'शी द चेंज मेकर' थीम पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जहां आयोग ने 'असाधारण महिलाओं' की उपलब्धियों का जश्न मनाया जिन्होंने सभी बाधाओं को चुनौती देने का फैसला किया और अत्यधिक धैर्य और दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपना रास्ता तैयार किया।

रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के सहयोग से शी इज ए चेंजमेकर कार्यक्रम का शुभारंभ

रा.म.आ. ने रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के सहयोग से राजनीति में महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 'वह एक चेंजमेकर है/परिवर्तन की सूत्रधार' लॉन्च किया।

राज्य महिला आयोगों के साथ संवादात्मक बैठक

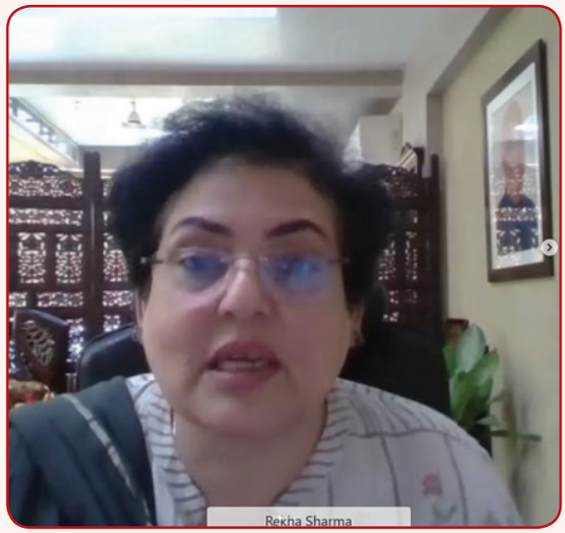

माननीय अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने राज्य महिला आयोगों के साथ संवादात्मक बैठक की।

महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर सेमिनार

रा.म.आ. ने 27 अप्रैल 2021 को महिलाओं के स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण पर एक वेबिनार आयोजित किया

पोषण माह – सही पोषण, देश रोशन

नोट

नोट

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्लॉट न. 21, जसोला इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025
http://www.ncw.nic.in